# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

| अंक 1 | चतुर्थ विधान सभा के प्रथम सत्र का तृतीय दिवस | संख्या 4 |
| --- | --- | --- |



**शुक्रवार, दिनांक 5 मई, 1967**

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.5 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजन नाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

**तारांकित प्रश्नोत्तर**

[सार्वजनिक निर्माण, चिकित्सा, सामान्य प्रशासन, शिक्षा, यातायात व गृह विभाग]

**श्री अध्यक्ष:** प्रश्न। (विराम) प्रतिज्ञान।

**श्री पी. के. चौधरी** (फुलेरा) : There is a stranger in the House. Sir ?

**श्री अध्यक्ष** : बतलाइये।

**श्री पी. के. चौधरी** : On my right.

**श्री अध्यक्ष** : Pratigyan. It will remedy the issue after he takes oath.

**प्रतिज्ञान।**

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : He has not seen the agenda.

**शपथ अथवा प्रतिज्ञान।**

**श्री सचिव, विधान सभा** (श्री सोहननाथ मोदी): राज्यपाल की ओर से जो अधिसूचना संख्या एफ. 1 (1) एल।67 दिनांक 4 मई,



1967 जारी की गई है उसको मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूं:

"भारत के संविधान के अनुच्छेद 188 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राजस्थान के राज्यपाल, श्री निरंजननाथ आचार्य को ऐसा व्यक्ति नियुक्त करते हैं जिसके समक्ष चतुर्थ राजस्थान विधान सभा के सदस्य शपथ लेंगे अथवा प्रतिज्ञान करेंगे।

यह दिनांक 28 अप्रेल, 1967 की समसंख्यक पूर्ववर्ति अधिसूचना के अधिक्रमण में है।

राज्यपाल के आदेश से,<br>अनोप सिंह,<br>शासन सचिव।"

श्री महेन्द्रसिंह पंवार निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर।

**श्री महेन्द्रसिंह पंवार** (गांधी नगर, जयपुर) : (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)

(11.08 म. पू.)

**तारांकित प्रश्नोत्तर**

**श्री अध्यक्ष।** प्रश्न।

**श्री केसरी सिंह** :

**बूंदी रोड स्टेशन से लाखेरी मार्ग का निर्माण कार्य**

1. **श्री केशरी सिंह** (हिन्डोली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे:-

(1) केशोराय पाटन (जिला बूंदी) में बूंदी रोड स्टेशन से जो मार्ग लाखेरी को जाता है उसके निर्माण की मन्जूरी किस साल में हुई थी?

(2) इस सड़क पर मिट्टी कब से पड़नी शुरू हुई?

(3) मिट्टी का ठेका किसको और कब दिया गया था?

(4) इसका काम कब तक पूरा हो जावेगा?

(5) अब तक इस सड़क पर कितनी धन राशि खर्च हो चुकी है? और यह सड़क पक्की होने तक कितनी रकम लगने का अनुमान है?

**सार्वजनिक निर्माण मन्त्री** (श्री अमीनुद्दीन) : (1) इसकी मन्जूरी 1959 में हुई थी।

(2) वर्ष 1961 में मिट्टी का कार्य आरम्भ हुआ था।

(3) मिट्टी का ठेका भारत सेवक समाज को वर्ष 1961 में दिया गया था।

(4) आशा है चौथी पंचवर्षीय योजना काल में।

(5) मार्च 1967 तक 2,17,749 रु. व्यय हुआ है और 5,52,000 रु० अनुमानित व्यय होने पर सड़क पूरी हो सकेगी।

**श्री केशरी सिंह**: क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि मन्जूरी होने के इतने दिन बाद तक सड़क का काम क्यों नहीं शुरू हुआ?

**श्री अमीनुद्दीन** : सड़क का काम देर से शुरू नहीं हुआ। इसकी मन्जूरी हुई, टेण्डर वगैरा लिये जाने में देरी हुई। मन्जूरी 1959 में हुई और 61 में काम शुरू हो गया।

**श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन) : क्या यह जो डिले हुई है इसके कारण से ठेकेदार पर पेनल्टी लगाई गई है?

**श्री अमीनुद्दीन** : नहीं, ऐसी कोई इत्तला हमारे पास नहीं है। यह काम अपने तरीके पर चालू किया गया।

**श्री केशरीसिंह** (हिन्डौली) : क्या भारत सेवक समाज को टेण्डर द्वारा यह ठेका दिया गया था या वैसे ही ठेका दे दिया गया था?

**श्री अमीनुद्दीन** : इसका इल्म नहीं है। मालूम करके बता दूंगा।

**श्री कुंवर महेन्द्र सिंह** (पीपलदा) : क्या इसका काम चालू है?

(उत्तर नहीं)

**श्री कृष्णकुमार गोयल** : क्या यह सड़क बनाने के सम्बन्ध में कोई ऐग्रीमेन्ट किया गया था?

**श्री अमीनुद्दीन** : ये काम एग्रीमेण्ट के तहत होते हैं।

**श्री कृष्णकुमार गोयल** : तो क्या उस एग्रीमेण्ट की शर्तों को भारत सेवक समाज ने पूरा किया?

**श्री अमीनुद्दीन** : जी हां।

**श्री कृष्णकुमार गोयल** : तो ऐग्रीमेंण्ट के अनुसार कोई टाइम लिमिट भी होगी कि इतने समय में यह सड़क पूरी कर देनी चाहिये।

**श्री अमीनुद्दीन** : उसने वह पहला ठेका पूरा किया।

**श्री कृष्णकुमार गोयल** : यानि ?

**श्री अमीनुद्दीन** : अर्थ वर्क का।

**श्री कृष्णकुमार गोयल** : यह एग्रीमेण्ट एक ठेके का है या कई ठेकों का शामिल है। कुल कितने केसेज में ठेके हुए हैं।

**श्री अमीनुद्दीन** : भारत सेवक समाज वाले या दूसरे ?

**श्री कृष्णकुमार गोयल** : भारत सेवक समाज वाला, जो इस सड़क का है।

(विराम)

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदय को इस प्रश्न की पूरी जानकारी नहीं है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि जो मामला 61 से विचाराधीन चल रहा हो उसमें कितना सरकार का इन्वेस्टमेन्ट हो चुका है, और फिर भी सड़क कम्प्लीट नहीं हो रही है। जो खर्चा अब तक उस पर हुआ है वह बेकार हुआ है। इस पृष्ठभूमि में यह प्रश्न स्थगित किया जावे और मन्त्री महोदय से कहा जावे कि इसकी शीघ्र पूरी जानकारी प्राप्त करके माकूल उत्तर दुबारा सदन में दें।

**श्री केशरी सिंह** : क्या यह सत्य है कि इस सड़क पर तीन तीन बार मिट्टी डाली गई और हर साल वह मिट्टी बहती रही।

**श्री अमीनुद्दीन** : वह अर्थ वर्क पूरा हो चुका है और उस पर काम होता भी रहा है।

**श्री केशरी सिंह** : अर्थ वर्क होने के बाद उस पर पत्थर और बोल्डर्स क्यों नहीं डाले गये ताकि मिट्टी बहने से जो नुकसान होता रहा उस नुकसान का पैसा बचाया जा सकता।

**श्री अमीनुद्दीन** : यह ऐसा था कि जो फेज्ड प्रोग्राम था उसी तरह से यह सड़क बन रही थी।

**श्री कृष्णकुमार गोयल** : जिसका ठेका दिया गया था वह कुल कितनी लम्बी सड़क है ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

**श्री केशरी सिंह** : क्या यही फेज्ड वर्क होता है कि पूरी सड़क पर मिट्टी डाल दी जावे और फिर कभी उस पर एक मील पर भी पत्थर नहीं डाला जावे और जब वह मिट्टी बह जावे तो दुबारा फिर मिट्टी डालने का ठेका उसी भारत सेवक समाज को दिया जाता रहे। इस तरह का पक्षपात करना तो जनता के धन के प्रति गद्दारी करना है।

**श्री अमीनुद्दीन** : मिट्टी का काम पूरा है और जगह जगह इसका काम भी चालू है।

**श्री देवीदत्त गाडिया (बारां)** : भारत सेवक समाज से किन कारणों से वह काम पूरा नहीं कराया जा सका और पी. डब्ल्यू. डी. के हाथ में वह काम क्यों नहीं दिया गया।

(कोई उत्तर नहीं आया)

**श्री केशरी सिंह** : मेरे खयाल से मन्त्री

Page No.4



(श्री केशरीसिंह)
महोदय को पूरी जानकारी नहीं है इसके बारे में।

**श्री नत्थीसिंह (भरतपुर)** : प्रश्न का उत्तर देने वाले सब खड़े हैं।

**श्री रामकिशन (वैर)** : जवाब मन्त्री महोदय किस का दे रहे हैं।

**श्री केशरी सिंह** : अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि मन्त्री महोदय पहले इस पर पूरी जानकारी प्राप्त करके फिर उत्तर दें। इसलिये इस प्रश्न को आगे के लिये स्थगित कराया जावे।

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज आर्डर। मैं भी चाहूंगा कि मन्त्री महोदय प्रश्नों पर पूरी तैयारी करके आवें।

श्री केशरी सिंह नैक्स्ट।

**प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कापरेन है**

2. **श्री केशरी सिंह** : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला बूंदी की पंचायत समिति को ग्राम पंचायत कापरेन की जनता ने 1,00,000 रु. की धनराशि प्राइमरी हैल्थ सेन्टर के लिये इकट्ठी करके समिति में जमा करादी है।

(2) क्या यह सत्य है कि प्राइमरी हैल्थ सेन्टर की इमारत अभी तक बनना शुरू नहीं हुई है?

(3) इस प्राइमरी हैल्थ सेन्टर का मौजूदा अमला कितना है और इसमें कौन कौन हैं?

**उप स्वास्थ्य मन्त्री (राव श्री धीरसिंह)** :

(1) जी हां।

**श्री केशरी सिंह** : आवाज नहीं आ रही है साहब।

**एक माननीय सदस्य** : फिर से दुबारा।

**श्री श्रवणलाल** : जरा जोर से बोलिये।

**राव श्री धीरसिंह** : आवाज नहीं आ रही है क्या?

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर आर्डर प्लीज।

**राव श्री धीरसिंह** : आप सुनना नहीं चाहते।........

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर आर्डर। मन्त्री महोदय आर्डर। I am here to look after the dignity of the House.

आर्डर। वापिस शुरू करिये।

**राव श्री धीरसिंह** (1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) इसमें निम्नलिखित अमला (स्टाफ) स्वीकृत है और कार्य कर रहा है?

| पद | स्वीकृत | मौजूद |
|---|---|---|
| डाक्टर | 1 | .. |
| कम्पाउण्डर प्रथम श्रेणी | 1 | 1 |
| कम्पाउण्डर तृतीय श्रेणी | 2 | 1 |
| लेडी हैल्थ विजिटर | 1 | 1 |
| एग्जीलरी हैल्थ वर्कर | 4 | 4 |
| मिड वाइफ | 4 | 1 |
| स्वास्थ्य निरीक्षक | 1 | 1 |
| चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी | 7 | 2 |
| ड्राईवर | 1 | - |

**श्री केशरी सिंह** : क्या यह सच है कि रकम जमा होने के उपरान्त भी अभी तक इमारत का निर्माण शुरू नहीं किया ?

**राव श्री धीरसिंह** : जो रकम जमा हुई है वह सब-सेन्टर के लिये काम आवेगी। और सब-सेन्टर के लिये पंचायत समिति कापरेन ने प्रस्ताव पारित करके नहीं भेजा है। जिसके मुताबिक कि काम जारी कर सकें।

**श्री अमीनुद्दीन** (सा. निर्माण मंत्री) : यह सूचना 26-2-65 को पंचायत समिति से प्राप्त हुई है।

**श्री केशरी सिंह** : मैं तो पूछ रहा हूं कि यह रकम कब किस तारीख को जमा हुई ?

**श्री अमीनुद्दीन** : वह तो पंचायत समिति में मालूम किया जा सकता है।

**श्री केशरी सिंह** : हम तो आपसे जानकारी चाहते हैं। पंचायत समिति से हमारा ताल्लुक नहीं है।

**श्री अमीनुद्दीन** : पंचायत समिति ने हमें जो सूचना दी है वह मैंने निवेदन कर दी।

**श्री दुर्गालाल बादवार** : (हवा महल जयपुर) : पंचायत समिति क्या राज्य सरकार के अधीन नहीं है। प्रश्न कर्त्ता ने एक लाख रु० जमा कराया। क्या एक लाख रु० जमा कराया गया या दस हजार ?

**श्री केशरी सिंह** : यह प्रिन्टिग मिस्टेक है, दस हजार है। एक लाख नहीं।

**श्री अध्यक्ष** : हम दस हजार मानकर चलते हैं।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या यह सही है कि इस बिल्डिंग के मद में दस हजार रुपया जमा हुआ है ? यदि हां, तो आपने प्रश्न संख्या 1 के उत्तर में जी हां कैसे कहा ?

**श्री अमीनुद्दीन** : ऐसा है कि सब-सेण्टर और हैल्थ-सेन्टर एक ही चीज है। एक्सटेन्शन के लिये सब-सेन्टर खोले जाते हैं तो वहां दस हजार का अमाउन्ट सभी सेन्टरों में काम में लाया जावेगा और हैल्थ सेन्टर के लिये चालीस हजार प्रोवाइड किया जावेगा।

**श्री सतीशचन्द्र** : प्राइमरी सेन्टर के लिये एक लाख रु० जमा कराया गया तो इसका मतलब यह है कि ........

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** (लूनी) : वह तो कहा गया है कि दस हजार रु० ही लिया गया है।

**श्री केशरीसिंह** : जवाब मंत्री महोदय को देना चाहिए।

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : आपके पास फाइल है उसको देख लीजिये।

**श्री केशरी सिंह** : फाइल वालों को ही तो पूछ रहे हैं।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : एक लाख जमा हुआ है या दस हजार ?

**स्वास्थ्य व चिकित्सा मंत्री** (श्री दामोदर लाल व्यास) : एक लाख नहीं, दस हजार जमा कराया गया। दूसरी बात आप छपा हुआ क्वेश्चन पढ रहे हैं इसलिये एक लाख की गलतफहमी हो रही है। वैसे खुद माननीय सदस्य मान रहे हैं। दूसरी बात अर्ज कर दूं

(श्री दामोदरलाल व्यास)

कि जिस तारीख को जमा हुई वह राशि वह तारीख हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है। परन्तु पंचायत समिति ने जो सूचना दी वह 25 फरवरी को प्राप्त हुई।

**श्री केशरीसिंह** : इसको जमा हुए तीन साल हो गये और जमा होने के उपरान्त भी कुछ काम नहीं हुआ अभी तक ?

**श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : यदि माननीय मंत्रीजी ने बताया सरकार की ओर से, उप मंत्रीजी के पास गये प्रश्न में धनराशि की जगह दस हजार लिखा है और प्रिन्टेड में एक लाख लिखा है। गलती कहीं भी हो सकती है पर क्या यह उचित नहीं होगा कि प्रिन्टेड क्वेश्चन में कौनसा क्वेश्चन करेक्ट है और उसी हिसाब से जवाब दें और कौनसा करेक्ट है इसके लिये असेम्बली सेक्रेटेरियट से नया करेक्शन स्लिप इश्यू करायें पहले।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : करेक्ट पोजीशन मैंने अर्ज की और आप स्वयं मानते हैं उसे। और वैसे कन्ट्रीब्यूशन इसमें दस हजार होता है।

**श्री भैरोंसिंह** : सवाल यह नहीं है। सवाल यह है कि जो गलत छप गया है वह असेम्बली सेक्रेटेरियट से पहले सही करवाया जावे कि सही कौनसा है यह स्लिप वे इस्यू करें।

**श्री अध्यक्ष** : मैं करेक्ट कर देता हूं। दस हजार है।

**श्री भीमसेन**।

**सरकारी सेवाओं में प्राथमिकता**

3. **श्री भीमसेन** (लूनकरणसर) : क्या मुख्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार भूमिहीन किसानों, मजदूरों एवं कम आय वाले नागरिकों के बच्चों को विभिन्न सरकारी सेवाओं में भर्ती हेतु प्राथमिकता देने का इरादा रखती है ? अगर हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कारगर कदम उठा रही है ?

**उप-मंत्री** (श्री गंगाराम चौधरी) : जी नहीं।

**श्री भीमसेन** : अध्यक्ष महोदय, जब हमारे यहां भारत के संविधान में इस बात को स्वीकार किया गया है कि हम समाजवादी समाज की स्थापना करेंगे फिर भी पिछड़े वर्ग को प्राटेक्शन नहीं दिया जाता है तो फिर इस सिद्धान्त को हम कैसे पूरा कर पायेंगे ?

**श्री गंगाराम चौधरी** : संविधान में सेवाओं को, अनसूचित जाति और अनसूचित जन-जाति के लिए (अश्रव्य)

**श्री अध्यक्ष**: जरा जोर से बोलें। आपका (श्री भीमसेन) भी आप फिर से कर दें।

**श्री गंगाराम चौधरी**: संविधान में केवल अनुसूचित जाति और अनूसूचित जन-जाति को ही प्राथमिकता देने का प्रावधान है। लेण्डलैस टीनेन्ट्स को और बहुत सी सहूलियतें दी जाती हैं भूमिहीन किसानों को भूमि दी जाती है......

**कुछ माननीय सदस्य** : सुनाई नहीं दे रहा है ......

**श्री अध्यक्ष** : अगर माइक नहीं है तो आप जरा आवाज को जोर से कर दीजिये।

**एक माननीय सदस्य** : जनानी आवाज है।

**श्री गंगाराम चौधरी** : संविधान में केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोगों को ही प्राथमिकता देने का प्रावधान है और भूमिहीन किसानों के लिए और दूसरी सहूलियतें जमीन देने आदि की दी जाती हैं।

**श्री नत्थीसिंह** : क्या यह सही है कि सरकार की घोषित नीति है कि वह कोई भी इरादा पिछड़े वर्ग को सहूलियतें देने का नहीं रखती ? इस प्रकार की क्या सरकार की घोषित नीति है ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** (मुख्य मंत्री) : यह प्रश्न केवल सेवाओं से संबंधित है। इसमें घोषित नीति का प्रश्न नहीं है। इसमें स्पष्ट है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स सिर्फ दो के लिए ही रिजर्वेशन हो सकता है। उसके अलावा बाकी सर्विसेज के लिए कम्पीटीशन के जरिये ही आना होगा और इस समय में सरकार इस प्रकार की कोई नीति या इरादा नहीं रखती कि अलग अलग वर्गों में या जातियों के अन्दर इस प्रायोरिटी या रिजर्वेशन के अन्दर पडे क्योंकि इसमें पड़ने से और बहुत से कॉम्पलीकेशन्स होने के खतरे हैं।

**श्री मदनसिंह** (दांतारामगढ़): क्या मुख्य मंत्री महोदय का मतलब है कि एक्स सर्विस के लिए नहीं है ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : यह प्रश्न एक्स सर्विस का नहीं है। यह और तरह का है और उसका उत्तर दे रहा हूं।

**श्री अध्यक्ष**: नेक्स्ट, श्री भीमसेन.

**श्री रामकिशन** (बैर): अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न प्रिफरेन्स के लिए पूछा गया है रिजर्वेशन के लिए नहीं पूछा गया है। तो जो आपने विधान की बात बताई तो साफ है कि क्या सरकार का इरादा पिछड़े वर्ग को सहायता देने का नहीं है ? क्या उनके लिए आवश्यक नहीं है कि ऐसे लोगों को बसाने के लिए कोई प्रिफरेन्स दें ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : मैंने निवेदन किया कि इस प्रकार के वर्गों के लोगों के लिए प्रायोरिटी कहें, प्रिफरेन्स कहें, रिजर्वेशन कहें उनके लिए अलग कोई नियम बनाकर रिजर्वेशन करने की बात सरकार नहीं सोचती है और मैं समझता हूं कि उससे बहुत से काम्पलीकेशन्स होने के बहुत खतरे हैं। इसलिए ऐसा करना उचित नहीं है।

**श्री श्रवणलाल** : जो इस संबंध में नियम हैं उनको अधिकारियों द्वारा ताक में रख दिया जाता है और किसी भी समय में रिजर्वेशन की चीज को अमल में नहीं लाया जाता है ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : यह प्रश्न अलग है और इस संबंध में समय समय पर इसका जवाब दिया जाता रहा है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये कितना प्रतिशत भर्ती का प्रावधान रखा गया है।

**श्री पी. के. चौधरी** (फुलेरा): क्या यह सही नहीं है कि जो प्रिफरेन्स माननीय सदस्य चाहते हैं वह संविधान की व्यवस्था के प्रतिकूल है ?

(श्री चौधरी के अंग्रेजी में बोलने पर कुछ माननीय सदस्यों द्वारा "हिन्दी में बोलें" की ध्वनि)

# Page No.8



(श्री पी. के. चौधरी)

क्या यह बात सही नहीं है कि जो प्रिफरेन्स माननीय सदस्य चाहते हैं वह संविधान में जो अपार्चुनिटी का प्रावधान है उसके प्रतिकूल है ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : यह माननीय सदस्य जानते हुए भी प्रश्न पूछ रहे हैं ।

**श्री नत्थीसिंह** : क्या माननीय मुख्य मंत्री महोदय की मान्यता है कि यह विधान के प्रतिकूल है ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : विधान में बहुत स्पष्ट है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के अलावा बाकी सब को ईक्वल अपार्चुनिटी दी जायेगी ।

**श्री अध्यक्ष** : श्री भीमसेन, नैक्स्ट..

**ग्राम कालू में छात्राओं के लिए माध्यमिक शाला**

1. **श्री भीमसेन** (लूनकरणसर): क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे :—

क्या सरकार शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए रेगिस्तानी इलाके के गांव कालू (तहसील-लूनकरणसर) में शिक्षा में स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु छात्राओं की माध्यमिक शाला अगले सत्र से खोलने का इरादा रखती है ?

**शिक्षा उप-मंत्री (श्री धीरसिंह)**: वर्तमान बजट में इस प्रकार की कोई योजना नहीं है ।

**श्री भीमसेन** : आइन्दा इसके लिए कुछ विचार करेंगे ?

**शिक्षा मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां)**: जैसे ही आर्थिक स्थिति ठीक हो जायगी बजट में प्रावधान करके इसके ऊपर विचार किया जायेगा ।

**श्री अध्यक्ष** : नैक्स्ट, श्री विश्नोई ।

**बालोतरा-सांचौर बस सर्विस का मार्ग**

5. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि बालोतरा-सांचोर बस सर्विस ग्राम हाडेचा निवासियों की मांग होने पर भी ग्राम हाडेचा होकर नहीं जाती ? अगर हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त बस सर्विस रूट पर ग्राम हाडेचा सिर्फ दो मील ही दूर है और एक व्यापारिक मंडी भी है ? अगर हां, तो बालोतरा-सांचोर बस सर्विस ग्राम हाडेचा से होकर कब तक शुरु कर दी जाएगी ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि ग्राम हाडेचा निवासियों एवं आस पास के ग्रामवासियों की कई दरख्वास्तें इस विषय में आर. टी. ओ. जोधपुर को दी जा चुकी हैं ? अगर हां, तो इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(4) क्या यह सही है कि दरख्वास्तों पर कार्यवाही में देर हुई है ? यदि हां, तो क्यों ?

**यातायात मंत्री (श्री अमीनुद्दीन)**: अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में सूचना इकट्ठी की जारही है इसलिए इसका जवाब देना अभी मुमकिन नहीं है ।

**श्री अध्यक्ष** : स्थगित किया जाए।

**श्री मदनसिंह** (दांतारामगढ़): यह आपके पास कब आ गया था ?

**श्री अध्यक्ष** : स्थगित किया गया।

नैक्स्ट श्री विश्नोई !

**सूराचन्द में राजकीय स्वास्थ्य एड पोस्ट**

6. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सत्य है कि राजकीय स्वास्थ्य एड पोस्ट भवातड़े से सूराचन्द स्थानान्तरित करने के आदेश काफी अर्से पूर्व किए जा चुके हैं ? अगर हां, तो अभी तक एड पोस्ट सूराचन्द में क्यों नहीं स्थानान्तरित हुई है ?

(2) क्या यह सत्य है कि जिला स्वास्थ्य अधिकारी की मांग के अनुसार सुराचन्द पंचायत ने एड पोस्ट के लिए मकान की व्यवस्था कर दी है ? अगर हां, तो अब एड पोस्ट कब तक सूराचन्द भवातड़ा से तब्दील करके भेज दी जावेगी ?

(3) क्या यह सत्य है कि जिला स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा एड पोस्ट भवातड़े से सूराचन्द भेजने का प्रस्ताव सरकार के पास काफी अर्से पहले आ चुका है ? अगर हां, तो अब तक सरकार द्वारा मंजूरी क्यों नहीं दी गई है ? अब कब तक मंजूरी दे दी जावेगी ?

**उप-मंत्री चिकित्सा** (राव श्री धीरसिंह): (1) जी नहीं। चूंकि आदेश दिनांक 4-5-67 को ही जारी हुए हैं अतः स्थानान्तरण में कुछ समय लगेगा।

(2) जिला स्वास्थ्य अधिकारी जालोर के यहां से इस बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अब शीघ्र ही तबादले हो जायेंगे।

(3) जी नहीं, संचालक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से इस बारे में प्रस्ताव राज्य सरकार के पास दिनांक 2-5-67 को ही प्राप्त हुआ है। स्वीकृति संबंधी आदेश दिनांक 4-5-67 को जारी हो चुके हैं।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : अध्यक्ष महोदय इन्होंने जो नहीं की सूचना दी है। यह मेरे खयाल से आपने उत्तर रेकर्ड को देखकर नहीं दिया होगा। शायद आपको जानकारी नहीं होगी। मैंने पहले भी प्रश्न किया था। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से रिकमन्डेशन गवर्मेन्ट को भेज चुके थे और पंचायत समिति जिला परिषद् के प्रस्ताव हो चुके हैं और अभी यह काफी अर्से से पेन्डिंग था, पानी की कमी की वजह से और मकान नहीं है इसलिए इसका पंचायत ने इन्तजाम कर दिया था और लिख दिया गया था। इसमें बहुत डिले हुई है।

**स्वास्थ्य मंत्री** (श्री दामोदरलाल व्यास): डाइरेक्टर आफ मेडीकल एण्ड हैल्थ सर्विसेज ने जो चिट्ठी लिखी वह लिखी 7-12-64 को। वह चिट्ठी यहां पर दस्तियाब नहीं हुई इसलिए उनको दुबारा लिखा गया। फिर उनकी चिट्ठी आई उसके ऊपर तुरन्त ही आर्डर दे दिया गया दो रोज में।

**श्री रघुनाथ विश्नोई**: यह बात दूसरी है।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट, श्री खेतसिंह।

**जोधपुर पोकरण सड़क पर मरम्मत का कार्य**

7. **श्री खेतसिंह** (शेरगढ): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) 35 मील से 38 मील जोधपुर पोकरण सड़क पर जो मरम्मत व सड़क की सीधाई का कार्य चल रहा है वह अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत है अथवा विभागीय कार्य है ?

(2) क्या यह सही है कि 35 मील व 38 मील के दरम्यान जिस गांव की सरहद आई हुई है वह अकालग्रस्त गांव नहीं है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त सड़क का कार्य अकाल राहत जिला स्तरीय समिति की बिना मन्जूरी के ही आरम्भ किया गया है ?

(4) क्या यह सही है कि अकालग्रस्त गांव जूड़िया है और वह इस कार्य से 7 मील की दूरी पर बसा हुआ है तथा उस गांव का एक भी मजदूर इस सड़क पर नहीं लगाया हुआ है ?

(5) इस सड़क पर कुल कितने मजदूर लगे हुये हैं और वे किन किन गांवों के रहने वाले हैं ?

**सार्वजनिक निर्माण मंत्री** (श्री अमीनुद्दीन): अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है इसलिए इसका जवाब देना अभी मुमकिन नहीं है ।

**श्री खेतसिंह** : अगर इसकी सूचना इकट्ठी की जा रही है तो इसको प्रश्नों की सूचि में लेने की क्यों आवश्यकता हुई ?

**श्री अध्यक्ष**: इसको स्थगित करने का प्रश्न यहां पर तय किया जाता है । मैंने वहां नहीं किया, वहां भी कर सकता था लेकिन उचित समझा कि आपकी नालेज में आ जाए इसलिए यह स्थगित किया गया ।

**श्री खेतसिंह** ।

**शेरगढ तहसील में पुलिस थाने**

8. **श्री खेतसिंह** (शेरगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) शेरगढ़ तहसील में कुल कितने पुलिस थाने हैं तथा इन पुलिस थानों के तहत कितनी पुलिस चौकियां हैं ?

(2) प्रत्येक पुलिस थाने के मातहत कितने कितने गांव हैं तथा कुल कितनी आबादी हर पुलिस थाने के मातहत है ?

(3) क्या आबादी का अनुपात देखते हुए सरकार इन पुलिस थानों का हल्का तरमीम करने का सोच रही है ? यदि हां, तो कब तक इनके हल्कों में रद्दो-बदल कर दी जायगी ? और यदि हल्का तरमीम करने का इरादा नहीं है तो क्यों ?

(4) क्या पुलिस चौकियां और बढ़ाने का भी सरकार का विचार है ? यदि हां, तो कौनसे गाव में नई चौकी खोली जायगी और यदि चौकियां बढ़ाने का इरादा नहीं है, तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि अस्थाई पुलिस चौकियां इस तहसील में रखी जाती हैं ? यदि हां, तो कितनी और ये चौकियां क्यों रखी जाती हैं ?

**गृह मंत्री** (श्री दामोदरलाल व्यास) : (1) शेरगढ तहसील में 2 थाने हैं तथा इनके अधीन 3 चौकियां हैं ।

(श्री दामोदरलाल व्यास) :

(2) थाना पुलिस शेरगढ़ में 62 गांव व थाना पुलिस देचु में 33 गांव हैं। दोनों थानों के मातहत जनसंख्या 1,12,646 है।

(3) पुलिस थानों के हल्कों का निर्धारण जिस सिद्धांत को लेकर किया गया था उसमें संशोधन की कोई आवश्यकता अभी प्रतीत नहीं होती।

(4) जी नहीं।

(5) आवश्यकतानुसार अस्थाई चौकियां कायम की जाती हैं। शेरगढ़ थाना के अधीन एक अस्थाई चौकी गांव चाया में व थाना पुलिस देचु के अधीन एक अस्थाई चौकी गांव कलाडा में दिनांक 15-12-66 से 2-2-67 तक गांवों में चोरियों की रोक थाम के लिये स्थापित की गई थी।

**श्री खेतसिंह** : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि यह री-एडजस्टमेंट विलेजेज का क्यों नहीं करना चाहते हैं। आप स्वयं बता रहे हैं कि एक थाने के नीचे 37 गांव हैं और दूसरे के नीचे 63 गांव हैं, फिर री-एडजस्टमेंट क्यों नहीं करना चाहते हैं ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : मेरा अर्ज करना यह है कि थाने और चौकियां जो कायम की जाती हैं उसका यार्ड-स्टिक केवल गांव ही नहीं है बल्कि जनसंख्या भी है। आबादी की गणना, कितने गांव उसके अन्तर्गत होते हैं और उन गांवों में कितनी जनसंख्या रहती है इन सब बातों पर विचार करके इनकी स्थापना की जाती है। और जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि दोनों थानों के अन्तर्गत जो गांवों की संख्या और आबादी है और उसके लिए जो यार्ड-स्टिक है उसके अनुसार तो वे थाने और चौकियां काफी हैं। अब अगर माननीय सदस्य का यह खयाल है कि थानों का री-एडजस्टमेंट होना चाहिए तो मैं एग्जामिन कराऊंगा और आवश्यकता हुई तो उचित आदेश दूंगा।

**श्री खेतसिंह** : यह अति आवश्यक है। एक थाने के नीचे 29,000 की आबादी है और दूसरे के नीचे 70,000 की आबादी है।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : आपने सुझाव दिया है उसको एग्जामिन करके आवश्यक आदेश दूंगा।

**श्री गिरधारीलाल व्यास** (आसीन्द) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का प्रश्न थानों की बाउण्ड्री के सैटलमेंट के संबंध में कई दिनों से गवर्नमेंट के सामने विचाराधीन है और एक थाने से दूसरे थाने के बीच में तीसरा थाना आ जाता है और एक थाने से आगे दूसरे थाने के गांव आ जाते हैं और फिर उसी थाने के गांव आ जाते हैं। तो इसको एडजस्ट करने का प्रश्न काफी महीनों से पेंडिंग है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार से जहां जहां थानों की सीमायें हैं उनको पूरी तरह से निर्धारित क्यों नहीं किया जाता है। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की व्यवस्था कराई जाय ताकि लोगों को बहुत दूरी से आकर थाने में जो सहायता प्राप्त करनी पडती है उसमें बडी कठिनाई होती, इसका कुछ न कुछ समाधान करना चाहिए।

**श्री अध्यक्ष** : ध्यान आकर्षित कर दिया गया है।

श्री लादूराम सुलानिया (फागी) : क्या यह सत्य है कि ज्यादा चौकियां बढ़ाने से चोरियां भी उतनी ही बढ़ जायेंगी ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

**कालेजों के भवनों का निर्माण कार्य**

9. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) लाडनूं, सुजानगढ़ व जसवन्तगढ़ में जिन कालेजों के शिलान्यास किये गये हैं उनके लिए दानदाताओं ने कितना कितना रुपया दिया था ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) जिन दानदाताओं ने दान दिया था उन्होंने रुपये सरकारी कोष में कब जमा कराये ?

(3) उक्त कालेजों के भवन निर्माण का कार्य कब तक चालू होकर कब तक पूरा होगा और कौन से सत्र से वहां पर पढ़ाई चालू हो जायेगी ?

(4) उक्त कालेजों के लिए कितनी भूमि अवाप्त की गई है ?

उप-मंत्री शिक्षा (राव श्री धीरसिंह) : (१) मेसर्स ज्ञानीराम हरकचन्द सरावगी ने प्रस्तावित श्री ज्ञानीराम हरकचन्द सरावगी कला एवं वाणिज्य कालेज के भवन निर्माण हेतु कुल चार लाख रुपया दान देने हेतु पहली किश्त पेटे एग्रीमेंट के अनुसार एक लाख रुपये मार्च, 67 में जमा कराये। हनुमानमल बैंगानी द्वारा प्रस्तावित मोतीलाल बैंगानी विज्ञान कालेज के भवन निर्माण हेतु कुल पांच लाख रुपये देने का वायदा है। एग्रीमेंट दस्तखत हेतु उनके पास भेजा हुआ है।

मैसर्स ज्ञानीराम हरकचन्द सरावगी से जो एग्रीमेंट हुआ है उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है। इसी प्रकार का एग्रीमेंट हनुमानमल बैंगानी को भी भेजा हुआ है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

(2) केवल मैसर्स ज्ञानीराम हरकचन्द सरावगी, सुजानगढ़ द्वारा एग्रीमेंट के अनुसार पहली किश्त पेटे एक लाख रुपये का चैक प्राप्त हुआ जो राजकीय कोष में दिनांक 11 मार्च, 1967 को जमा हुआ।

(3) मैसर्स ज्ञानीराम हरकचन्द सरावगी से जो एग्रीमेंट हुआ है उसके अनुसार कालेज भवन का निर्माण एग्रीमेंट की तारीख से एक माह की अवधि में शुरू होना था और कालेज भी जुलाई, 67 से शुरू होना था। यदि उपयुक्त भवन की सुविधा उपलब्ध हो जायगी तो अवश्य ही कालेज जुलाई, 67 से प्रारम्भ करने का प्रयास रहेगा।

(4) उक्त कालेजों के लिए पर्याप्त सरकारी भूमि जसवन्तगढ़ रेल्वे स्टेशन के पास उपलब्ध है, अतः भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

श्री हरजीराम बुरडक : क्या पैसा जमा होने के पहले ही शिलान्यास कर दिया गया था ?

राव श्री धीरसिंह : सुनाई नहीं दिया, जरा जोर से बोलिए।

श्री हरजीराम बुरडक : क्या पैसा जमा होने से पहले ही शिलान्यास करा लिया गया था ?

**श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) : क्या यह सही है कि रुपया जमा होने के पूर्व ही कालेज का शिलान्यास करा दया गिया था ?

**राव श्री धीरसिंह** : शिलान्यास तो करा दिया गया था। एग्रीमेंट के अनुसार कालेज जुलाई, 67 को शुरू किया जाना है। अगर ये कोई बिल्डिंग बता देंगे जब तक कि नई बिल्डिंग न उपलब्ध हो जाय, तो उसमें शुरू कर देंगे।

**श्री कृष्ण कुमार गोयल** : इन दो तीन कालेजों में से कौन सा पहले शुरू कर रहे हैं ?

**शिक्षा मंत्री** (श्री बरकतुल्ला खां) : काम में देरी नहीं करना चाहते थे इसलिये पहले शिलान्यास करा लिया।

**श्री कृष्ण कुमार गोयल** : जब इमारत बननी ही आरम्भ नहीं हुई तो कालेज कैसे शुरू हो जायगा, इस बात का ख्याल क्यों नहीं रखा गया ? अब कब से भवन बनना आरम्भ हो जायगा ?

**श्री बरकतुल्ला खां** : सरकार के पास एक लाख रुपया प्राप्त हुआ है इसलिये सरकार ने अपने दूसरें डिपार्टमेंट्स से जमीन के बारे में बातचीत शुरू कर दी है और जब उनसे और रुपया प्राप्त हो जायगा तो भवन निर्माण का काम प्रारम्भ कर दिया जायगा। जितना रुपया मिला है उसके अनुसार काम शुरू कर दिया गया है।

**श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़) : क्या एग्रीमेंट करने में देरी की गई इसलिये रुपया नहीं मिला अब तक ?

**श्री बरकतुल्ला खां** : एग्रीमेंट तो जैसा चाहते थे वैसा किया गया ?

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** (किशनपोल, जयपुर): क्या सरकार को इत्मीनान हो गया था कि जुलाई, 67 तक भवन निर्माण का काम पूरा हो जाएगा ?

**श्री बरकतुल्ला खां** : वक्त पर रुपया मिल जाता तो काम शुरू कर दिया जाता। जब तक भवन तैयार होता तब तक के लिए जो दानदाता हैं वह अपना दूसरा भवन दे देंगे तो काम शुरू कर देंगे।

**श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़) : क्या यह मान लिया गया है कि आस पास में कोई भवन कालेज के लिए उपयोगी नहीं है ?

**श्री बरकतुल्ला खां** : दानदाता ने कोई भवन अभी तक नहीं बताया है जिसमें कि कालेज चालू किया जा सके।

**श्री भैरोंसिंह** : इस एग्रीमेंट के अन्दर सरकार की तरफ से इस प्रकार की शर्त रखना क्या वाजिब था ?

**श्री बरकतुल्ला खां** : वाजिब तो है, तभी तो उन्होंने माना है।

**श्री भैरोंसिंह** : क्या यह एग्रीमेंट में है ?

**श्री बरकतुल्ला खां** : भवन तैयार नहीं होगा उस वक्त तक कोई दूसरा भवन जो तैयार होगा उसे उपलब्ध करा देंगे और उसके अन्दर क्लासेज खोल देंगे, यह उसमें है।

**श्री भैरोंसिंह** : एग्रीमेंट के ऊपर तो हस्ताक्षर हो चुके होंगे, अब एग्रीमेंट भरने का सवाल कहां से पैदा हो गया ?

**श्री बरकतुल्ला खां** : हम तो अपनी तरफ से फैसला करने को तैयार हैं।

**श्री भैरोंसिह** : जब तक दोनों पार्टीज के दस्तखत नहीं हो जाते वह एग्रीमेंट पूरा कैसे हो गया ?

**श्री बरकतुल्ला खां** : दो अलग अलग पार्टीज हैं, आप उनको मिला रहे हैं। एक पार्टी के साथ तो एग्रीमेंट हो गया और एग्रीमेंट करके एक लाख रुपया जमा कराया। जो सरावगी का परिवार है उन्होंने सरकार को एक लाख रुपया जमा करवाया और चार लाख देने का वायदा किया है। दूसरा प्रस्ताव दूसरा कालेज खुलवाने का है उनके पास एग्रीमेंट भेजा हुआ है। उनसे अभी तक हस्ताक्षर होकर नहीं आए हैं।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या एग्रीमेंट के ऊपर राजस्थान सरकार की तरफ से सिग्नेचर हो चुके हैं ?

**श्री बरकतुल्ला खां** : जी हां।

**श्री दुर्गालाल बाढ़दार** (हवा महल, जयपुर): क्या सरकार को ऐसा यकीन है कि जिसका भी शिलान्यास करा दिया उसको पूरा होना ही चाहिए। हम तो यह देखते आए हैं कि शिलान्यास तो कई गांवों में, कई जिलों में और कई भवनों का निरन्तर करते आ रहे हैं लेकिन काम के पूरा करने का न तो यकीन ही है और न कोई स्कीम ही होती है। तो मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा और मैं उनको सुझाव देता हूं बड़ी विनम्रता के साथ कि शिलान्यास की जो पद्धति है या तो उसको बिल्कुल समाप्त कर दें और यदि शिलान्यास करते हैं तो एक तो उनसे एग्रीमेंट करा लीजिये और एग्रीमेंट कराने के बाद एक लाख रुपया तक जमा करा लिया। इसके बावजूद भी सरकार की कान पर जूं तक नहीं रेंगी, काम को पूरा कराने की। इसलिये मैं .........

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर आर्डर ! प्रश्न समाप्त हुए।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** (डूंगरपुर) : इस प्रकार के थोथे शिलान्यासों का कोई सिग्नीफिकेंस, कोई अर्थ तो होना चाहिए। शिलान्यास तो करा दिए लेकिन भवनों का पता ही नहीं है।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

(अश्रव्य)

**श्री गिरधारीलाल व्यास** जनता को : इस प्रकार से प्रोत्साहित किया जाता है।

**श्री रामकिशन** (वैर) : अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार की यह नीति है कि इस तरह के दानदाताओं को एक क्षेत्र विशेष के लिये प्रोत्साहित करके क्या भावी राजनैतिक और सामाजिक जीवन को प्रभावित करने का सरकार का इरादा है ? क्या इस प्रकार से क्षेत्र विशेष के लिए ही कार्य करा कर किसी प्रदेश और हिन्दुस्तान की राजनीति और सामाजिक व्यवस्था पर बुरा प्रभाव नहीं डाला जा रहा है ? जैसे पिलानी वगैरा की स्थिति है जहां पर कालेज वगैरा चलते हैं और उनसे राजनैतिक लाभ उठाया जाता है। इसलिये मैं मंत्री महोदय से इस संबंध में यह जानकारी चाहता हूं कि इस प्रकार से दानदाताओं से जो दान लिया जाता है तो क्यों नहीं उनसे किसी क्षेत्र विशेष अथवा कार्य विशेष के लिये दान लेने की अपेक्षा पूरे

# Page No.15



(श्री रामकिशोर)

प्रदेश के कल्याण के लिये दान लिया जाता है, इसमें सरकार की क्या नीति है ?

**श्री बरकतुल्ला खां** : माननीय सदस्य ने जो फरमाया, मैं समझता हूं कि वह उचित आदर्श उन्होंने सामने रखा है और हम भी यह चाहते हैं कि ऐसा समय आए, राजस्थान में आए, जिस दिन कि दानदाता क्षेत्रीय भावना को छोड़ कर सम्पूर्ण राजस्थान और देश के लिए कदम उठायें और उसके लिए दान दें। लेकिन जब पैसा मांगते हैं और किसी खास शर्त पर वे देते हैं, वे स्वयं जिस जगह पैसा लगाना चाहते हैं तो क्या सरकार उस रुपये को लेने से इन्कार कर दें। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं और ऐसा समय जरूर आना चाहिए और हमारी तरफ से भी कोशिश होनी चाहिए कि दानदाता सिर्फ एक इलाके के लिए ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लिए दान दें और इससे उनका नाम रोशन हो।

(कुछ माननीय सदस्य बोलने लगे)

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर ! आर्डर !

**श्री रामकिशन**: आपके चाहने की बात नहीं है।

(11.40 म. पू.)

**सभापति तालिका**

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर ! प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 9 (1) के अन्तर्गत मैं निम्नांकित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए मनोनीत करता हूं :–

(1) श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत,
(2) श्री यशवन्तसिंह नाहर,
(3) श्री केदारनाथ,
(4) श्री कृष्ण कुमार गोयल।

**गृह समिति का निर्माण**

प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमों के नियम 259 के अन्तर्गत मैं निम्नांकित सदस्यों को गृह समिति के लिये मनोनीत करता हूं :–

(1) श्री गुलाबसिंह शक्तावत,
(2) श्रीमती मदन कौर,
(3) श्री प्रद्युम्नसिंह,
(4) श्री फतेहसिंह।

**कार्य सलाहकार समिति**

उक्त नियमों के नियम 183 (1) के अन्तर्गत मैं श्री गुलाबसिंह शक्तावत को गृह समिति का सभापति नियुक्त करता हूं।

प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमों के नियम 2 (2) के अन्तर्गत मैं निम्नांकित सदस्यों को कार्य सलाहकार समिति के लिए मनोनीत करता हूं :–

(1) श्री दामोदरलाल व्यास,
(2) श्री हरिदेव जोशी,
(3) श्री दुर्गालाल बाढ़दार,
(4) श्री भैरोंसिंह शेखावत,
(5) श्री रामकिशन,
(6) श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

विधान सभा के उपाध्यक्ष इस समिति के पदेन सभापति होंगे।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : कौन हैं ?

**श्री अध्यक्ष** : जी जानता हूं।

**श्री सचिव, विधान सभा** : महोदय,...

**श्री नत्थीसिंह** (भरतपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो एडजोर्नमेंट मोशन दिये थे........

**श्री अध्यक्ष** : आफटर हिम ।

### समितियों के प्रतिवेदन

**सचिव, विधान सभा** : महोदय, मैं निम्नांकित प्रतिवेदन जो गत विधान सभा के अध्यक्ष को सभा के विघटन होने से पूर्व प्रस्तुत किये जा चुके थे तथा जिनके राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 205 के अधीन मुद्रण, प्रकाशन अथवा परिचालन के आदेश भी दे दिये गये थे सदन की मेज पर रखता हूं :--

(1) विशेषाधिकार समिति का छठा प्रतिवेदन,

(2) विशेषाधिकार समिति का सातवां प्रतिवेदन,

(3) अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का बारहवां प्रतिवेदन,

(4) अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का तेरहवां प्रतिवेदन,

(5) याचिका समिति का सातवां प्रतिवेदन,

(6) सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का पांचवां प्रतिवेदन,

(7) जनलेखा समिति का दसवां प्रतिवेदन,

(8) जनलेखा समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन । (विराम)

### पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति महोदय या राज्यपाल महोदय की अनुमति

तृतीय राजस्थान विधान सभा के दसवें सत्र में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं जिन पर राष्ट्रपति महोदय अथवा राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है ।

**राष्ट्रपति महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक** :--

(1) राजस्थान भूमि अवाप्ति (संशोधन तथा वैधकरण) विधेयक, 1966 ।

**राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक**:--

(1) राजस्थान राज्य भाषा (संशोधन) विधेयक, 1966,

(2) राजस्थान मोटरगाडी करारोपण (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1966,

(3) राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1966 ।

**श्री अध्यक्ष** : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद ।

श्री खेतसिंह ।

(11.43 म. पू.)

### स्थगन प्रस्तावों के संबंध में जानकारी

**श्री देवीदत्त** (बारां) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया था वह बहुत महत्वपूर्ण है । कल राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में बारां नगर में खोले जाने वाले कालेज के बारे में खुद ने कहा था........

**श्री अध्यक्ष** : वह पर्याप्त है। मैं उसके लिए आपको निवेदन कर दूं और उसकी स्वीकृति या अस्वीकृति सब बतला देता हूं। आप स्थान ग्रहण करें।

**श्री खेतसिंह** (शेरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा हो तो मैं प्रारम्भ करूं ?

**श्री अध्यक्ष** : नहीं, अभी आज्ञा नहीं है।

मैं माननीय सदस्यों का एक प्रश्न पर, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। स्थगन-प्रस्ताव की स्वीकृति या अस्वीकृति अथवा ऐसे ही कई प्रश्न जिनके संबंध में जानकारी सचिवालय अथवा मुझ से चेम्बर में ली जा सकती है वह जानकारी, मैं इसलिये निवेदन कर रहा हूं कि आपका सहयोग इसमें चाहता हूं, वह मुझ से चेम्बर में ली जा सकती है या सचिवालय से ली जा सकती है। यहां ऐसे प्रश्न प्रक्रिया के अन्तर्गत उठाये जाने भी उचित नहीं हैं। ऐसी स्थिति में आप यदि सहयोग दे सकें समय को बचाने के आधार पर तो भविष्य में यह प्रश्न मुझ से आप 15 मिनिट, 10 मिनिट मेरे चेम्बर में बैठकर कर सकते हैं। इस संबंध में विचार-विमर्श कर सकते हैं और उसकी जानकारी ले सकते हैं। तो भविष्य में आपके इस प्रक्रिया के अन्तर्गत जो प्रश्न आते हैं उनके संबंध में समय को बचाने हेतु मुझसे वहां जानकारी लिया करें तो उचित होगा।

आज जो स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं उनको मैंने अस्वीकृत किया है सिवाय एक के जो श्री कृष्णकुमार गोयल द्वारा प्रस्तुत है। उस पर मैं आज विचार करके उनसे बातचीत करके चेम्बर में निर्णय दूंगा।

**श्री देवीदत्त** (बारां) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल जब राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण के अन्दर बारां नगर के अन्दर कालेज खोलने के बारे में घोषणा की तो मैं यह मानकर चलता हूं कि राजस्थान सरकार ने राज्यपाल महोदय को इसकी सूचना दी है ........

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर, माननीय सदस्य, आर्डर।

**श्री देवीदत्त** : माननीय अध्यक्ष, यह प्रश्न बड़े महत्व का है। वहां पर असन्तोष की भयंकर ज्वाला भड़क रही है......

**श्री अध्यक्ष** : आसन अपने पैरों पर खड़ा है तो आप बैठ जायें। मैं अभी निवेदन कर रहा था कि आपके सहयोग की अपेक्षा है।

**श्री गिरधारीलाल व्यास** (आसींद) ज्वाला भड़क रही है तो ठंडी कीजिये आप।

**श्री अध्यक्ष** : इस प्रश्न पर आप बातचीत करना चाहें तो मुझसे चेम्बर में बातचीत कर लें। सदन में इस प्रश्न को उठा कर माननीय सदस्यों का समय नहीं लें।

**श्री देवीदत्त** : माननीय अध्यक्ष ....

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर !!

**श्री देवीदत्त** : माननीय अध्यक्ष, मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं सेशन नजदीक आने वाला है। ठीक एक साल तक कालेज चला है। उसमें जनता का एक लाख रुपया लगा हुआ है। वहां की दरिद्र जनता ने भूखों मरकर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए एक लाख रुपया चन्दा इकट्ठा करके दिया है।.......

**श्री अध्यक्ष** : मैं आपकी समस्या का समाधान........

**श्री देवीदत्त** : वहां पर कालेज को तोड़ने का काम इस बात का प्रतीक है कि आज राजस्थान के शिक्षा मंत्री और मुख्य मंत्री दलगत राजनीति में फंसे हुए हैं।

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर ! माननीय सदस्य, आर्डर !! आपकी समस्या का समाधान इस आधार पर हो सकता है कि जब आप अभिभाषण पर बोलेंगे तो इस प्रश्न को वहां पर उठा दीजियें। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन कर देता हूं कि अपने भाषण में इसका निराकरण कर दें, नम्बर 1। नम्बर 2 यह है कि और भी आप संतुष्ट होना चाहें तो माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि वे आपके साथ चेम्बर में बैठकर इस प्रश्न को सुलझा दें, आपको समझा दें। इसलिये इसको यहां न उठायें।

**श्री नत्थीसिंह** (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न उठा उस पर आपने जो व्यवस्था दी है वह सही है.....

**श्री अध्यक्ष** : श्री खेतसिंह !

**श्री नत्थीसिंह** : लेकिन परम्परा यह रही है कि जो मसले महत्वपूर्ण होते हैं तो उस पर माननीय मंत्री महोदय अपना बयान देते रहे हैं। आगे इस परम्परा को जारी रखना है। समय को खत्म करने या समय दिलाने वाली बात का प्रश्न नहीं है। बहुत से प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं और हर सदस्य अभिभाषण पर नहीं.......

**श्री अध्यक्ष** : परम्परा चालू रहेगी। उसी परम्परा को दृष्टिकोण में रखते हुए मैंने कहा कि बातचीत करके समझ लें। यह परम्परा को हटाना नहीं है।

**श्री खेतसिंह** !

**श्री नत्थीसिंह** (भरतपुर) : माननीय अध्यक्ष, एक व्यवस्था का प्रश्न है। कल मैंने एक स्थगन-प्रस्ताव 7 मार्च को गोलीकाण्ड के विषय में जो लोग जयपुर शहर में शहीद हुए हैं उनको श्रद्धान्जलि अर्पित करने के लिए प्रस्तुत किया था। उस प्रस्ताव पर अध्यक्ष महोदय ने अनुमति भी दी थी, और यह कहा था........

**श्री अध्यक्ष** : मैं समझ गया। मैं इसका निराकरण कर देता हूं। मैं इस बारे में निवेदन करूंगा कि जो भी बातचीत कर सकता हूं चेम्बर में बैठकर, और आपसे भी बातचीत की है। वहां मैंने चेम्बर में निवेदन किया था, चैम्बर की बात यहां पर अर्ज नहीं करना चाहिए फिर भी मैंने कल कुछ माननीय सदस्यों से उस प्रस्ताव के संबंध में बातचीत की चेम्बर में और जिन से बातचीत की है वे माननीय सदस्य अपने आप समझते हैं कि उसका उल्लेख करना उचित नहीं है........

**श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : अवश्य करें, वे मानने वाले नहीं हैं।

**श्री अध्यक्ष** : आपका कोई कमिटमेंट नहीं है। यह तो मैं......

**श्री भैरोंसिंह** : कम्प्रोमाइज है।

**श्री अध्यक्ष** : कम्प्रोमाइज का एलिमेंट हो सकता है कुछ। उनसे मैं यह निवेदन कर रहा था कि उस प्रस्ताव पर मैंने जो व्यवस्था दी थी सीमा और समय के प्रश्न पर विचार-विमर्श करना आवश्यक है। अभिभाषण आरम्भ हो रहा है। मेरा कहना यह है कि अभिभाषण आरम्भ हो रहा है और बिजीनेस एडवाइजरी कमेटी में इसको पुनः रख देता हूं और माननीय सदस्य उसमें होंगे। उस पर निर्णय लिया जा सकेगा।

# Page No.19



**श्री हीरा** (कुशलगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो आपके समक्ष एक स्थगन प्रस्ताव रखा है उसके बारे में मैं आपसे....

**श्री अध्यक्ष** : मैं इसका चेम्बर में निराकरण करूंगा। वहां आपकी मुलाकात मुझ से होगी।

**श्री हीरा** : अध्यक्ष महोदय....

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर! आर्डर!!

**श्री हीरा** : मेरा व्यवस्था का प्रश्न तो आप सुन लें।

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर! आर्डर!! माननीय सदस्य! आपको मौका मिलेगा भाई, आगे और प्रश्न हैं! आर्डर!

**श्री हीरा** : अध्यक्ष महोदय, मिलने का सवाल है....

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य....

**श्री हीरा** : वह तो मिलेगा। लेकिन अकाल से, भूख से लोग मर रहे हैं। एक लीला औरत भूख से मर गई।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य! आप के लिए मैं निर्णय दे देता हूँ।

**श्री हीरा** : और इसलिए ही मैंने स्थगन प्रस्ताव आपके समक्ष पेश किया है।

**श्री अध्यक्ष** : आसन खड़ा है, कृपा करके आप आसन ग्रहण करें। आपके स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में, जब आप अभिभाषण पर वाद विवाद में भाग लेंगे, तब प्रश्न उठा सकते हैं। दूसरे में सम्बन्धित मंत्री महोदय से भी निवेदन करूंगा कि वह अपने उत्तर में आपके प्रश्न का निराकरण कर देंगे।

**श्री नत्थीसिंह** (भरतपुर): अध्यक्ष महोदय, हरएक माननीय सदस्य वादविवाद में भाग ले, यह न तो सम्भव है और न जरूरी है। इसलिए ही इन्होंने एक स्थगन प्रस्ताव रखा है।

**श्री अध्यक्ष**: अस्वीकार कर दिया है।

**श्री नत्थीसिंह**: स्थगन प्रस्ताव पर अभी बोलने का मौका नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा।

**श्री अध्यक्ष** : अस्वीकार कर दिया है। यस! अस्वीकार कर दिया है, माननीय सदस्य!

**श्री खेतसिंह** (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्यपाल महोदय को निम्नलिखित शब्दों में धन्यवाद प्रस्तुत किया जाय...

**श्री भैरोंसिंह**: अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है.....

**श्री हीरा** : अध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा में अकाल पड़ा हुआ है लेकिन चुनाव के बाद वहां पर काम बन्द कर दिए हैं। काम बन्द करने के कारण लोगों को दो-दो, तीन तीन महीने से पगार नहीं मिली है, लोग भूख से मर रहे हैं। एक लीला औरत, जो गर्भवती थी, वह मर गई है। इस प्रकार वहां सरकार द्वारा रिलीफ एक्ट का हनन किया जा रहा है। इसके अलावा जो गवर्नमेन्ट के द्वारा मजदूरी दी जाती है वह चार आना, छः आना रोज मजदूरी दी जाती है। इस प्रश्न को आप टालने की कोशिश मत कीजिए।

# Page No.20



**श्री अध्यक्ष** : आर्डर ! आर्डर !!

**श्री हीरा** : मैं अदब के साथ आपसे निवेदन करूंगा कि गवर्नमेन्ट इसकी जानकारी हमें करा दे और इसका समाधान करा दे।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य !

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : बैठ गए साहब !

**श्री अध्यक्ष** : कृपा की। आपने कृपा की। श्री खेतसिंह !

**श्री मुकुटबिहारीलाल** (बयाना) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का सवाल है।

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर ! आर्डर प्लीज !! आर्डर !!!

**श्री खेतसिंह** : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं.....

(शोरगुल)

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज !

**श्री खेतसिंह** : कि राज्यपाल महोदय को निम्नलिखित शब्दों में धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय .....

**श्री मुकुटबिहारीलाल** : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है .....

**श्री खेतसिंह** : इस सत्र में समवेत विधान सभा के सदस्य, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए...

**श्री मुकुटबिहारीलाल** : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है....

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज ! पाइन्ट आफ आर्डर है, मिस्टर खेतसिंह !

**श्री भगलाल** (हिन्डौन) : व्यवस्था का प्रश्न है।

**श्री अध्यक्ष** : आमने सामने न बोलें, माननीय सदस्य ! आसन है आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए। आप कर सकते हैं। Will not cross the floor.

**श्री नत्थीसिंह** : आसन जब अपने चरणों पर खड़ा है तो यह क्यों खड़े हैं।

**श्री अध्यक्ष** : यह उनसे नहीं मुझसे कहिए।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : अध्यक्ष महोदय, रूल्स आफ बिजनेस की एक किताब आप इन्हें दे दीजिए जिससे इन्हें मालूम हो जाय कि आसन जब खड़ा है तो यह बैठ जायं।

**श्री अध्यक्ष** : शनैः शनैः सब हो जायगा।

**श्री खेतसिंह** : हमें सब अनुभव है।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : व्यवस्था का सवाल था और आप बोल रहे थे।

**श्री मुकुटबिहारीलाल** : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आज जो पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी है, संसदीय प्रणाली है–उसका एक प्रासीजर होता है और वह कानून और नियमों के अनुसार चलता है। हमारे इन नियमों के अन्तर्गत कहीं कोई प्रावधान नहीं है कि कोई जीरो आवर रखा जाया करे, जिसके अन्तर्गत वह माननीय सदस्य जो कि चेम्बर के अन्दर जाकर किसी चीज का समाधान न कर पायें, वह सदन के अन्दर कोई सूचनायें प्राप्त कर सकें, या जैसे कोई एडजोर्नमेन्ट मोशन होता है, कोई अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न होता है या कोई और चीज होती है तो उसको वह

**(श्री मुकुटबिहारीलाल)**

जीरो आवर में रख सकें। हमारे नियमों के अन्तर्गत ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, हमारे यहां के नियम इस सम्बन्ध में साइलेंट हैं, वह चुप हैं। ऐसी स्थिति में हमने यदि कोई एडजोर्नमेंट मोशन भेजा और सदन की कार्यवाही चली हुई है तो जैसे ही प्रश्न आवर समाप्त होता है तो उसके बाद में माननीय सदस्यों का यह अधिकार हुआ करता है, संसदीय प्रणाली में यह एक तरीका हुआ करता है कि वह अध्यक्ष महोदय का किसी भी चीज की तरफ ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, कोई भी मामला वह उठा सकते हैं। मैं समझता हूं कि अभी जैसा अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिया गया कि माननीय सदस्य उनके चेम्बर में जाकर उनसे गुफ्तगू कर लें। लेकिन मैं समझता हूँ कि यह संसदीय प्रणाली के विपरीत चीज होगी। इसलिए मैं निहायत नम्रता के साथ निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस पर पुन: विचार करें.....

**श्री अध्यक्ष:** आर्डर प्लीज ! देखिए, मैं समझ गया सारा प्रश्न।

**श्री मुकुटबिहारीलाल:** एक मिनट !

**श्री अध्यक्ष :** इस तरह सदन का समय लेंगे तो बाद में, मुश्किल पैदा होगी। क्योंकि बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे। इसलिए अभी आप जो चार पांच मिनट ले लेंगे वह बाद में जाकर बहुत मूल्यवान सिद्ध होंगे। आपका जो व्यवस्था का प्रश्न है उसको मैंने आरम्भ से लेकर अन्त तक समझ लिया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपका व्यवस्था का प्रश्न है, उसमें आपके कथनानुसार नियम साइलेंट हैं, इनमें व्यवस्था नहीं है। फिर भी नियमों के अनुसार कुछ परम्परायें, सदन के प्रिसिडेंस के आधार पर, रूलिंग के आधार पर, व्यवस्थाओं के आधार पर बनती हैं। यह कोई नई बात नहीं है जो आपने कही है कि लोकसभा के अन्दर नियमों के आधार पर इस प्रकार की व्यवस्था है। जैसा मैंने कहा, लोकसभा के अन्दर और राज्य की अन्य विधान सभाओं के अन्दर प्रिसिडेंस, रूलिंग और व्यवस्थाओं के आधार पर इस प्रकार की मान्यतायें हैं। ऐसी मान्यता है इसलिए ही माननीय सदस्यों का सहयोग लिया है इस समय को बचाने की दृष्टि से। इसलिए आपका यह जो व्यवस्था का प्रश्न है, यह नहीं उठता है।

अब मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि अभी हम व्यवस्था का यह प्रश्न, वह प्रश्न उठायें, यह समय की दृष्टि से उचित रूप में नहीं होगा। अभी माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, उसके बाद में दूसरे माननीय सदस्य बोलेंगे।

**श्री मुकुटबिहारीलाल :** प्रश्न आवर में समाप्त हो जायगा। अभी प्रश्न आवर का समय समाप्त होने वाला है।

**श्री भैरोंसिह :** अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है।

**श्री अध्यक्ष :** किस सम्बन्ध में ?

**खाद्य व अकाल स्थिति पर विचार हेतु समय निर्धारित करने संबंधी**

**श्री भैरोंसिह :** अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना है कि शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य श्री खेतसिंह अपना प्रस्ताव रखें उसके पहले में एक निवेदन करना चाहता हूं कि यह सदन कई दिनों से मिल रहा है लेकिन तब से यह पहला दिन है जब सदन के माननीय

**(श्री भैरोंसिंह)**

सदस्य वादविवाद कर सकेंगे। यह बात ठीक है कि समय बहुत कम है लेकिन आज राजस्थान के सामने अन्न का संकट है, अकाल की जो प्राबलम हैं, पानी का संकट है–जिनको हमें अलग से डिस्कस करना चाहिए। जो गवर्नर महोदय का एड्रेस है, उसको आपने पढ़ा है और मैंने भी पढ़ा है। गवर्नर महोदय के एड्रेस के अन्दर सिवाय स्टेटिसटिक्स के और कुछ नहीं है। इसके अतिरिक्त आज जो बर्निग प्राबलम्स हैं राजस्थान की पब्लिक के सामने वह अनाज की है, मंहगाई की है, अकाल की की है और पानी की है। इन चारों मुद्दों पर न तो एड्रेस के अन्दर कुछ उल्लेख है और न ही सरकार के द्वारा विधान सभा के सदस्यों की सूचना के लिए कोई सामग्री दी है, सिवाय एक खाद्य समस्या के ऊपर नोट के। यह नोट तो मिला है, बाकी और कोई लिट्रेचर नहीं मिला है और न इन पर बहस करने का मौका मिल रहा है। इसलिए मैं चाहूंगा कि गवर्नर के एड्रेस पर वादविवाद को तो पोस्टपोन किया जा सकता है। इस वादविवाद को तो पोस्ट-पोन किया जाय और पहले इन मसलों पर हम विचार करें। आज राजस्थान के लोगों के सामने जो अन्न का संकट आ रहा है उसका आगे समाधान किस प्रकार से होगा, आज जो मंहगाई है उस पर कंट्रोल किस प्रकार से किया जा सकेगा, जो पानी का संकट है उसको दूर करने के लिए पानी की सुविधा किस प्रकार से उपलब्ध कराई जायगी, और अकाल से पीड़ित जो लोग हैं उनको किस प्रकार से राहत मिलेगी। यह इस प्रकार के प्रश्न हैं जिनकी ओर सदन का ध्यान निश्चित रूप से शीघ्रता से जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सरकारी पक्ष के लोग सरकारी पक्ष की विजय के उल्लास में इन चीजों को इग्नोर करके यह चाहते हैं कि गवर्नर एड्रेस पर धन्यवाद प्रस्ताव पास हो जाय। यदि राजस्थान की जनता भूख से मरती है तो उन्हें इसका बिल्कुल चिन्ता नहीं है, यदि राजस्थान की जनता प्यास से मरती है तो उन्हें इसकी चिन्ता नहीं है, लोगों को बोलने का मौका यहां पर मिले या न मिले इसकी उन्हें चिन्ता नहीं है, इस सदन के सदस्यों को जनता के ग्रिवियेन्सेज को पुट अप करने का मौका मिले या न मिले-उन्हें इस बात की भी चिन्ता नहीं है। लेकिन सरकार यह समझ ले कि आज जो लोकतंत्रीय प्रणाली है, इस लोकतंत्रीय प्रणाली के अन्दर अविश्वास के प्रस्ताव को लेकर और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर वाद-विवाद के प्रश्न को लेकर विरोधी दल और सरकार के बीच में इन प्रश्नों को लेकर काफी खींचातानी हुई थी और भारत की प्रधान मंत्री को यह स्वीकार करना पड़ा था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर वाद-विवाद हो या अविश्वास प्रस्ताव पर वाद-विवाद हो–उसके पहले यह आवश्यक है कि देश की खाद्य समस्या पर सदन विचार करे। इस प्रकार का निर्णय लोक सभा में हुआ था। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार इस एड्रेस को जल्दी से जल्दी खत्म करके विधान सभा को स्थगित करना चाहती है। सरकार की इस मंशा को देखें तो सरकार का यह भाव प्रगट होता है कि वह खाद्य समस्या के प्रश्न को इग्नोर करना चाहती है। इन समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए वह तैयार नहीं है। केवल गवर्नर के एड्रेस पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद को हम खाद्य समस्या, अकाल समस्या, पानी की समस्या और मंहगाई की समस्या तक ही सीमित रखने का प्रयास करें तो इसका मतलब होता है कि और जो प्राबलम्स हैं, जो राजस्थान की पोलिटिकल प्राबलम्स हैं, जो

(श्री भैरोंसिंह)

इकानामिक प्रावलम्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्राबलम्स हैं—उन सब प्रावलम्स को इस सदन के सामने नहीं रखा जाय। मैं समझता हूं कि ऐसा करना पब्लिक के साथ बहुत बड़ी डिस्सर्विस होगी। यह डिस्सर्विस न हो सके इसलिए मेरा निवेदन है कि खाद्य समस्या, अकाल समस्या और पानी की समस्या—इन प्रश्नों के ऊपर इस सदन में किस समय बहस होगी—अच्छा तो यह है कि यह बहस आज ही शुरू हो, इस पर अगर सरकार की विवशता हो कि यह बहस आज शुरू नहीं कर सकते तो सदन बाद में एडजोर्न हो और उससे पहले इन सब समस्याओं पर वाद-विवाद हो। इस प्रकार का चेअर की तरफ से हम एश्योरेन्स चाहते हैं। यदि इस प्रकार का एश्योरेन्स नहीं मिलता है तो विरोधी दल के सदस्यों को बैठ कर यह सोचना पड़ेगा कि इस फार्मेलिटी को पूरा करने के लिए, जो गवर्नर महोदय ने अभिभाषण दिया और जिसमें केवल स्टेटिसटिक्स रखे हैं उसके लिए धन्यवाद देने के लिए—जनता की गाढी कमाई का पैसा—तीन दिन पैसा खर्च करना चाहते हैं या कि तीन दिन और बाकी समस्याओं का समाधान करने के लिए काम में लाना चाहते हैं।

(12 मध्यान्ह)

**श्री दामोदरलाल व्यास** (मालपुरा) : अध्यक्ष महोदय, किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य और जनसंघ के नेता ने जो बातें फेमिन, फूड और मंहगाई वगैरा के बारे में कहा कि उन पर वे बहस करना चाहते हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि यदि आप गवर्नर के एड्रेस को देखेंगे तो इसमें साफ तौर से फूड, फेमिन और ड्रिंकिंग वाटर और मंहगाई पर काफी उल्लेख किया गया है। इसलिये माननीय सदस्यों को इस पर कहने का काफी मौका मिलेगा और हम इन सभी मसलों पर विचार करेंगे। मैं उनके इस कथन से सहमत हूं कि यह मसला बहुत महत्व रखता है। मुझे इस पर कोई ऐतराज नहीं होगा अगर इस पर अलग से विचार किया जाए। मगर मैं यह निवेदन करूंगा कि आपस में बैठ कर इसको तय कर लें। माननीय अध्यक्ष ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बनाई है उसमें इस पर विचार कर सकते हैं। सरकार की कभी भी यह मंशा नहीं है कि हम इसको टालना चाहते हैं। इसकी आवश्यकता को जितना विरोधी दल के सदस्य समझते हैं उतना हम भी समझते हैं। आप इसके बारे में जितने रचनात्मक सुझाव दे सकते हैं दीजिये। आप हरगिज यह बात मन में मत लाइये कि सरकार इसको टालना चाहती है। हम आपसे बातचीत करके अगर समय निर्धारित करने की आवश्यकता हुई तो हमें कोई ऐतराज नहीं होगा। हम इस पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में विचार कर लेंगे। इस पर अलग से बहस करना है तो हम अलग से कर लेंगे। बहरहाल आपको गवर्नर के भाषण पर बोलने में काफी बातें हैं और इस मसले पर आप बहस कर सकते हैं। सरकार की नीति है उसको सामने रखने का मौका मिलेगा।

फूड पर आपको लिटरेचर दिया गया है और फिर भी कोई लिटरेचर होगा तो हम आपको देने की कोशिश करेंगे।

**श्री मदनसिंह दांता** (दांतारामगढ़) : आप हमें यह विश्वास दिलाइये कि हम इसको आगे लेंगे।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, अभी सरकार

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

के सामने तीन चार बातें रखी गईं। अगर सरकार की तरफ से इस बात की व्यवस्था हो जावे कि इन दो तीन प्रश्नों को अलग से सदन में लिया जावेगा और उन पर विचार किया जावेगा तो सदन के सदस्यों को धन्यवाद के प्रश्न पर बोलने में सुविधा रहेगी और इन प्रश्नों पर वे अपने विचार अपने भाषणों में व्यक्त नहीं करेंगे। अगर उन पर अलग से विचार करना है तो इस समय बता दिया जाए। जो धन्यवाद के प्रस्ताव में भाषण देने वाले हैं अपना ध्यान दूसरी बातों की ओर देंगे। इसलिये सरकार की तरफ से यह निश्चित हो जावे कि इसके बारे में अलग से विचार होगा और वह कौन से दिन होगा। एक दिन होगा या दो दिन होगा। इसको हम बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में बैठ कर तय कर लें, मुझे कोई ऐतराज नहीं हैं। मगर आप उसके लिये समय और दिन निश्चित करें। अगर इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय, कोई घोषणा हो जाती है तो हम इस पर नहीं बोल कर अपने रचनात्मक दृष्टिकोण से क्रिटिसीज्म और सजेशन्स उस समय दें और अभी उन मुद्दों पर न आवें।

**श्री दुर्गालाल बाढ़दार** (हवामहल जयपुर): अध्यक्ष महोदय, अभी मन्त्री महोदय ने इस पर जो फरमाया, उससे मैं यह निवेदन करूंगा कि इसकी महत्वता को तो राज्य पक्ष भी मानता है और इस बात को राज्य पक्ष भी समझता है कि इस पर विचार किया जाना आवश्यक है। लेकिन साथ में यह भी कहा जाता है कि गवर्नर की स्पीच में पूर्ण रूप से विचार किया है और लोगों को उस पर बोलने का काफी अवसर मिलेगा। अगर इसके लिये कोई समय निश्चित नहीं करेंगे और गवर्नर के स्पीच पर पूरा वाद-विवाद हो जावेगा तो हर आदमी अपनी अपनी बात को व्यक्त करेगा और फिर राज्य पक्ष की ओर से यह दलील दी जावेगी कि इस पर विचार कर लिया गया है और अलग से बहस करने की आवश्यकता नहीं है।

**श्री अध्यक्ष** : मैं आपका आशय समझ गया। सीमा और उसमें परिस्थितियें सब समझ गया। श्री रामानन्दजी आप कुछ फरमा रहे थे।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर): अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का निर्माण किया है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आज ही बहस आप करना चाहते हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि विशेष तौर पर लेजिस्लेटिव वर्क जो इस एसेम्बली के सामने है यदि आज उसको ले लिया जावे और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में पूरा प्रोग्राम टेण्टेटिव प्रोग्राम बना लिया जावे और आज राज्यपाल महोदय के भाषण पर बहस शुरू न करके राज्य के अन्य प्रशासनिक कार्य को ले लिया जावे तो ज्यादा उचित होगा और जो प्रश्न माननीय सदस्य भैरोंसिंहजी ने उठाया है उसमें चार बातें हैं उन पर एडवाइजरी कमेटी में तय होने के बाद में विचार हो तभी यह सम्भव हो सकता है। इसलिये मेरा यह सुझाव है।

**श्री अध्यक्ष** : जो प्रश्न उठाया गया है वह निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। दो प्रश्न विचारणीय हैं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद स्थगित किया

(श्री अध्यक्ष)

जा कर इस महत्वपूर्ण प्रश्न को पहले लिया जावे अथवा बाद में लिया जावे अथवा लिया ही न जावे। इस प्रकार के तीन चार प्रश्न हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा लोक सभा का उदाहरण दिया गया कि नो-कोन्फीडेन्स मोशन लोक सभा ने पहले लिया और राष्ट्रपति के भाषण को बाद में लिया। मगर वह स्थिति यहां पर लागू नहीं होती। इस सदन की यह परम्परा रही है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद को प्राथमिकता दी जावे और उसके बाद दूसरे प्रश्न लिये जावें। यह एक सदन की परम्परा सी रही है लेकिन मैं इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं देना चाहता।

लेजिस्लेटिव बिजनेस के सम्बन्ध में कहा गया, मैं कहूंगा कि कोई लेजिस्लेटिव बिजनेस नहीं है सदन के सामने। इसलिये जैसा कि श्री भैरोंसिहजी ने सुझाव दिया और उधर राज्य की ओर से सुझाव आया, यह बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग अभी होने वाली है वह इस संबन्ध में विचार करके तय करेगी कि इसको लिया जाना कब उचित होगा अथवा इसको कब लिया जावे और कब नहीं लिया जावे इस प्रश्न पर निर्णय ले लें। रहा यह प्रश्न जैसा कि अभी माननीय सदस्य श्री सतीशचन्द्र ने कहा कि बोलने वाले अपने भाषण में इस सम्बन्ध में प्रश्न उठावें या नहीं, अगर अलग से इस पर डिबेट होगी तो संभवतः इस पर प्रश्न नहीं उठावें। ये प्रश्न महत्वपूर्ण हैं।

बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होने के पूर्व खेतसिंहजी बोलेंगे और देवपुराजी बोलेंगे। इसलिये वे प्रश्न वैसे ही रह जावें और एडवाइजरी कमेटी के सामने आने के पूर्व इस प्रश्न को हल करने में मुश्किल होगी। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इसको दूर रखें और जिन माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया है वे ही माननीय सदस्य कमेटी के सक्रिय सदस्य हैं। मैं आपके सहयोग से आगे बढ़ना चाहता हूं।

**श्री भैरोंसिंह** : आपने माननीय सदस्य को बडी ओक्वर्ड पोजीशन में डाल दिया है। फूड समस्या और जल समस्या पर कुछ भी नहीं बोलेंगे।

**एक माननीय सदस्य** : आप कोई भी पाइंट अछूता नहीं छोड़ेंगे।

**श्री बरकतुल्ला खां**: आपको इसके लिए शुक्रिया।

**श्री हीराभाई** (कुशलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

**श्री अध्यक्ष** : क्या है कहिये।

**श्री हीराभाई** : जिस समस्या को हम खड़ा करना चाहते थे उसको हल करने के लिए हमें आश्वासन जो मिला उसके बारे में हम धन्यवाद देंगे। लेकिन परिस्थिति यह है कि वह स्थगन प्रस्ताव तो आपने रिजेक्ट कर दिया ....

**श्री अध्यक्ष** : ऑर्डर ऑर्डर ! आप बैठिये। यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

**श्री नत्थीसिंह** (भरतपुर) : ये पेट की ज्वाला से पीडित हैं।

**श्री अध्यक्ष** : इसलिए मैं निवेदन करूंगा

(श्री अध्यक्ष)

कि व्यवस्था का प्रश्न दूसरा है । पास में बैठे हुए मुकुटबिहारीजी आप इनको समझाइये । यह अस्वीकार किया जाता है । यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । इसको अस्वीकार किया जावे ।

**श्री हीराभाई** : मेरी मंशा यह नहीं थी

**श्री अध्यक्ष** : आॅर्डर आॅर्डर ।

**श्री खेतसिंह** : आपके पेट की ज्वाला शांत की जावेगी ।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : आपने अभी सदन को सूचित किया कि इस सदन के समक्ष कोई लेजिस्लेटिव बिजनेस नहीं है तो क्या मैं समझूं कि कई आर्डिनेन्सेज राज्य सरकार ने जारी किये थे, उनको रिप्लेस करने के सम्बन्ध में बिल्स नहीं लाये जायेंगे । राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में इस सदन में दो बिल्स लाने के सम्बन्ध में फरमाया था एक तो राजस्थान अध्यादेश, 1966 के सम्बन्ध में और दूसरा है राजस्थान सशस्त्र आरक्षी अधिनियम के सम्बन्ध में ।

**श्री अध्यक्ष** : मैं उसको समझ गया । इन चार दिनों के एजेन्डा पर नहीं है ।

**श्री सतीशचन्द अग्रवाल** : इस सेशन में तो आयेंगे न ?

**श्री अध्यक्षः** यह मैं बाद में निवेदन कर सकूंगा ।

(12.11 म.प.)

**राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव एवं वाद–विवाद ।**

**श्री खेतसिंह** (शेरगढ) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि राज्यपाल महोदय को निम्नलिखित शब्दों में धन्यवाद प्रस्ताव प्रेषित किया जाय :

"इस सत्र में समवेत विधान सभा के सदस्य, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिये, जो उन्होंने कृपापूर्वक सदन में दिया है, अत्यन्त कृतज्ञ हैं ।"

अध्यक्ष महोदय, तारीख 4-5-67 को जो राज्यपाल महोदय ने अपना अभिभाषण राजस्थान विधान सभा में दिया वह वास्तव में बहुत प्रभावशाली और महत्वपूर्ण था । उन्होंने अपने अभिभाषण के प्रारम्भ में चतुर्थ आम चुनावों की चर्चा की है, जैसा कि उन्होंने अपने अभिभाषण में बताया कि पूरे देश में शान्तिपूर्ण ढंग से चतुर्थ आम चुनाव सम्पन्न हुए । खास तौर से राजस्थान के लिये कहना चाहता हूं कि राजस्थान में चौथे आम चुनाव बहुत ही शान्तिपूर्ण ढंग से हुए हैं । कहीं कोई ऐसी घटना नहीं घटी, कोई ऐसी बात नजर नहीं आई कि जिससे यह कहा जाय कि कोई गड़बड़ या रोला टंटा हुआ हो । वास्तव में देखा जाय तो चुनावों के पहले जो वातावरण प्रान्त में और सारे देश में था, उससे लोगों को ऐसा लगता था कि चौथे आम चुनाव शान्तिपूर्ण ढंग से नहीं होंगे । विभिन्न पार्टियों के चुनाव प्रचार चलते थे, उनसे ऐसा लगता था कि गडबड होगी, कहीं गौवध के नाम से, कहीं और और नामों से गड़बड़ होगी पर जब चुनाव सम्पन्न हुये तो हमें पता लगा कि कहीं भी कोई ऐसी घटना नहीं घटी । कहीं भी री-पोलिंग हो ऐसी घटना नहीं घटी ।

12,913 मतदान केन्द्रों पर मतदान हुआ था, इतना शान्तिपूर्ण ढंग से चुनाव हुआ कि कहीं पर किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई ।

(श्री खेतसिंह)
3 दिनों में पूर्ण प्रदेश में चुनाव सम्पन्न करा दिये गये और दो दिनों में पूरे प्रान्त में रिजल्ट्स भी घोषित कर दिये गये, यह बहुत महत्वपूर्ण घटना है। जिसके लिये राज्यपाल महोदय, राज्य सरकार और सरकारी कर्मचारी जिन्होंने इन चुनावों में कार्य किया, सभी धन्यवाद के पात्र हैं।

इसके अलावा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के, पैराग्राफ 3, पृष्ठ 3 में जो बात बताई गई है उसकी और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उन्होंने अपने अभिभाषण में फरमाया है कि--

"छोटे काश्तकारों को राहत देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जिन काश्तकारों के पास 1 अप्रेल, 1967 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 (1) के अन्तर्गत नियमों में जो न्यूनतम कृषि भूमि थी, उनसे अब भू-राजस्व नहीं लिया जावेगा।"

यह वास्तव में बहुत ही सराहनीय कार्य है.

**श्री हीराभाई** : यह तो 20 साल से फैसला कराया है

**श्री खेतसिंह** : 20 साल से नहीं

**श्री मुकट बिहारीलाल** : जब से यह लागू होगा तब तक यह सरकार रहने वाली ही नहीं है।

**श्री अध्यक्ष** : ऑर्डर ऑर्डर। आप तो आरम्भ रखिये, इधर उधर मत पड़िये।

**श्री खेतसिंह** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि इससे छोटे काश्तकारों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी, पर मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जब मैंने धारा 53 (1) देखी तो विभिन्न जिलों में विभिन्न भूमि अलॉट की गई है, इसको देखेंगे तो पता चलेगा कि इससे बहुत कम काश्तकारों को राहत मिलेगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि राजस्थान सरकार को इस दिशा में और कुछ सोचना चाहिये और इस छूट को रुपयों के रूप में कर दीजिये कि 5 रुपया तक की बीघोडी देने वाला, या इसी तरह की जो आवश्यक समझें मिकदार रुपयों के रूप में रख दीजिये कि इतना रुपया तक बीघोडी देने वाले से भू-राजस्व वसूल नहीं किया जायगा। वरना रेगिस्तानी इलाकों में इससे कोई राहत नहीं मिलेगी।

हो सकता है कि भरतपुर, अलवर, डूंगरपुर, बांसवाडा, आदि में जहां होल्डिंग्स छोटी छोटी है, आबादी ज्यादा है, वहां राहत मिलेगी पर जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर आदि में इससे कोई खास राहत मिलने वाली नहीं है। इसलिये राज्य सरकार का ध्यान खास तौर से इधर आकर्षित करना चाहता हूं। मूल्य के आधार पर, बीघोडी की दर के आधार पर एक हद तक भू-राजस्व नहीं लेने का सिद्धान्त तय कर दें तो इससे लोगों को राहत मिलेगी।

इसके साथ ही साथ भूमि सुधारों के बारे में राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में चर्चा की है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि भूमि सुधारों के बारे में राजस्थान बहुत प्रगतिशील रहा है। एक ही कानून है सीलिंग का जिसे लागू करना है। राजस्व मंत्री जी ने कोटा में कहा कि सीलिंग के कानून को

(श्री खेतसिंह)

इम्प्लीमेन्ट करने वाले हैं, राजस्व मंत्रीजी स्वयं अभी यहां उपस्थित नहीं हैं · · · · ·

**श्री अध्यक्ष** : बैठे हुए हैं।

**श्री खेतसिंह** : मैंने देखा नहीं। मैं खास तौर से उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि सीलिंग का कानून पास किया है उसके बाद से अब तक 10 करोड रुपए के खेतों का बेचान हो चुका है और इस प्रकार से अगर आप इस कानून को अब लागू करके उन सब लोगों से जिन्होंने खेत खरीद लिए हैं उनसे वापिस लेकर के और लोगों को देना चाहेंगे तो यह वास्तव में बडी भारी समस्या आपके सामने खडी हो जायगी। इसलिए निवेदन करना चाहूंगा कि जिन लोगों ने खरीद कर जमीनें ली हैं, वे अगर सीलिंग से हिट नहीं होते हैं तो उनकी यह खरीद वैध कर दें तो इससे उन लोगों को, और राजस्थान की जनता को लाभ होगा। मेरा ख्याल है कि विपक्ष के साथी भी इसमें बहुत प्रसन्न होंगे।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : बेचने वालों को टैक्स करना नहीं चाहते ?

**श्री हीराभाई** : जिन लोगों ने अपने पास सीलिंग से ज्यादा भूमि थी उसको बेच दिया, उनको आप यों ही छोड़ना चाहते हैं, हम इसमें कतई आपके साथ नहीं हैं, आपने यों ही कह दिया।

**श्री खेतसिंह** : अध्यक्ष महोदय, इसके आगे राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में पेन्शनर्स के लिए फरमाया है, वास्तव में छोटी पेन्शन पाने वालों को इस मंहगाई के जमाने में इससे बडी राहत मिलेगी। 100 से 200 रुपए तक की पेन्शन पाने वाले पेन्शनर्स हैं, छोटी सी पेन्शन पाने वाले हैं उनके लिए 12 रुपया महीने की वृद्धि की है, इससे उन लोगों को राहत मिलेगी। इसके लिए वास्तव में सरकार धन्यवाद की पात्र है।

**कई माननीय सदस्य** : एक सौ से नीचे वालों का ?

**श्री खेतसिंह** : 100/- से 200/- पाने वालों के लिए 12 रुपए प्रति माह की वृद्धि की गई है। 100/- के नीचे वालों की वृद्धि तो होगी ही। अगर आपका सहयोग रहेगा तो वह भी करवायेंगे।

**श्री मुकटबिहारीलाल** : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

क्या माननीय सदस्य ने जो अभी कहा उसको आश्वासन माना जाय ?

**श्री अध्यक्ष** : व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

**श्री मुकटबिहारीलाल** : अभी माननीय सदस्य ने कहा कि हम 100/- से कम पेन्शन पाने वालों की भी वृद्धि करवा देंगे। तो क्या सरकार की तरफ से यह आश्वासन माना जाय ?

**श्री अध्यक्ष** : उत्तर के बाद।

**श्री खेतसिंह** : मैंने कहा कि अगर आपका सहयोग रहेगा तो ऐसा हो सकता है।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य महोदय आप कृपया आसन की ओर देखें, नहीं तो समय ज्यादा लगेगा।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : आकर्षण की बात है, किधर ज्यादा आकर्षण होता है।

**श्री अध्यक्ष** : तो फिर आप रामानन्दजी की तरफ देखा करें।

**श्री खेतसिंह** : छोटे व्यापारियों को भी लाभ देने का इस अभिभाषण में जिक्र किया गया है। यह सही है कि सेल्स टैक्स कानून में काम्पलीकेशन्स होने की वजह से छोटे

(श्री खेतसिंह)
व्यापारी को तकलीफ रहती है। गांवों के अन्दर खास तौर से देखा गया है कि छोटे व्यापारी को कई प्रकार के लाइसेन्सेज लेने पड़ते हैं : धान का लाइसेन्स, घी-तेल का लाइसेन्स, किराने का लाइसेन्स, दवाइयों का लाइसेन्स। इस प्रकार छोटे व्यापारी को 6-7 प्रकार के लाइसेन्सेज रखने पड़ते हैं और हर व्यापार के लिए अलग तौर से राज्य सरकार की तरफ से इन्सपेक्टर मुकर्रर किए हुए हैं। वे इन्सपेक्टर्स सप्ताह, दो सप्ताह में दुकान पर विजिट करते रहते हैं जिससे एक छोटे व्यापारी की परेशानी बढ़ती है। इसलिए मेरा खास तौर से निवेदन है कि अगर इन सब लाइसेन्सेज को कम्बाइन करके एक ही व्यापार लाइसेन्स के नाम से ज्यादा दर पर लाइसेन्स दिया जाय तो छोटे व्यापारी को इससे लाभ होगा।

इसी प्रकार जनरल मरकंडाइज गुड्स के अन्दर जो बिक्री कर के रेट्स हैं वे दो प्रतिशत से लेकर 10 प्रतिशत तक वैरी करते हैं। एक ही आइटम लीजिए—जैसे हेयर आइल। अनपरफ्यूम्ड हेयर आइल पर दो प्रतिशत और परफ्यूम्ड आइल पर सात प्रतिशत कर हैं। उपभोक्ता के लिए आफत हो जाती है। जो होशियार व्यापारी होता है वह अनपरफ्यूम्ड पर भी 7 प्रतिशत ही चार्ज करता है। इसलिए जनरल मरकंडाइज पर जो सैल्स टैक्स हो वह एक ही दर से हो। याने 2 और 7 के बीच यदि साढ़े चार या पांच प्रतिशत कर दें तो व्यापारी को ज्यादा हिसाब भी नहीं रखना पड़ेगा और उपभोक्ता को भी नुकसान नहीं होगा।

**श्री मुकुटबिहारीलाल** : एक सूचना का सवाल है। मैं माननीय सदस्य के माध्यम से सूचना चाहूंगा कि क्या इस प्रकार के सुझाव देकर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर कोई संशोधन ला रहे हैं क्योंकि इसमें कमियां हैं? क्या अपनी तरफ से संशोधन पेश कर रहे हैं या वह काम हम करें?

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य अपना भाषण आरम्भ करें।

**श्री खेतसिंह** : मुझे सुझाव देने का हक है। क्योंकि धन्यवाद प्रस्ताव मैं पेश कर रहा रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं सुझाव नहीं दे सकता हूं।

**श्री जसराज** (भिनाय): अध्यक्ष महोदय, उनसे कहा जाय कि चेयर को एड्रेस करें।

**श्री अध्यक्ष** : आप आरम्भ रखें। सूचना का प्रश्न मुझसे पास होगा तब आपके पास आएगा।

**श्री खेतसिंह** : राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में अकाल और खास तौर से खाद्यान्न पर बहुत कुछ उल्लेख किया है। अकाल राजस्थान का बहुत बड़ा गंभीर विषय रहा है। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि इसके अन्दर पश्चिमी राजस्थान रेगिस्तानी इलाका है और इसी प्रकार से डूंगरपुर, बांसवाड़ा, आधा पहाड़ी इलाका आ गया और कुछ एरिया ऐसा है जिसमें वास्तव में दो फसलें हुआ करती हैं। बरसात अमूमन कम हुआ करती है और कहीं न कहीं अकाल की स्थिति बनी रहती है। एक कवि ने कहा है:—

पग पूगल धड़ कोटड़े, बाहां बाड़मेर।
भूल्यो चूक्यो जोधपुर, ठावो जैसलमेर।

मतलब अकाल की स्थिति ऐसी है कि अमूमन इस इलाके में रहता ही है और रहने का कारण यह है कि यह रेगिस्तानी इलाका है। वहां

(श्री खेतसिंह)

वनस्पती कम और चारा है नहीं। जब राजस्थान नहर परियोजना पूरी हो जायगी उसके बाद में जब वहां पर लोग पहुंचेंगे उसके बाद की बातें अलग हैं लेकिन उसके पूर्व रेगिस्तान आगे बढ़ रहा है और इस वजह से इन इलाकों के अन्दर वास्तव में गर्मियों के दिनों में भयंकर परिस्थिति रहती है। गत वर्ष जैसे आपको मालूम है, बाड़मेर के ऐसे कई गांव थे जहां बिल्कुल बारिश नहीं हुई। आप उन गांवों की स्थिति अपने दिमाग में सोचें, लोगों की हालत क्या हुई होगी। वे लोग जब चारे की तलाश में अपने मवेशियों को लेकर दूसरे प्रदेशों में गए तो रास्ते में कितने ही मवेशी खत्म हो गए। उस समय मेरे वे मित्र जो गौभक्त कहलाते हैं, नजदीक से भी नहीं देखे जाते थे...

**श्री भैरोंसिंह:** भेड़ मरने पर गौभक्त नहीं देखे जाते, आप जैसे देखे जाते थे।

**श्री खेतसिंह:** क्योंकि मैं वहां सेवा करता हूं और आप तो किशनपोल बाजार, जयपुर में बैठे रहते हैं।

**एक माननीय सदस्य:** आजकल सुखाड़ियाजी की चापलूसी करते हैं।

**श्री खेतसिंह:** आज भी कई गांवों के अन्दर पानी पाने के साधन नहीं हैं। उन गांवों के अन्दर कई मवेशियों को 4 कोस ले जाकर पानी पिलाया जाता है। हालांकि राज्य सरकार ने प्रयत्न किए हैं और किए जा रहे हैं किन्तु ईश्वरीय कोप के फलस्वरूप वहां नलकूप भी खुदवाए जाते हैं तो भी खारा पानी निकलता है। अतः मैं राजस्व मंत्री से निवेदन करता हूं कि उन इलाकों के अन्दर जहां तालाब हैं और उनको खोदकर बड़ा किया जा सकता है, उनके लिए व्यवस्था करनी चाहिए। राज्य सरकार पहले इस प्रकार के तालाबों के लिए पैसा दिया करती थी लेकिन अब बन्द कर दिया गया है। मेरा निवेदन है कि उन तालाबों को खोदने से वहां की ग्रामीण जनता को वास्तव में बहुत बड़ी राहत मिलती है और इसलिए उनको इस प्रकार की मदद मिलनी चाहिए।

फेमिन कोड के अन्दर जो पुरानी रेट्स हैं वह इतनी कम हैं कि मजदूर का पेट भी नहीं भरता, इसलिए उन रेट्स को रिवाइज करना चाहिए और मंहगाई को मद्देनजर रखते हुए, एक गरीब मजदूर जो दिन भर सड़क पर रेत डालता है जिसके घर में खाने-पीने के साधन नहीं हैं, बगैर किसी पेड़ की छाया में काम करता है उनको जो परेशानी होती है, उनकी रेट्स जरूर बढ़नी चाहिए थी लेकिन नहीं बढ़ाई गई। उनको जो खाना मिलता है वह पर्याप्त नहीं है।

इसके अलावा अकाल के सिलसिले में जो सड़कें चल रही हैं वहां मजदूरों के लिए जो धान भेजा जाता है वह खराब किस्म का अनाज है। यह सही है कि अपने पास पर्याप्त मात्रा में धान नहीं है लेकिन फिर भी आपका प्रयत्न होना चाहिए कि जो धान भेजें वह सुला हुआ तो न हो या उसमें इल्ली न हो। इससे मजदूरों को परेशानी होती है।

आपको डेजर्ट के लिये खास तौर से एक स्कीम बनानी चाहिये जिस प्रकार से भारत सरकार ने डेजर्ट डेवलपमेन्ट बोर्ड बना रक्खा है उसी प्रकार का कोई बोर्ड आदि बना कर ही यहां इस प्रकार का काम किया जा सकता है। यह एक विशेष समस्या राजस्थान की है इसको हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं इसके सभी पहलुओं पर ध्यान करने के

(श्री खेतसिंह)

लिये एक उच्च स्तरीय बोर्ड बनाया जाय। खास तौर से डेजर्ट की समस्याओं के समाधान के लिये, उनको स्टडी करके उनका हल करने का प्रयत्न करना आवश्यक है, इस डेजर्ट को मिटाना बहुत आवश्यक हो गया है, वरना हालत यह हो रही है कि गर्मियों में जो हवा चलती है, जो रेत उड़ती है वह आगे बढ़ती हुई यू. पी. तक चली जाती है। इसके लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने भी यह कहा है कि मथुरा वगैरह तक डेजर्ट बढ़ता जा रहा है, इस बारे में विपक्षी सदस्य भी सहानुभति का रुख अपनायेंगे ..

**एक माननीय सदस्य** : जब आप हमारे साथ होंगे।

**श्री खेतसिंह** : अब मैं खाद्यान्न के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैं आपकी मार्फत खाद्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

**एक माननीय सदस्य** : वे यहां नहीं हैं।

**श्री खेतसिंह** : वे अब आगये हैं। हमारे खाद्य मंत्री महोदय जो वास्तव में स्मार्ट हैं और योग्य हैं, जिन्होंने इस विभाग का चार्ज लिया है, हम आशा करते हैं कि वे इस समस्या को काफी हद तक हल कर पायेंगे, वैसे राजस्थान में खाद्यान्नों की वास्तव में कमी है। जो नोट खाद्य मंत्री की ओर से सरकुलेट हुआ है उसमें बतलाया गया है, फिर भी मैं इस बारे में निवेदन करना चाहूंगा अगर सरकार वितरण व्यवस्था में भी सुधार कर देती है तो उससे भी काफी राहत मिलेगी। खाद्यान्न का उत्पादन ज्यादा करना केवल कृषि मंत्री के वश की बात नहीं है। इसके लिये सदन के हर सदस्य को प्रयत्न करना चाहिये। यदि सब लोग इस ओर प्रयत्नशील होंगे तो खाद्यान्न की समस्या काफी हल हो सकती है।

जहां तक खाद्यान्नों के वितरण का सवाल है, उसके लिये मैं खास तौर से निवेदन करूंगा कि वितरण व्यवस्था में जो कमियां हैं उनको सुधार दिया जायगा तो काफी हद तक जनता को राहत मिल पायगी।

जहां तक खाद्यान्नों को पैदा करने का ताल्लुक है, यह अधिकार पंचायत समितियों को दिया गया है, सरकार ने इनका वितरण गांवों में पंचायत समितियों के मार्फत करने का तय किया है, लेकिन जिस प्रकार का पंचायत समितियों का तजुर्बा रहा है उसके आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि जितना काम होना चाहिये उतना इनके द्वारा नहीं हो पाता है। यह नहीं होने का मुख्य कारण यह है कि वहां भी ऑफिसियल्स और नॉन-ऑफिसियल्स इस तरह के दो कैडर हैं, अगर अफसर काम पूरा नहीं करते हैं तो वह नॉन-ऑफिसियल्स पर डाल देते हैं। कहते हैं कि प्रधान ने समय पर आदेश नहीं दिये इस कारण जो बीज या खाद समय पर काश्तकार को मिलना चाहिये था वह नहीं मिल सका। जब कि तकावी समय पर मिलनी चाहिये, कोआपरेटिव से लोन मिलना चाहिये, समय पर ये चीजें नहीं मिल पाने से काश्तकार को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिये जहां राज्य सरकार इस प्रकार से खर्चा तो काफी करती है लेकिन उसका समय पर उपयोग नहीं होने से काश्तकार उधार लेकर बीज बोता है और बाद में बरसात होने के बाद में जब सरकार का बीज पहुंचता है तो उससे किसान फायदा नहीं उठा सकता। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि जो अधिकारी समय पर बीज, खाद या तकावी नहीं दे सकता है उस अधिकारी के खिलाफ सख्त से सख्त

(श्री खेतसिंह)
कदम उठाना चाहिये । आज यदि दूसरे देश जो हमें दान के रूप में अनाज देते हैं वे यदि देना बन्द कर दें तो खाद्यान्नों का मिलना मुश्किल हो जायगा ऐसी हालत में इस ओर ध्यान देना बहुत आवश्यक है ।

इसके अलावा आज देश में जन संख्या जिस गति से बढ़ रही है डा० चन्द्रशेखर के मुताबिक एक मिनिट में यहां अपने देश में 22 बच्चे पैदा होते हैं । एक वर्ष में आधे राजस्थान की पोपुलेशन बढ़ जाती है, यह कितनी गंभीर समस्या है। इसमें केवल सरकार का ही फर्ज नहीं विपक्ष के भी सभी सदस्यों का फर्ज है कि वे भी इस समस्या को हल करने में मदद देवें । इसमें उनका पूरा सहयोग होना चाहिये । अमूमन जब इस बारे में कैम्प आदि लगाये जाते हैं तो वे व्यक्ति जो सम्प्रदायवाद को बढ़ावा देते हैं वे इस प्रकार का प्रचार करते हैं जिससे जो नतीजा हम प्राप्त करना चाहते हैं, जितने आपरेशन होने चाहिये वे नहीं हो पाते हैं, मैं तो परिवार नियोजन में विश्वास करता हूं और मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि मैं आपरेटेड भी हूं

**एक माननीय सदस्य** : तो आप पुरुषत्वहीन हैं ।

**श्री खेतसिंह** : आप इस विषय में क्यों परेशान होते हैं । इससे आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है ।

**श्री भैरोंसिंह** : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के स्टेटमेन्ट को चैलेन्ज करता हूं कि वे आपरेटेड हैं ?

**श्री अध्यक्ष**: इसका स्पष्ट निराकरण मैं कर दूंगा आप दोनों बाहर मिल लीजिये।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : क्या यह कां चेम्बर में हो सकता है ?

**श्री अध्यक्ष** : वह तो विशेषत: आप लिये बड़ा उपयुक्त है ।

**श्री खेतसिंह** : अध्यक्ष महोदय, कृषि उत्पादन को बढ़ाने की बड़ी जिम्मेवारी है। ग्राम सेवक इस बात के लिये रखे जाते हैं। लेकिन वे ग्राम सेवक बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं क्योंकि चाहे वे कितना ही अच्छा काम करें फिर भी उनको आगे प्रोमोशन के अवसर नहीं हैं । अच्छा ग्राम सेवक जिले में प्रथम आता है या पंचायत समिति में अच्छा काम करता है तो ऐसे ग्राम सेवकों के लिये प्रोमोशन का अवसर होना चाहिये । ऐसा होने पर वे इस बात का प्रयत्न करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा काश्तकारों को मदद दें ताकि काश्तकारों को खाद्यान्न पैदा करने में मदद मिल सके।

इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करूंगा कि ऊन को खरीदने के लिये जो सरकार ने महकमा बनाया है उससे वास्तव में जनता को राहत मिली है । जो भेड़ चालक हैं वे पहले महाजन को अपनी ऊन बेच दिया करते थे वह उनसे बहुत कम पैसों में खरीद लिया करते थे । अब जब कि सरकारी महकमे द्वारा ऊन खरीदी जा रही है तो उनको पैसा भी अच्छा मिल जाता है । इससे काश्तकार को खुशी है लेकिन एक बात जो है वह है उनको समय पर पेमेन्ट करने की । इसके कारण कुछ कठिनाई है । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जो इन्स्पेक्टर आप भेजते हैं उनके पास पूरा पैसा होना चाहिये ताकि वे केवल साई देकर नहीं आवें बल्कि उनको पूरा पैसा देकर आवें और उनको ऊन का पूरा पैसा वहीं

(श्री खेतसिंह)

पर मिल जाना चाहिये। इसी संदर्भ में मैं सहकारिता के बारे में भी आपसे निवेदन करना चाहूंगा। राजस्थान में पहले जहां सहकारी समिति का नाम भी नहीं था वहां आज सब जगह सहकारी समितियों का गठन हो गया है। कोई ग्राम ऐसा नहीं जहां सहकारी समिति नहीं हो। इसमें उत्साहजनक वृद्धि हुई है। लेकिन इसके साथ ही सरकार को यह देखना चाहिये कि यह सहकारी आन्दोलन कितना सफल हुआ है। मैं खासतौर से अपने इलाके के बारे में निवेदन करूं। हमारे यहां पर जितनी भी सहकारी समितियां हैं, ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं, जहां से फसली लोन लिया जाता है, जहां से काश्तकार अच्छे बीज के लिये लोन लेता है, बैलों की जोडी के लिये लोन लेता है, वह इस उम्मीद में कि अच्छी फसल होने पर वह उसको चुका देगा। होता क्या है कि एक बरसात के बाद दूसरी बरसात नहीं होती है और होती है तो मामूली होती है और अन्त में जाकर अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है और भयंकर अकाल पड जाता है। इसलिए काश्तकार वापिस लोन नहीं चुका पाता है और जब वापिस लोन नहीं चुका पाता है तो उस पर उसका पेनल इन्ट्रेस्ट जारी हो जाता है। काश्तकार की इससे परेशानियां बढ जाती हैं। इसलिए खासतौर से एक फसली इलाके हैं उनके लिए मैं निवेदन करूंगा कि यदि आप काश्तकारों को लोन देते हैं तो तीन साल तक देने की मन्जूरी फरमायें तो उससे उनको राहत मिल जाय। जो लोन देते हैं वह डबल क्रोप एरिया के ढंग से देते हैं उसका सिंगल क्रोप एरिया में कोई फायदा नहीं होगा और इससे काश्तकार का सहकारिता पर विश्वास बढता नहीं है उल्टा घटता है। इसलिए सरकार को इस ओर खासतौर से विचार करना चाहिए।

राजस्थान ने शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी उन्नति की है। प्राथमिक स्कूल ग्राम पंचायतों के पास दे दिए गए हैं। राज्यपाल महोदय ने भी अपने भाषण में भी इस ओर जोर दिया है कि शिक्षा एक अनिवार्य विषय है और सब ग्रामीणों को शिक्षित होना चाहिए। और यदि अब भारतवर्ष में कोई अनपढ रह जाता है तो यह देश के लिए कोई अच्छी चीज नहीं है। प्राथमिक शिक्षा का जहां तक सवाल है हर गांव में स्कूल खोल दिए गए हैं। लेकिन मैं यह देखता हूं कि स्कूल खुल जाने पर भी कई जगह ट्रेन्ड टीचर्स उपलब्ध नहीं हैं। कई जगह ट्रेन्ड टीचर्स उपलब्ध हैं लेकिन वे उन इलाकों में जाते नहीं हैं। जयपुर का उदाहरण ही ले लीजिए। जयपुर के कई ट्रेन्ड टीचर्स बेकार बैठे हैं लेकिन वे जोधपुर और जैसलमेर जाने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए फिर उन इलाकों में अन्ट्रेन्ड टीचर्स रखे जाते हैं और उनका टर्म खत्म हो जाता है तो उनको हटा दिया जाता है और फिर वे वापिस आते नहीं हैं। इसलिए बच्चों की शिक्षा जिस तरह से होनी चाहिए वह हो नहीं पाती है। इसलिए टीचर्स की ट्रेनिंग की व्यवस्था ठीक प्रकार से होनी चाहिए। आज होता क्या है कि इन्सपैक्टर्स की ओर से अध्यापकों को ट्रेनिंग में भेजा जाता है, समितियों की ओर से भी भेजा जाता है और इस प्रकार से सैंकडों अध्यापक ट्रेन्ड हो जाते हैं जहां तक उनको एब्जोर्व करने का सवाल आता है तो वे एब्जोर्व नहीं हो पाते हैं। क्योंकि वे उन इलाकों में जाना नहीं चाहते। इसलिए उन इलाकों में वास्तव में

Page No.34



(श्री खेतसिंह)

जो लोग कार्य करते हैं उनको ही ट्रेनिंग में भेजा जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। वे लोग उन इलाकों में अच्छी तरह से काम कर सकेंगे।

प्राथमिक शालायें तो काफी खुल गयी हैं लेकिन उनके अनुपात में माध्यमिक शालायें नहीं हैं और ऊपर सेकेन्डरी और हायर सेकेन्डरी स्कूल्स नहीं खुल रहे हैं। इससे बच्चों को आगे परेशानी बढ जाती है। प्राथमिक शालाओं से निकले बच्चों के एडमीशन माध्यमिक शालाओं में होने मुश्किल हो जायं और पास में बीस मील में कोई स्कूल उपलब्ध न हो तो उन बच्चों के लिए बडी कठिनाई हो जाती है और उनकी पढाई बेकार हो जाती है। इसलिए माध्यमिक शालाओं को और सेकेन्डरी और हायर सेकेन्डरी स्कूलों को उसी अनुपात में बढाना आवश्यक हो गया है।

जहां तक चिकित्सा का प्रश्न है जैसा कि राज्यपाल महोदय ने कहा है, संतोषजनक कार्य रहा है। मैं भी इस बात को मानता हूं कि हर पंचायत समिति में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र हैं और सब सेन्टर खोले गए हैं लेकिन डाक्टरों की कमी है। जिन इलाकों में हम रहते हैं वहां पर एक एक साल से डाक्टर नहीं है। मैं मानता हूं कि प्रदेश में डाक्टरों की कमी है। इसलिए इसके लिए खास तौर से एडवरटाइजमेन्ट निकालने चाहिए और जहां से भी मिलें डाक्टरों को बुलाकर प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों में भेजना चाहिए। दवाइयां भेजी गई हैं वे बेकार गई हैं और उनका कोई उपयोग नहीं हुआ है। केवल बिल्डिंग बनी हुई है। इसलिए इस ओर राज्य सरकार को ध्यान अवश्य देना चाहिए।

इसके बाद में राज्यपाल महोदय ने खासतौर से कानून और व्यवस्था के लिये उल्लेख किया है और उसके लिये संतोष प्रकट किया है कि वास्तव में गत वर्षों में इस ओर काफी सुधार आया है। यह बात सही है कि कानून और व्यवस्था इस प्रान्त में अच्छी रही है, प्रान्त में शान्ति रही है। हो सकता है छोटे मोटे डाकू कहीं हों, लेकिन देखा जाय तो बडे गेंग थे उनको खत्म कर दिया गया है।

आज की परिस्थिति में राजस्थान का नागरिक चाहे वह किसी भी कोने में बैठा हो वह वहां शान्तिपूर्वक रह सकता है और अपने आपको सुरक्षित समझ सकता है। उसको कोई डर नहीं है।

**एक माननीय सदस्य**: माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जानकारी दे रहे हैं वह बिल्कुल गलत है। शाहबाद क्षेत्र में डाके पड़े हैं।

**श्री अध्यक्ष**: Order please! Order please!

**श्री खेतसिंह राठौड**: जनवरी सन् 1968 से राज्य का राजकाज सारा ही हिन्दी में करने के लिये राज्यपाल महोदय ने आश्वासन दिया है। हिन्दी में दस्तखत होने शुरू हो गये हैं। मैं समझता हूं कि सेक्रेटेरियेट की फाइलों पर हिन्दी में नोटिंग होना भी शुरू हो गया होगा और उम्मीद की जा सकती है कि सारा कार्य हिन्दी भाषा में शुरू हो जावेगा और प्रदेश में जब सारा कार्य हिन्दी में होना शुरू हो जावेगा तो उससे सारी जनता को काफी राहत मिलेगी। हो सकता है कि कुछ अफसरों को इसमें दिक्कत आयेगी। जो अफसर हिन्दी नहीं जानते और उनका पोस्टिंग राजस्थान में हो गया तो उनको दिक्कत आयेगी। इसलिये राजस्थान सरकार को इस ओर यह ध्यान रखना होगा कि वे ही अफसर यहां पर नियुक्त किये जावें

(श्री खेतसिंह)

जिनको हिन्दी का ज्ञान हो। एक एस. डी. ओ. ऐसे आये कि वे हिन्दी नहीं जानते थे। जब गांव के लोगों के बयान लेते थे तो वे इंगलिश में लिखते थे। वे नहीं समझ सकते थे उन गांव वालों की भाषा को। इसलिये जो आश्वासन आपने दिया है उसको आपको पूर्ण कर देना चाहिये।

अन्त में जैसा कि राज्यपाल महोदय ने भी आशा प्रकट की है, मैं सदन में निवेदन करना चाहूंगा कि चाहे आप पक्ष के हों या विपक्ष के हों, आप हम सब को एक मनोवृत्ति बना कर चलना होगा जिससे राजस्थान की जनता की बहतरी हो, राजस्थान के आम आवाम का स्तर बढ़े, पर-केपिटा इनकम बढ़े। यह तब ही हो सकता है जब कि आप और हम सब मिल कर एक उद्देश्य से काम में जुट जायं कि इस प्रदेश का उत्थान हो, सही मानों में तरक्की हो, आम जनता को राहत मिले। जहां पानी की कमी है वहां पानी की कमी दूर हो, जहां खाद्यान्न की कमी है वहां वह कमी दूर हो, और जहां पर शिक्षा की कमी है वहां पर वह कमी दूर हो। जनता की जितनी तकलीफात हैं उनको दूर करने में आप हम मिल कर काम करेंगे तो समाधान हो सकेगा और यही बात राज्यपाल ने अपने अभिभाषण के अन्त में दर्शायी है। मैं आप सब सज्जनों से निवेदन करूंगा कि आप हम सबको मिल कर इस उद्देश्य में जुट जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में राष्ट्रकवि मैथिलीशरणजी गुप्त का एक पद सुनाना चाहूंगा :

हम कौन थे क्या हो गये हैं क्या होंगे अब।
आओ विचारें यह समस्या सब ॥

इसी उद्देश्य को सामने रख कर मिल कर उन समस्याओं को सुलझायें तब ही जाकर राजस्थान का उत्थान होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

**श्री अध्यक्ष**: श्री देवपुरा।

**एक माननीय सदस्य**: माननीय सदस्य ने राज्यपाल के भाषण का जो चित्रण किया है उसके सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं......

**श्री अध्यक्ष**: Order please! कृपया आप स्थान ग्रहण करें। पहले धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन हो रहा है। पहले आप यहां की परम्पराओं को देखें और बाद में इस पर बात करें।

**श्री हीरालाल देवपुरा** (कुम्भलगढ़): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री खेतसिंह जी ने, राज्यपाल महोदय ने इस सदन में जो अभिभाषण किया, उस पर धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया मैं उस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

वास्तव में राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में राजस्थान ने जिन विषम परिस्थितियों में चहुँमुखी प्रगति की है उसका पूर्णरूपेण चित्रण किया है। यह सही है कि गत दो तीन वर्ष हमारे लिये कठिन वर्ष थे। कहतसाली (अकाल) सब स्थितियां हमारे सामने थीं। उनमें भी जो कुछ भी हमने प्रगति की, यह कहा जा सकता है कि निश्चित रूप में जैसी प्रगति की जानी चाहिये थी वैसी प्रगति नहीं हुई लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि हमने कोई प्रगति नहीं की। राजस्थान में अन्य प्रान्तों के मुकाबले में हम कहीं पीछे नहीं रहे हैं। राज्यपाल ने खाद्यान्न की दृष्टि से, सिंचाई की दृष्टि से, सहकारिता की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से और दूसरी अन्य सब बातों की दृष्टि से साफ साफ चित्र हमारे सामने रखा है।

(श्री हीरालाल देवपुरा)

मैं श्रीमान् आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहूंगा कि जहां उत्पादन वृद्धि का प्रश्न आता है वह आज बडा महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने है। आज जो स्थिति हमारे प्रदेश की है। अकाल और अनावृष्टि के कारण पैदा हुई है। इससे हमारा उत्पादन घटा है। पर इस उत्पादन वृद्धि के लिये राज्य सरकार ने जो साधन अपनाये हैं वे वास्तव में ऐसे हैं जिनसे उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिये। पर प्रकृति के साथ नहीं देने से खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि नहीं हो सकी। इसके लिये हमें और आपको सोचना पडेगा कि इन हालतों में हमें क्या रास्ते अपनाने चाहियें।

मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करते हुए यह निवेदन करना चाहूंगा कि अन्न उत्पादन की दृष्टि से जो कृषकों को ऋण दिये जाते हैं उस ऋण देने की पद्धति और प्रणाली में थोडी सी सहूलियत होनी चाहिये। आज किसानों को ऋण प्राप्त करने में कई फोर्मेलिटीज में से गुजरना पड़ता है। कई तरह के प्रमाणपत्र देने पड़ते हैं और जिस समय उनको ऋण की आवश्यकता होती है, सरकार के चाहते हुए भी वह नहीं मिल पाता। यह ऋण पंचायत समितियों, कृषि विभाग, बैंक, भूमि विकास बैंकों आदि के माध्यम से दिया जाता है। पर इस सबकी फोर्मेलिटीज को पूरा करने में इतना समय लग जाता है कि बाज वक्त किसान उकता जाता है। इस प्रणाली को सरल बनाने के लिये, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि कुछ समय पूर्व यह घोषणा की गई थी कि हरेक काश्तकार को एक ऐसी पास बुक दे दी जावेगी जिसमें उसकी भूमि का सारा स्पष्ट चित्रण होगा कि कितनी उसके पास भूमि है, कैसी है, कितनी पीवल है, कितनी दूसरे प्रकार की है, कितना लगान उसे देना पडता है, कितना ऋण उस पर है। तो अगर ये पास बुकें जल्दी से जल्दी किसानों को दे दी जावें तो सारी फोर्मेलिटीज और प्रमाणपत्रों के झंझट से किसान बच सकता है और इससे सभी सम्बन्धित कृषकों को भी सहूलियत हो सकती है और इससे खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हो सकेगी।

यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरी बात, यह सही है, जैसा विचार व्यक्त किया गया कि ऋण एक ही माध्यम से दिया जावेगा और वह माध्यम होगा सहकारिता। इसमें सन्देह नहीं कि यह उत्तम माध्यम है। सहकारी बैंकों के द्वारा ही ऋण मिलना चाहिये। पर इसे सीमित कर दिया गया है। पचास पंचायत समितियों में ही यह प्रणाली प्रारम्भ की गई है। यह प्रणाली सारे राजस्थान भर में लागू की जानी चाहिये।

साथ ही साथ यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि सिंचाई की दृष्टि से यह सही है कि बडे बांधों का अपने स्थान पर काफी बडा महत्व है। इनसे लाभ भी हुआ पर यह लाभ निकट भविष्य में नहीं मिल पाता। लम्बे समय के बाद मिलता है पावर की दृष्टि से और लम्बी सिंचाई की दृष्टि से बडी योजना लाभप्रद हैं, छोटी सिंचाई योजनाओं से तात्कालिक लाभ मिलता है। उस ओर विशेष तौर से हमारा ध्यान जाना चाहिये। पंचायत समितियों से जो बान्ध बनवाये जाते हैं उनकी सीमा 25 हजार रुपया तक है। सादिकअली कमीशन, जो पंचायत समितियों और जिला परिषदों के बारे में बिठाया गया था, उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि इनसे कुछ और बडे काम जिला स्तर पर

(श्री हीरालाल देवपुरा)
दिये जाने चाहियें। ताकि छोटे बांध और अधिक बांधे जा सकें।

साथ ही साथ इस ओर भी मैं माननीय सदन के सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में कई ऐसे छोटे छोटे बांध हैं जिनसे आज भी सिंचाई होती है और वे बहुत पुराने हैं। नयों पर तो ध्यान दिया जाता है, पर खेद है कि पुरानों पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना देना चाहिये। कई जगह इन बांधों के सरकारी होने पर भी स्थानीय जागीरदारों द्वारा इस बिना पर तोड़ दिये जाते हैं ये कि इनके पेटे में इनकी काश्त योग्य भूमि आ जाती है। इसका ताजा उदाहरण देता हूं। अभी जो वर्षा हुई महीने भर पहले उसमें उदयपुर में देवगढ में एक मोखसागर बांध है। उससे काफी सिंचाई होती है। पर थोडी सी जमीन उसके पेटे में जागीरदार की पडती है तो स्थानीय जागीरदार ने अपनी उस भूमि को बचाने के लिये डाइनोमाइट लगाकर उस बांध को तोड़ दिया। इसके लिये मैं सरकार का इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं और खास करके सिंचाई मन्त्री महोदय का। जहां गरीब काश्तकारों की बहुत अधिक भूमि को इससे पानी मिलता, वहां अपनी थोडी सी जमीन को बचाने के लिये उसे तुड़वाकर उस गरीब जनता का बहुत बड़ा नुकसान किया गया। साथ ही इसका असर उत्पादन पर भी पडा है। तो इस पर ध्यान देना चाहिये। पुराने बांधों को ठीक करने में अधिक खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा और इस तरह से कम खर्चे में अधिक काम कर सकेंगे।

सहकारिता के बारे में राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में बताया और यह सही भी है कि हमारे यहां यह सहकारिता का कार्यक्रम दिन प्रतिदिन गति करता जा रहा है। जनता में विश्वास पैदा करता जा रहा है और हम उससे काफी आगे बढे हैं। सहकारिता जो अभी तक केवल ऋण वितरण तक ही सीमित थी आज हमारे रोजमर्रा के काम की वस्तुओं के भी वितरण में हाथ बटाने में लगी है। उपभोक्ता भण्डार खोले गये हैं। सहकारी बाजार खोले गये हैं। पर उनके ज्यादा संख्या में खोले जाने की आवश्यकता है। ये आज सीमित शहरों में ही खोले गये हैं। जयपुर, जोधपुर और अजमेर में खोले गये हैं। अजमेर में अब खोले जाने का विचार बताया गया है। पर अन्य शहरों में, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, जैसे शहरों में और पचास हजार तक की जनसंख्या वाले शहरों में इनकी व्यवस्था की जानी चाहिये ताकि सस्ती दरों पर अच्छी चीज सभी को मिल सके।

शिक्षा की दृष्टि से प्रस्तावक महोदय ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय काफी बातें कहीं। शिक्षकों के स्तर के लिये भी कहा, शिक्षकों की ट्रेनिंग की व्यवस्था के लिये भी कहा मैं उसको दोहराना चाहता हूं क्योंकि यह एक आवश्यक विषय है। प्राथमिक शिक्षा जहां पंचायत समितियों के हाथों में है वहां शिक्षा विभाग के हाथों में भी प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था का कार्यक्रम है। पंचायत समितियां रूरल एरियाज में उसे देखती है और अर्बन एरियाज में म्युनिसिपैलिटी याने नगरपालिका क्षेत्र हैं वहां प्राथमिक शिक्षा शिक्षा विभाग के हाथों में है। ट्रेनिंग का ऐसा विषय है जिसमें शिक्षा विभाग की ओर से ट्रेनिंग के अन्दर अध्यापक भेजे जाते हैं और दूसरी ओर पंचायत समितियों के द्वारा भी अध्यापक ट्रेनिंग के लिये भेजे जाते हैं और

(श्री हीरालाल देवपुरा)

अध्यापकों की इतनी संख्या हो जाती है कि वाद में उनको सही प्रकार से खपाया नहीं जा सकता और वे इधर उधर फिरते हैं, बेरोजगारी बढती है क्योंकि वह शिक्षा के लिये ट्रेन्ड होते हैं। अन्य जगह जाते हैं तो उनसे क्वालीफिकेशन्स पूछी जाती है जब वह एस. टी. सी की क्वालीफिकेशन्स बताते हैं तो कहा जाता है कि आप तो शिक्षा के विशेषज्ञ हैं इसलिये शिक्षा के लिये जाइये। तो इसका भी थोडा सा ऐसा सामंजस्य बैठाया जाना चाहियें कि जितने अध्यापकों की आवश्यकता है उतने से ही लोग चाहे वह जिला परिषद या शिक्षा विभाग की तरफ से भेजे जायें। लेकिन ऐसा समंजस्य बैठाया जाये तो हम इससे प्रगति कर सकेंगे और जो अध्यापकों में असंतोष फैलता है, डिस्कन्टेन्टमेन्ट फैलता है उसको भी हम रोक सकेंगे। इसलिये इस ओर देखा जाना चाहिये।

जहां तक हमारी उच्च शिक्षा का प्रश्न है यह सही है कि राज्य के अन्दर गत वर्ष में कई माध्यमिक शालायें बनायी गयीं, उच्चतर माध्यमिक शालायें खोली गयीं। शिक्षा का प्रसार हमने किया लेकिन श्रीमान् शिक्षा मंत्री महोदय का अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमने टेक्नीकल एजूकेशन के लिये कई विषय खोले। विज्ञान का विषय खोला, शिक्षा का प्रसार हम चाहते हैं, खुल करके हमने बताया कि हम शिक्षा का प्रसार करना चाहते हैं लेकिन हमारे कई स्कूल ऐसे हैं कि जहां उन विषयों के अध्यापक नहीं पहुंच पाये। तो यह व्यवस्था करना बहुत आवश्यक है। मेरी मान्यता है कि यदि हमारे सामने आज विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं हैं तो हम कम जगह खोलें लेकिन जहां हम खोलते हैं वहां हमें विशेषज्ञ अवश्य पहुंचाने चाहिये ताकि सही उपयोग उसका हो सके।

(1 म. प.)

राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में वनों के उत्पादन के बारे में भी चर्चा की और यह सही है कि राजस्थान ने इस बारे में पहले की अपेक्षा काफी प्रगति की है। लेकिन श्रीमन्, मैं इस ओर एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे इलाकों में कई पहाडियां और कई स्थान ऐसे हैं जो वन विभाग के तहत नहीं है और वे रेवेन्यू विभाग के पास हैं। उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई वनस्पति आज नहीं है। यदि यह पहाडियां पंचायतों को दे दी जायें, यदि यह पहाडियां गंवाई जंगल के लिये काम में ली जायें तो इनका उपयोग हो सकता है और हमारी जो वन सम्पदा है और आज कृषकों को जो कई चीजें वनों से लेनी होती हैं इन गांवाई जंगलों से उन्हें मिल जायं तो उससे आज हम अपने वनों को बचा सकते हैं। यदि गांव वालों को ही यह वन दे दें और उनके जंगल तैयार हो जायें तो उनकी जरूरियात की चीजें वह वहीं तैयार कर सकते हैं। हमारे वनों के ऊपर जो भार है वह भी कम होगा और हम वनों से अधिक आमदनी भी कर पायेंगे। तो यह व्यवस्था भी शीघ्र की जानी चाहिये। इस बारे में पहले भी कई बार कहा गया था लेकिन अभी तक वे रूल्स जो बनने चाहिये थे नहीं बने हैं। उस ओर शीघ्र ध्यान दिया जाना चाहिये और इसको क्रियान्वित किया जाना चाहिये तो हम अधिक प्रगति कर पायेंगे।

समाज कल्याण विभाग की चर्चा करते हुए राज्यपाल महोदय ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में की गयी प्रगति के यहां आंकडे दिये। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह सही है कि इस विभाग के माध्यम से उन लोगों को जहां वे एकत्रित रूप

(श्री हीरालाल देवपुरा)

में रहते हैं, इसका मतलब यह है कि जो क्षेत्र अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये निश्चित रूप से बना दिये गये हैं उन क्षेत्रों में तो जरूर उन लोगों को पूरा 2 लाभ मिला है लेकिन इन जाति के लोग केवल उन्हीं क्षेत्रों में ही नहीं रहते, वे राजस्थान के दूसरे हिस्सों में भी काफीतादाद में बिखरे हुए हैं और उनको जितना फायदा मिलना चाहिये था वह नहीं मिल पाया है। मैं यह नहीं कहता कि उनको फायदा देने के लिये कोई रोक है लेकिन हमारी व्यवस्था इस प्रकार की है कि जिसकी वजह से वह फायदा वहीं तक सीमित रह जाता है। तो इस ओर भी विभाग का ध्यान जाना चाहिये कि जिन क्षेत्रों के अन्दर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोग बिखरे बसे हुए हैं उनको भी वह सब फायदे बराबर से मिलते रहें। इस ओर भी ध्यान दें तो मैं समझता हूं कि उनकी अधिक सेवा करने में हम सफल होंगे।

हिन्दी को राजस्थान ने अपनी भाषा मानते हुए यह निश्चय किया है कि 26 जनवरी, 1968 तक पूरे राजस्थान में सारे कार्य हिन्दी में प्रारम्भ होंगे। यह स्वागत योग्य निर्णय है और इसकी हम सराहना करते हैं और आशा रखते हैं कि जल्दी से जल्दी यह कार्य रूप में परिणत होगा और हम देखेंगे कि राजस्थान में सारा काम हमारा हिन्दी में प्रारम्भ होता है।

इन्हीं शब्दों के साथ यह निवेदन करते हुए कि राज्यपाल महोदय ने अपना जो भाषण सदन के अन्दर प्रस्तुत किया, राजस्थान की प्रगति को परिपूर्ण रूप में बताता है। मैं माननीय सदस्य श्री खेतसिंह द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय नेता महोदय, विरोधी दल !

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** (डूंगरपुर): अध्यक्ष महोदय, समय के बटवारे के सम्बन्ध में कोई संकेत यदि हो जाये तो मेरे दल के बहुत से लोग ऐसे सम्माननीय सदस्य हैं जो बोलना चाहेंगे और समय का बटवारा अगर कुछ हो जाता तो मुझे भी बोलने में सुविधा होती।

**श्री अध्यक्ष**: आपके सम्बन्ध में समय का कोई प्रश्न नहीं है।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** : लेकिन मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। मेरे दल के माननीय सदस्यों को समय देना चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : यह बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय कर लेते हैं।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** : इसके अलावा यहां पर जो आपत्ति उठाई गई आपको चाहिये था कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग पहले आप कर लेते। इस सदन के विरोधी पक्ष के द्वारा यह मांग भी की गयी है कि खाद्य की समस्या बहुत महत्वपूर्ण है और उसके ऊपर भी बहस की जाय। तो सरकार को मेरे ख्याल में यह परमावश्यक है कि खाद्य की समस्या के ऊपर, खाद्य की स्थिति के ऊपर भी बहस करने के लिये आप समय दें- अभी दें या बाद में दें लेकिन दें अवश्य।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में एक जो महान महत्वपूर्ण विषय था उस सम्बन्ध में एक शब्द के द्वारा भी इस सदन के समक्ष संकेत नहीं किया। राज्यपाल

# Page No.40



(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

महोदय का अभिभाषण सिद्धान्ततः मंत्रि-मण्डल की नीति और रीति से सम्बन्ध रखता है। यदि मंत्रिमण्डल की यह नीति थी कि राजस्थान के अन्दर जो प्रेसीडेन्ट रूल, राष्ट्रपति शासन लागू हुआ उस सम्बन्ध में एक शब्द भी नहीं कहा जाये, मौन वृत धारण कर लिया जाये तो मैं केवल मात्र एक ही अर्थ मानकर चल सकता हूं कि जो चुनावों के पश्चात् कृत्रिम, अप्राकृतिक अल्पमत था उसको कृत्रिम बहुमत में परिणत करने के लिये एक साजिश घड़ी जाये, एक योजनाबद्ध कार्यवाही की जाये।

अध्यक्ष महोदय, 23 तारीख को, 23 फरवरी को चुनाव सम्पन्न हुए। उसके पश्चात् सारे देश के अन्दर सरकारों का गठन हुआ। केवल एकमात्र राजस्थान के अन्दर सरकार का गठन नहीं हुआ। मैं नहीं चाहता कि राज्यपाल जैसे उंच्च पदाधिकारी के संबंध में मैं निम्न स्तर की छींटाकशी करूं और खास कर के जब वे राज्यपाल भी यहां पर नहीं है, किन्तु भूतपूर्व राज्यपाल श्री सम्पूर्णानन्द ने उधर के पक्ष के नेता को क्या कहा है, यह तो मुझे मालूम नहीं, किन्तु हम लोग विरोधी पक्ष के शिष्ट मण्डल के रूप में राज्यपाल से मिलने गए तब आश्चर्य मुझे हुआ कि उन्होंने उग्रता बताई। उग्रता बताने के पश्चात् उन्होंने यह कहा कि निर्दलियों की गणना किधर की जाय, इस संबंध में कोई निर्णय नहीं कर सके।

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि निर्दलीय भी इस सदन के उसी हद तक सदस्य हैं जिस हद तक कि अन्य सदस्य। मैं यह मानता हूं कि निर्दलियों को भी पूर्ण अधिकार है कि वह किसी पक्ष में जाकर बैठें लेकिन निर्दलियों की गणना ही नहीं की जाय, यह तो मेरे ख्याल में एक आश्चर्यजनक निर्णय, अगर निर्णय नहीं था तो संकेत था, जो कुछ भी था मेरे ख्याल में एक आश्चर्यजनक बात थी. यह मैं कहे बिना नहीं रह सकता।

23 फरवरी के बाद 12 मार्च तक कोई भी निर्णय नहीं हुआ। राज्यपाल महोदय से एक हमारे सदन के सम्माननीय सदस्य ने उठते हुए शिष्टाचार के नाते कहा कि वे आशा करते हैं कि वे निश्चित रूप से मंत्रि-मण्डल बनाने के संबंध में निर्णय लेंगे। तो उस पर भी उन्होंने उग्रता प्रगट करके यह कहा कि क्या आप यह समझते हैं कि मैं जो कुछ भी व्यवस्था दूंगा वह पक्षपातपूर्ण दूंगा। मेरे ख्याल से यह सब बातें एक इस तरह की थीं कि जिसके द्वारा हम लोगों के मन में यह स्पष्टतया बात प्रदर्शित हुई कि राज्यपाल महोदय कांग्रेस दल को येन-केन-प्रकारेण मदद करके उनकी सरकार गठित करने के लिए सहयोग देने को अग्रसर हुए। और इसी कसौटी से उन्होंने मंत्रिमण्डल बनाने के विषय में कोई निर्णय नहीं लिया। जब विधान सभा बुलाने का निर्णय ले लिया गया कि 14 मार्च को विधान सभा बुलाई जायेगी, विरोधी पक्ष के लोगों ने बैठ कर यह निर्णय लिया कि अध्यक्ष के संबंध में क्या व्यवस्था की जाएगी और पूर्णतया विधान सभा के संचालन के संबंध में कार्यक्रम भी वितरित हो गया। और हम सब को यह निश्चय हो गया कि विधान सभा बुलाई जायेगी। तत्पश्चात् जैसे आकाश में से बिजली गिरती है, उसी तरह से हमको आश्चर्यजनक निर्णय की, भारत सरकार के निर्णय की रेडियो के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि राजस्थान के अन्दर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। उसके पहले कांग्रेस दल के नेता ने राज्यपाल

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

महोदय को यह संकेत किया कि राजस्थान में असाधारण परिस्थिति के कारण वे सरकार गठित करने में विवश हैं, किन्तु उन्होंने यह दावा किया कि कांग्रेस का बहुमत है। यह सामान्य बुद्धि की बात है अध्यक्ष महोदय, यदि कांग्रेस दल के नेता ने विवशता प्रगट की तो उस समय राज्यपाल महोदय का पुनीत कर्त्तव्य था कि संयुक्त दल को बुला करके मौका देते कि वह सरकार गठित करे। यदि संयुक्त दल सरकार नहीं गठित कर सकता और असमर्थता प्रगट करता तब राष्ट्रपति शासन की मेरे ख्याल में कोई न कोई यदि व्यवस्था होती तो हम सब समझ सकते। वह व्यवस्था उचित और सर्व मान्य होती। लेकिन जिस तरह से राष्ट्रपति शासन राजस्थान में यकायक रूप से लागू किया गया, वह मैं समझता हूं कि एक पक्षपातपूर्ण व्यवस्था थी और उसका मैं विरोध करते हुए निन्दा करता हूं। उस समय संयुक्त दल इस स्थिति में था कि उसने दिल्ली में जाकर के 93 सदस्य राष्ट्रपति के सामने खड़े किए और यह निवेदन किया, इस आशा को व्यक्त करते हुए कि राष्ट्रपति का शासन हटा दिया जाय। मैं नहीं समझता कि राष्ट्रपति का शासन कांग्रेस दल चाहता था या नहीं किन्तु मुख्य मंत्रीजी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि राष्ट्रपति का शासन कोई नहीं चाहता था। मैं यही कहूंगा कि राष्ट्रपति के शासन को यहां पर लागू करने के लिए कांग्रेस दल अग्रसर क्यों था, वह अपनी स्वार्थसिद्धि और कुर्सी के मोह को पूरा करने के लिए ही था। इसके सिवाय और कोई व्यवस्थित नीति नहीं नजर आती कि जिसके द्वारा राज्यपाल ने यह निर्णय लिया हो। यहां पर अगर कांग्रेस दल के नेता यह समझते हों कि राजस्थान के अन्दर और राजधानी के अन्दर एक ऐसी असाधारण समस्या उत्पन्न हो गई थी कि जिसके द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू करना अनिवार्य हो गया था तो मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल गलत चीज है।

यहां पर गोलीकाण्ड हुआ, लोग हताहत हुए, उस समय भी मंत्री बिल्कुल चुप्पी साध कर अपने बंगलों के अन्दर बन्द हो गए, बाहर जाने तक की हिम्मत नहीं कर पाए और यहां पर लोग जो मारे गए, जो खून खच्चर हुआ, उसका तो मैं समझता हूं कि उत्तरदायित्व वर्तमान शासन, कांग्रेस के शासन पर है।

रेडियो के ऊपर यह ब्राडकास्ट हुआ कि धारा 144, 7 तारीख को हटा दी जाएगी। एक दफा नहीं दो दफा यह एलान हुआ कि धारा 144 हटा दी गई है। उसके बाद लोग गलियों से निकल करके और शहर की सड़कों पर आए, उस समय, मैं यह नहीं कहता कि यह कांग्रेस दल की ही साजिश है लेकिन कांग्रेस की तरफ से यह आक्षेप लगाया जाता था कि विरोधी पक्ष ने यह करवाया हो, इससे मेरे ख्याल से यह चीज एक वास्तविकता से परे है और यह आरोप जो लगाया जाता है वह बिल्कुल निराधार आरोप है। पुलिस को चाहिए था कि जो पिकेट्स लगाई गई थी उनको समय पर हटा देते और फिर धारा 144 को हटाए जाने का एलान होता। किन्तु ऐसा नहीं होने के कारण गोली चली और गोली भी इस तरह से चली कि मेरे खयाल से अनाप शनाप रूप से लोगों को मारने के ध्येय से चलाई गई। मैं मानता हूं कि यह मामला अभी अदालती जांच के अन्दर है, लेकिन मैं विशेष इस समस्या के अन्दर नहीं जाकर मोटे 2 मुद्दों की चर्चा

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)
अगर नहीं करता हूं तो मैं अपने कर्त्तव्य को पूरा नहीं करता हूं ।

मैंने गोलियां कहां लगी हैं वह भी स्थान देखे हैं । थोड़ा बहुत गोली चलाना मैं भी समझता हूं । मैंने देखा है कि दूसरी मन्जिल के ऊपर डाइरेक्ट गोलियों के हिट्स हैं । मैंने यह भी देखा है कि लोगों की गर्दन के अन्दर गोली लगी है । मैंने यह भी देखा कि सर के अन्दर ग्लेजिंग, खिसकती हुई गोलियां लगी हैं । मैंने यह भी देखा है कि सीने में, छाती में और गर्दन में गोलियां लगी हैं ।

**श्री पी. के. चौधरी** (फुलेरा) : Point of order, Sir. Regarding scope of discussion on Governor's Address rule 15 says:—

> "On such day or days or part of any day the House shall be at liberty to discuss the matters referred to in such Address on a Motion of Thanks moved by member and seconded by another member."

But the hon. Member is referring to matters which are not at all refer to the motion or in the Address.

**श्री अध्यक्ष** : आरम्भ रखिये ।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अन्दर जो ग्रेव प्रोमिशन है उस ग्रेव प्रोमिशन के संबंध में विचार करने का अधिकार रखता हूं और उस ग्रेव प्रोमिशन के संबंध में ही मैं विचार कर रहा हूं । तो लोग मारे गये । कितने मारे गए यह भी निश्चित रूप से नहीं कह जा सकता । इसके संबंध में अदालती जांच होगी और जो कुछ निर्णय होगा तो हम समझ सकेंगे । लेकिन मारे गये, बहुत मारे गये, और बिल्कुल निर्दयी रूप से मारे गये । यह बिल्कुल निर्विवादित बात है । मैं अस्पताल में जाकर देखकर आया । वहां पर स्पष्टतया मैंने यह बात देखी कि पुलिस ने असावधानी से, चाहे बदले की भावना से, चाहे डरकर, चाहे डरकर या घबराकर गोली चलाई, और उस गोली से जनता का नुकसान हुआ, हानि हुई, अत्यधिक हानि हुई, यह निर्विवादित बात है । उस समय मंत्री महोदय क्या करते थे यह भी मैं नहीं जानता । हमने पब्लिक मीटिंग्स की और अस्पताल में जाकर लोगों से बातचीत की, लेकिन एक भी कांग्रेसी पक्ष का नेता न तो अस्पताल में गया और न इस संबंध में कोई भी विचार करने के विषय में पब्लिक मीटिंग हुई । कुछ नहीं, सब बिल्कुल चुप्पी साधकर के बैठे थे ।

**श्री दामोदरलाल व्यास** (गृह मंत्री) : मैं आपको यह सूचना देना चाहता हूं कि यह आपकी बिल्कुल गलत बात है कि कोई नहीं गया । अस्पताल में नाथूरामजी मिर्धा गये थे ।

**श्री दुर्गालाल बाहुबार** : वे बीमार पड़े हुए थे । एडमिटेड थे अस्पताल में ।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : यह ख्याल गलत है । यह बाद की बात है । पहले बीमार नहीं थे ।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** : मैंने सुना है कि श्री नाथूरामजी मिर्धा अस्पताल में एडमिट हुए थे ।

**श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन) : गये या नहीं पर आप क्यों नहीं गये ? आप तो यहां थे।

**महारावल लक्ष्मणसिंह** : वे स्वयं भी होंगे, लेकिन मैंने सुना है कि वे एक-दो मरीजों से, घायलों से मिलने को गये तो वहां अस्पताल में हल्ला-गुल्ला हुआ उस हल्ले-गुल्ले से घबराकर वे एकदम भागे तो पता ही नहीं चला कि कहां गये।

**एक माननीय सदस्य** : आप तो मौजूद थे।

**श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) : आज भी मंत्री मण्डल में किसी के सर पर सफेद टोपी नहीं है।

**एक माननीय सदस्य** : सन् 42 में आपने भी गोलियां छोडी थीं।

**श्री लक्ष्मणसिंह** : 42 में तो मेरे शासन में

**कई माननीय सदस्य** : सन् 42 में इन्होंने....

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर आर्डर......

**महारावल लक्ष्मणसिंह** : माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाया है वह बिल्कुल सत्य है। मेरे 20 वर्ष के शासन के अन्दर गोली काण्ड हुआ। उसमें दो लोग मारे गये, लेकिन भारतवर्ष में इन 20 वर्षों की आजादी में दो हजार दफा गोलीकांड हुआ। गुनहगार मंत्री बैठे हुये हैं और इन के बीच में जो बैठे हुये हैं जो मालपुरे से पधारे हुए हैं इन्होंने कल स्वयं ने मंन्जूर किया है।

**श्री रोशनलाल** (सलूम्बर) : मालपुरे की जनता ने यह बता दिया है।

**महारावल लक्ष्मणसिंह** : दो हजार दफा गोलीकाण्ड हुआ।

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** (लूनी) : सारे भारतवर्ष में आपने कहा कि दो हजार दफा गोली चली है तो डूंगरपुर सारे भारतवर्ष का दो हजारवां हिस्सा नहीं है।

**श्री अध्यक्ष** : (कई माननीय सदस्यों के खड़े होकर बोलने पर) आर्डर ! आर्डर ! !

**श्री गिरधारीलाल व्यास** : आप क्या बोलते हैं आपने मोटरगाडियों के पीछे लोगों को भगाते थे और उनको मार डालते थे।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** : मैं जब आलरेडी बोल रहा हूं तो मेरा अधिकार है कि मैं जो कुछ कहूं वह आप सुनें। नहीं सुनना हो तो जो मर्जी हो करें। लेकिन मेरा भी अधिकार है कि जो कुछ कहने की बात है वह मैं कहूंगा। यह कांग्रेसी सरकार हत्यारी, खूनी....

**श्री गिरधारीलाल व्यास** : आपसे ज्यादा नहीं है।

**एक माननीय सदस्य** (कांग्रेस पक्ष) : आपको अपने कारनामे याद आ रहे हैं कि डूंगरपुर में आपने किस तरह का किया है।

**श्री भैरोंसिंह** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जब विरोधी दल के नेता ने दो आदमियों का कतल किया लेकिन इनसे थोड़ी ही दूर आगे बैठे हुए हैं लोहारू के नवाब साहब इनसे पूछिये कि इन्होंने कितनों का किया है ?

**श्री किशनलाल शाह** (नावां) : गोली काण्ड पर अगर विचार करते हैं तो इनको बुरा क्यों लगता है।

**श्री भैरोंसिह** : इनकी सारी जांच कांग्रेस ने की और आज भी कांग्रेस के अन्दर इनकी फाइलें हैं। इनकी जांच जयनारायणजी ने की थी।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार) : इन्होंने 19 आदमियों का खून किया था और जयनारायणजी व्यास इसके सबूत हैं।

**श्री देवीदत्त** (बारां) : इसीके खातिर तो सुखाड़ियाजी ने इनको मंत्री मंडल में लिया है।

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** : अध्यक्ष महोदय, ये मंत्री महोदय तथा कथित लोकप्रिय माननीय मुख्य मंत्रीजी अपने आपको कहते हैं लेकिन इनके आगे दो मोटर गाड़ियां और पीछे दो मोटर गाड़ियां चलती हैं, और बन्दूकें लेकर सिपाही अन्दर बैठे हुए हैं और ये बीच में जैसे जनाने में कोई बैठा हो··

**श्री मोहनलाल सुखाडिया** (मुख्य मंत्री) : मैं निवेदन करूंगा कि शायद सभी सदस्यों को मालूम होगा कि दो मोटरें मेरे आगे और दो मोटरें मेरे पीछे नहीं चलती हैं।

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज !

**श्री विजयसिंह** (नसीराबाद) : क्या पैदल चलकर मंत्रीजी जाने को तैयार हैं ?

**श्री भैरोंसिह** : दो मोटरें आगे चलती है और दो मोटरें पीछे चलती हैं तो ये क्या माननीय मुख्य मंत्रीजी की सुरक्षा के लिए चलती हैं या व्यवस्था की दृष्टि से चलती हैं ?

**श्री मोहनलाल सुखाडिया** : मैंने कहा कि जो माननीय विरोधी दल के नेता ने कहा उस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। वह गलत है।

**श्री किशनलाल शाह** : आप पैदल चलें।

**श्री देवीदत्त** : सुखाडियाजी की हिम्मत नहीं कि वे पैदल चल सकें।

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज। (श्री खेतसिंह के खडे होने पर) खेतसिंहजी कृपया स्थान ग्रहण करें।

**श्री श्रवणलाल** : आप क्यों चपर चपर करते हैं। आपको मंत्रि मण्डल में लेने वाले नहीं हैं।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** : मैं सुखाडियाजी पर व्यक्तिगत रूप से कोई आक्षेप लगाने की आवश्यकता नहीं समझता, लेकिन क्योंकि वे मुख्य मंत्री हैं मैंने अपनी आंख से देखा है कि मुख्य मंत्रीजी के पीछे मोटरों में बन्दूक लेकर सिपाही बैठते हैं उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए तो एक हद् तक मेरी सहानुभूति है उस व्यवस्था के साथ, लेकिन यह व्यवस्था लोकतन्त्र के अन्दर मेरे खयाल में एक भद्दी, निकम्मी और अशोभनीय व्यवस्था है जो मेरे खयाल में इस सड़ी गली सरकार के लिए ही शोभास्पद है।

**श्री कृष्णकुमार गोयल** : आप मुख्य मंत्री का कहते हैं लेकिन मंत्री महोदय भी बन्दूकों के पहरे के अन्दर बंगलों में रहते हैं।

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर ! आर्डर !! मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि नेता

# Page No.45



(श्री अध्यक्ष)
महोदय विरोधी दल के बोल रहे हैं तो कृपया इस ओर से और उस ओर से दस्तन्दाजी न करें।

**श्री गिरधारीलाल व्यास** : माननीय अध्यक्ष महोदय...

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर ! आर्डर, प्लीज !!

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : चमचा है।

**श्री देवीदत्त** : सुखाड़ियाजी ने चमचे पाल रखे हैं।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** : 23 फरवरी से लगाकर हमारे विरोधी पक्ष में 93 सदस्य थे। उनको हमने सम्मानीय राष्ट्रपति के समक्ष पेश किया। 23 फरवरी से लगाकर और 3 मई तक इतने लम्बे अर्से में कांग्रेस के दल ने, कांग्रेस के नेताओं ने सिद्धान्तविहीनता का जो प्रदर्शन किया है वह विशेष रूप से तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कहीं से ईंट और कहीं से रोडा और भानुमती ने कुनबा जोड़ा...

**श्री गिरधारीलाल व्यास**: यह भानुमती का कुनबा तो आप जोड़े हुए हैं।

(शोरगुल)

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** (मुख्य मंत्री) : विरोधी दल के माननीय नेता से मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने 93 गिना रहे हैं। शायद माननीय सदस्यों को और विरोधी दल के माननीय नेता को पता होगा कि 25 तारीख के दिन कांग्रेस के 92 सदस्य थे सब मिला कर, फिर विरोधी दल में 93 कैसे गिना रहे हैं।

**श्री श्रवणलाल** : जमाना जानता है कि किस तरह जोड़े हैं। किसी को खरीदा होगा। किसी को खरीदा होगा।

(शोरगुल)

**श्री मदनसिंह** (दांतारामगढ़) : (अश्रव्य)।

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज !

**श्री मदनसिंह** : हमेशा को जाना होगा।

**श्री रोशनलाल** (सलूम्बर) : कांग्रेस दल के नेता का दावा है, अब आप बताइये।

**श्री पी. के. चौधरी** (फुलेरा) : 107 का सबूत दिया है ?

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** : इस आम चुनाव में राजस्थान में 88 स्थान कांग्रेस को मिले। एक माननीय सदस्य दो स्थानों से विजयी हुए, अर्थात् कुल 87 स्थानों पर कांग्रेस के सदस्य विजयी हुए। इसके विपरीत...

**श्री बरकतुल्ला खां** (शिक्षा मंत्री) : यह सही है, 88 थे।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** : इसके विपरीत 95 विरोधी दल के सदस्य निर्वाचित हुए। मैं यह नहीं कहता कि किसी सदस्य को रोक सके हैं हम कि वह अमुक दल को छोड कर अमुक दल में नहीं जायगा। इस सम्बन्ध में मेरे खयाल में कोई न कोई कानूनी व्यवस्था जब तक न हो तब तक हम कुछ कहने का अधिकार नहीं रखते। किन्तु कांग्रेस का बहुमत है वह मेरे ख्याल में नकली बहुमत है, कृत्रिम रूप से बनाया गया है। विरोधी पक्ष के विशुद्ध रूप से जो कांग्रेस के प्रत्याशी को हरा कर जो विजयी सदस्य हुए उनको किसी तरह समझा करके, दबा करके, प्रलोभन के द्वारा अपने दल के अन्दर मिला कर बहुमत बनाया है...

**श्री दवीदत्त** : कमरे में बन्द करके, कमरे में बन्द करके ।

**श्री प्रद्युम्नसिंह** (राजाखेड़ा) : महाराज कुमार किस लालच से गये हैं ।

**श्री श्रवणलाल** : तुम्हारा नम्बर नहीं आने वाला है ।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** : मेरे ख्याल में यह स्वतंत्र देश के लिए बड़ी भद्दी चीज है । अगर किसी व्यक्ति को ला करके किसी घर के अन्दर बन्द कर दिया जाय, पहरा लगा दिया जाय, उसको किसी से मिलने न दिया जाय और इस प्रकार कृत्रिम बहुमत बनाया जाय-ऐसे बहुमत के लिए मैं तो समझता हूं कि आपको बहुत अच्छा लगे लेकिन मैं तो कहता हूं ऐसा बहुमत धिक्कार है ।

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के सम्बन्ध में मैं विशेष चर्चा नहीं करूंगा । राज्यपाल की नियुक्ति के सम्बन्ध में मैं विशेष आपसे निवेदन नहीं करना चाहूंगा । शायद यह एक ऐसा मसला है कि इस सदन के दायरे के बाहर है । लेकिन मैं अवश्य यह कहूंगा, इस सम्बन्ध में यह विचार दृढतापूर्वक व्यक्त करूंगा कि राज्यपाल जो कोई भी हों वह मेरे ख्याल में एक स्वस्थ व्यक्ति होने चाहिए । अगर अस्वस्थ हों राज्यपाल तो उनको सिक लीव ले लेनी चाहिए । और इसके साथ साथ यह भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि चाहे जो कोई भी राज्यपाल आयें राज्यपाल तो आते हैं-जाते हैं लेकिन कोई भी राज्यपाल हों तो उन राज्यपाल के निकटतम सम्बन्धी, रिश्तेदार उस राज्य के अन्दर नौकर के रूप में नहीं लगाये जाने चाहिए जिस राज्य के वह राज्यपाल हैं··

**श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) : बेकारी बढ जायगी, क्या हुआ !

**श्री गिरधारीलाल व्यास** (आसीन्द) : आप लगवाना ।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** : माननीय सदस्य और भी खोलना चाहते हैं । मैं तो दुशाले में लपेट कर देने से रहा ।

**श्री गिरधारीलाल व्यास** : यह तो पुरानी आदत है ।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** : तो मेरे ख्याल से राज्यपाल को निष्पक्ष होने के लिए उनको शरीर से स्वस्थ होना चाहिए । शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं राज्यपाल तो मस्तिष्क भी स्वस्थ होगा-एक Healthy Body is necessary for a healthy mind इसलिए मैं यह विचार व्यक्त करता हूं कि भारत सरकार को इस सम्बन्ध में बहुत गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए कि राज्यपाल कौन हों । वह स्वस्थ हों, निष्पक्ष रहने के लिए, उनके रिश्तेदारों को एक लम्बी चौडी लेन डोरी लगा कर उस राज्य में नहीं आना चाहिए और वहां पर उनके बहुत सारे निकटतम सम्बन्धी को उस राज्य में नौकरियां नहीं मिलनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय, मैं चुनाव के सम्बन्ध में भी आपको कुछ निवेदन करना चाहूंगा । माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक वक्तव्य प्रेस कान्फ्रेन्स में दिया कि शायद राजस्थान के अन्दर जो इलेक्शन हुआ है वह मोस्टली होटली कन्टेस्टेड इलेक्शन हुआ है । मेरे ख्याल में मैं यह समझता हूं कि राजस्थान के अन्दर इलेक्शन हुआ है यह मोस्टली करप्टली और रिग्ड यह इलेक्शन हुआ है । भ्रष्टाचार की इस इलेक्शन के अन्दर पराकाष्ठा हो चुकी है ।

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण के अन्दर यह संकेत किया कि पांच करोड़ और 68 लाख रुपया अकाल के सम्बन्ध में खर्च किया गया। मैं समझता हूं कि पंचायतों के द्वारा, ईरिगेशन विभाग के द्वारा, तहसीलों के द्वारा—सब रकम मिला करके इस अकाल के अन्दर कम से कम 8 करोड रुपये खर्च हुए होंगे। उस आठ करोड रुपये के अन्दर से डूंगरपुर और बांसवाडा जैसे दो छोटे छोटे जिलों के अन्दर डूंगरपुर में सवा करोड और बांसवाडा में पौने दो करोड रुपया खर्च हुआ है।

**श्री रोशन लाल** : इसका क्या विरोध है ?

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** : अर्थात् इन दोनों जिलों में, इन दोनों जिलों को मिला कर इनका क्षेत्रफल एक लोक सभाई सीट के क्षेत्र के बराबर होता है, तीन करोड रुपया खर्च हुआ और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के द्वारा जो जानकारी प्राप्त हुई है, जो सामान्य रूप से हम सब जानते हैं राजस्थान के अन्दर 26 जिलों में से 23 जिले अकाल-ग्रस्त हैं। उन 23 जिलों के अन्दर से दो जिलों में पौने तीन करोड रुपया और उदयपुर की चार तहसीलों के अन्दर चार करोड रुपया खर्च हुआ है··

**सरकारी पक्ष के कई माननीय सदस्य** : गलत बात है ! गलत बात है ! !

**विरोधी दल के कई माननीय सदस्य** : फेक्ट है। आंकड़े हैं।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** : उन चार करोड रुपयों के बदौलत जीते हैं आप माननीय सदस्य।

**श्री प्रद्युम्नसिंह** : आप किनके प्रताप से खडे हुए हैं।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** : मैं खडा हुआ हूं या नहीं खडा हुआ हूं—आपको यह अखरता है तो उसका आपको जिस तरह से विरोध करना है करिये। लेकिन सही बात सुनने की सहिष्णुता रखिये। यह भद्दे तौर पर, मनमाने भद्दे तरीके से बकवास करने का अधिकार तो आपका है। लेकिन अपने अधिकार का आप दुरुपयोग करते हैं, सदुपयोग नहीं करते हैं। मेरे ख्याल में इस सदन की प्रतिष्ठा को रखना है तो··

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : बच्चे हैं।

**श्री देवीदत्त** : श्री सुखाड़िया ने ट्रेनिंग दी है।

**श्री गिरधारीलाल व्यास** : यह शब्द आपके लिए भी उपयोग किये जा सकते हैं जो आपने किये हैं।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** : कहना हो वह कहिये। मैं इस सदन की प्रतिष्ठा के लिए जो कुछ उचित समझता हूं वह कहने का अधिकार रखता हूं (विरोधी दल द्वारा-हिअर-हिअर) और आपके इस अनाड़ीपन और अभद्र व्यवहार का मैं विरोध करता हूं··

**श्री खेतसिंह** : जो 20 करोड़ रुपया खर्च किया था वह डूंगरपुर··

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य ! श्री सदस्य।

**श्री मदनसिंह** : आप इनको कहने दीजिये। घाटे में यही रहेंगे।

**श्री अध्यक्ष** : स्थान ग्रहण करिये।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता था, पौने तीन करोड़ रुपया डूंगरपुर और बांसवाडा में खर्च हुआ इस आठ करोड़ रुपये में से और मेरा यह व्यक्तिगत अनुभव है कि यह रुपया जिस तरह से खर्च हुआ है उसका मूल सिद्धान्त यह था कि यह येन केन प्रकारेण चुनाव जीत जायं। चुनाव को लक्ष्य बना कर यह रुपया खर्च किया गया। अगर राहत कार्यों के लिए, गरीब आदिवासियों के हित में रुपया खर्च किया तो स्वागत है। किन्तु वहां पर तो बिल्कुल यह स्पष्ट दिखाई देता था कि कांग्रेस प्लस कर्मचारी वर्सेस अपोजीशन—इस फार्मूले को लेकर चुनाव लडा गया। मैं यह कहने में तनिक मात्र भी पशोपेश नहीं करता कि यह साफ दिखता था, मानो कांग्रेस और सरकार एक साथ हो गई हो। कांग्रेस की सरकार है क्योंकि कांग्रेस का बहुमत है लेकिन सरकार एक अलग चीज है और सरकार के कर्मचारी कांग्रेस से असम्बन्धित हैं। अगर इस उद्देश्य को लेकर अकाल राहत कार्य कराते तो जनतंत्र की स्वस्थ परम्परा स्थापित होती· ·

**एक माननीय सदस्य** : मानवता खत्म हो गई थी।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** : मुख्य मंत्रीजी ने अभी कहा कि मानवता के लिये खर्च किया। अध्यक्ष महोदय, अगर यह मानवता के लिये खर्च करते तो चुनावों के बाद एक—दम यह सब क्यों बन्द कर दिया गया। मैं यह चाहूंगा कि· · ·

**श्री बृजसुन्दर शर्मा** (बून्दी) : कोई बन्द नहीं किया गया।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** : मैं यह चाहूंगा कि गरीब अंगूठा छाप आदिवासियों के लिये आप मुझे आश्वासन दीजिये कि चाहे सूखे के कारण परिस्थिति विपरीत होती जावे, खाद्यान्न की और पीने के पानी की स्थिति और गंभीर होती जावे, आज आपकी सरकार है कल रहे या न रहे, मैं नहीं कह सकता लेकिन जब तक आपकी सरकार रहे आप मुझे आश्वासन दीजिये कि जिस प्रकार दिसम्बर, जनवरी और फरवरी में राहत कार्य किये उसी तरह से अक्टूबर तक यदि आप शासनारूढ दल के नेता रहें तो निभायेंगे। और, अध्यक्ष महोदय, मैं इसके द्वारा यह भी आश्वासन प्राप्त करना चाहता हूं कि 15, 15 दिनों में उनको वेजेज देंगे। तीन-तीन-चार-चार सप्ताह तक उनको रोके नहीं रखेंगे और झूंठे मस्टर रोल बनाये जहां कार्यों का नाम निशान नहीं है, आदमियों के नाम झूंठे दर्ज किये उन आदमियों का पता नहीं। आपने गाडियों का किराया चुकाया, मगर गाडियों का नाम नहीं, मस्टर रोल में भूकया आदि नाम है मगर कोई व्यक्ति है ही नहीं· · ·

**श्री मोहनलाल सुखाडिया** : नेता महोदय को मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि चुनावों से पहले जैसा दृष्टिकोण था आज भी उसी तरह का दृष्टिकोण है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया और आगे भी उसी तरह कदम उठाये जावेंगे।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** : मैं यह कहूंगा कि आप इसी तरह से करते हैं जैसे बापू का नाम जपना और पराया माल अपना। आज कांग्रेस का कार्य भाषण, उद्घाटन और चाटन रह गया है। किसी का उद्घाटन हो गया मगर निर्माण कार्य गायब हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि उद्घाटन हो गया तो निर्माण की भी कोई अवधि होनी

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

चाहिये। आपने उद्घाटन तो कर दिया लेकिन निर्माण कार्य गायब है।

**श्री देवीदत्त** (बारां) : यह मुख्य मंत्रीजी तो घाटन में बहुत बड़ माहिर है।

**श्री अवधलाल** : आज कांग्रेस की हालत जो ऐसी है जैसी एक भगाई हुई औरत की होती है।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** : मैं आशा करता हूं कि वे इस तरह से निर्माण कार्य जरूर करेंगे और जितना करोड़ों रुपया खर्च हुआ है उससे ज्यादा खर्च करेंगे लेकिन मेरे ख्याल से यह भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है और कांग्रेस और सरकार में कोई भिन्नता नहीं है। और एक रूप होकर चुनाव लड़े और यह प्रचार हो, सड़कों पर यह प्रचार हो और तालाबों पर कांग्रेस का झन्डा लगे और कांग्रेस की वहां के मजदूरों से जय बोलाई जावे और यह प्रचार हो कि कांग्रेस सरकार सबको जिला रही है, सुखाड़िया सरकार जिला रही है। हर तरह से कांग्रेस को वोट दो और अगर तुम कांग्रेस को वोट नहीं दोगे तो मर जाओगे। कांग्रेस को वोट नहीं दिया तो विकास कार्य बन्द हो जावेंगे। अगर कांग्रेस को वोट नहीं दोगे तो हर तरह से तुम्हारी बरबादी होकर रहेगी और तुम्हारा हर तरह से नुकसान होगा। मेरे ख्याल से ऐसा अभद्र प्रचार और इस तरह से, प्रचार करके और वोट लेना और विजय प्राप्त करना एक तरह से भ्रष्टाचार और अवसरवाद की पराकाष्ठा है।

लोगों को उजरत तीन तीन सप्ताह तक नहीं देना और फिर तीनों सप्ताह की उजरत इलेक्शन के एक दिन पहले चुकाना और रात को चार बजे तक चुकाना और लोगों को दो दिन का एडवान्स पेमेन्ट करना। इस प्रकार आपको विजय प्राप्त हुई तो आपको यह विजय मुबारिक हो। मैं यह मानता हूं कि आपकी यह विजय निम्नस्तरीय है और मैं इसको कन्डेम करता हूं।

यह जो रुपया खर्च हुआ है, करोड़ों रुपया डूंगरपुर जैसे छोटे जिले में, शुरूआत में 10 लाख माहवार से खर्च हुआ और बहुत सी जगह खेरवाड़ा, सरला, लसाडिया, सलूम्बर आदि में नवम्बर तक कोई काम नहीं हुआ था और बाद में एकदम उन पर करोड़ों रुपये खर्च हुए। इसका लक्ष्य साफ़ जाहिर होता है कि आपने किस तरह से कार्य किया है। आपने इस तरह प्रचार किया कि कांग्रेस को वोट नहीं दोगे तो राहत कार्य नहीं होंगे, भूखे मर जाओगे, सस्ते अनाज की दुकानें नहीं खोली जाएंगी। सर्वनाश हो जाएगा और प्रलय हो जावेगा।

इस तरह से, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि 8 करोड़ रुपया जो अकालग्रस्त क्षेत्रों में सरकार द्वारा खर्च हुआ उसमें से 4 करोड़ सिर्फ तीन जिलों में ही खर्च किया है और बाकी का रुपया 20 जिलों में 4 करोड़ रुपया खर्च किया। इसलिये मैं सरकार पर आरोप लगाता हूं और खास कर सुखाड़िया जी के सामने कहना चाहता हूं कि उन्होंने येन केन प्रकारेण मुख्य मंत्री बनने के लिये और विरोधी पक्ष को हराने के लिये भ्रष्टाचार के द्वारा, अनीति के द्वारा अपना बहुमत प्राप्त किया है।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : यह बिल्कुल गलत है। मानवता के लिये खर्च किया और गरीबों को जिन्दा रखने के लिये खर्च किया गया।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** : मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि मानवता के लिये खर्च किया। निष्पक्ष रूप से। मैं यह निवेदन करूंगा कि यदि कोई दूसरी सरकार होती तो दूसरे स्थानों पर ज्यादा से ज्यादा मदद की जावे यह इच्छा रखती और डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में अकाल राहत कार्यों पर जो खर्च किया गया वह कोई दूसरी सरकार मेरे ख्याल से नहीं करती।

अध्यक्ष महोदय, योजनाओं के सम्बन्ध में दो शब्द मैं निवेदन करूंगा। मेरा दल बार-बार सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करता आया है कि ये योजनाएं हैं अत्यत खोखली हैं। अत्यन्त महत्वाकांक्षी है। इन योजनाओं में लाइसेन्स, परमिट, कोटा है और योजना में मुद्रा प्रसारण, इन्फ्लेशन के परिणामस्वरूप महंगाई हुई है। मैं एक हद तक मान सकता हूं कि जहां एक्सपैन्डिंग नीति हो वहां एक हद तक लेकिन 17 साल में दिन व दिन महंगाई वढ़ती जावे, मेरे ख्याल से यह योजना है जनता की खुशहाली के लिये है या जनता के सत्यानाश के लिये। मेरा यह निवेदन है कि आप उनको इस तरह परिणित करें कि कम से कम जीवन की आवश्यक वस्तुओं पर काबू पा सकें। अगर उन पर काबू नहीं पा सके तो यह आजादी नहीं, बरबादी है।

**श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा)** : यह आपकी राय है या आपकी पार्टी की है ?

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** : हमारे स्वतन्त्र पार्टी की कोई योजना है नहीं, स्वतन्त्र पार्टी की यही योजना है कि Cut the coat according to cloth. हैसियत के माफिक जो करना चाहें करें। अगर हैसियत के बाहर कुछ करेंगे तो सिर नीचे हो जावेगा और पैर ऊपर हो जावेंगे।

आज आप सोच सकते हैं, अध्यक्ष महोदय, आज गेहूं और मक्का के क्या भाव हैं, खाद्यान्नों के सम्बन्ध में बहस होगी वह तो होके रहेगी, आज गेहूं 125 रुपया क्विन्टल है, मक्का 85 रुपया क्विन्टल है। क्या यह आजादी है ? मेरे ख्याल से यह सरकार के लिये अत्याचारी व्यवस्था है। योजनाओं को सफल बनाना है तो उत्पादन और परिवार नियोजन को प्राथमिकता दें। जब तक उत्पादनकर्त्ताओं को टैक्स से मुक्त नहीं करेंगे, कर से मुक्त नहीं करेंगे तब तक उत्पादन नहीं बढ़ सकता। यह स्वतन्त्र पार्टी शुरू से कहती आई है। आज जो विरोधी सरकारें गठित हुई हैं उन्होंने भी गरीब किसानों को करों से आजादी दी है। महात्मा गांधी के शब्दों में किसान जो देश का सच्चा अन्नदाता है, उसको करों से, टैक्स से मुक्त करिये। यह नहीं करेंगे तब तक उत्पादन नहीं बढ सकता...

**एक माननीय सदस्य** : कम से कम इस बात के लिये तो राज्यपाल महोदय को धन्यवाद दीजिये।

**श्री गिरधारी लाल व्यास** : इतने दिन आपको अन्नदाता कहते थे, अब आप उनको अन्नदाता कहते हैं।

**महारावल श्री लक्ष्मण सिंह** : एक जमाने में कहलाता था पर अब आप अन्नदाता बन गये हैं। महात्मा गांधीजी के सिद्धान्त के नाते प्रादुर्भाव हुआ सेवक के रूप में, वही सेवक बन गये शोषक और शोषक बन के सत्यानाश देश का कर दिया...

**एक माननीय सदस्य** : सेवक बन गये चोर।

**एक माननीय सदस्य** : हरियाणा में विरोधी दल की सरकार है।

**विरोधी पक्ष के अनेक माननीय सदस्य** : बैठ जाओ बैठ जाओ।

**महारावल श्री लक्ष्मण सिंह** : मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में तस्कर व्यापार इस तरह से बढ़ रहा है कि ट्रक के ट्रक भर कर अहमदाबाद जा रहे हैं। अभी रतनपुर में ट्रक पकड़ा गया, वह मक्का का ट्रक था, मैं किसी के लिये अनुचित रूप से नहीं कहता पर निश्चित रूप से नहीं कहता हूं कि किसी विशिष्ट कांग्रेसी नेता का उसमें हाथ था पर जिनकी मक्का थी उनको कुछ भी सजा नहीं हुई, पता नहीं क्या हो रहा है। यह भी आपकी ऐसी व्यवस्था है

(1.53 म० प०)

(श्री केदारनाथ, सभापति, पदासीन)

उसके लिये आपका कोई कानून लागू नहीं हुआ, वे कानून से मुक्त हैं, प्रिविलेज्ड पर्सन हैं। जो छोटे मोटे विरोधी पक्ष के लोग हैं, उनको तो कानून की गिरफ्त में लिया जाता है...

**श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) : आप नाम बताइये, उनके खिलाफ एक्शन लिया जायगा।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** : साबला पंचायत के सरपंच साहब ने अफीम उगाई और उनको रेड हैंडेड पकडा गया। 200 छोड अफीम के उखाड़ कर लाये गये, मुकदमा चलाया गया, जमानत हो गई, आज वे छूटे फिर रहे हैं, कोई पकड़ा धकड़ी नहीं है जो कांग्रेस के हैं उनके लिये कोई कानून नहीं और जो विरोधी पक्ष के हैं उन पर झूठे झूठे मुकदमे चलाये जाते हैं।

**एक माननीय सदस्य** : मक्की की बात कहिये, किसकी थी ?

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** : एक कांग्रेस के नेता थे मक्की वाले और वे मेरे ख्याल में, नाम पूछना चाहेंगे तो दे दूंगा।

**श्री देवीदत्त** (बारां) : चोरी करने वाले कांग्रेसी नेता ही हैं।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** : अहमदाबाद मक्की ले जाकर स्टार्च फैक्टरी को दें यह आपकी संस्था की नीति है।

**अध्यक्ष** महोदय, कोलपुरा पंचायत क्षेत्र जो आदिवासी क्षेत्र है, दूसरी पंचायत क्षेत्र में बांट कर, छीपों और महाजनों को और एक दो मुसलमानों को भूमि अलाॅट की और इस तरह जो आदिवासियों का हक था उसको मिस्मार किया। हमने यह सब मामला कलेक्टर के सामने रखा। कलेक्टर साहब आज डेढ वर्ष से एक पेशी के बाद दूसरी पेशी डालते हैं, वे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वे भयभीत हैं कि कांग्रेस के विशिष्ट नेता उनसे नाराज हो जायेंगे। आज सर्विसेज इतनी डीमोरेलाइज हो गई हैं कि वह जनता के साथ निष्पक्ष व्यवहार नहीं कर सकतीं।

मेरा तो यह निवेदन हैं कि राजस्थान का सवाल आम जनता का है। उस जनता में कांग्रेस भी है, सोशलिस्ट पार्टी भी है, कोम्युनिस्ट पार्टी भी है, जनसंघ भी है, स्वतन्त्र पार्टी भी है। सरकार को तो यह चाहिये कि जनता के प्रश्नों को लेकर निष्पक्ष रूप से हल करे। पर आज

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

स्थिति यह है कि उनको तो ले दे कर कांग्रेस की सरकार को लाभ पहुंचाना है और विरोधी पक्ष के लोगों पर झूठे झूठे मुकदमें लगाना है। यह जनतन्त्र है तो मैं तो कहूंगा कि यह जनतन्त्र नहीं महा भ्रष्ट अधिनायकवाद है।

एक और उदाहरण दूं, सन् 47 में डूंगरपुर में दो तीन डकैतियां हुई तो कहा गया कि मैं और मेरा भाई डकैती करते हैं और आपके शासन में 7 आदिवासियों को जेल में बन्द कर के 100 गोलियां चला कर उनको मार डाला और रातों-रात उन निरपराधों को पैट्रोल डाल कर जला डाला। अभी डूंगरपुर के करियाणां गांव में डकैती हुई। कांग्रेस पक्ष वाले कहते हैं कि बड़े घर के सींगडमलजी का हाथ है, वे बड़े घर के सींगडमलजी लक्ष्मण-सिंह हो सकता है, लक्ष्मणसिंह का हाथ है तो जेल में बन्द किया जाय। लेकिन मैं आरोप लगाता हूं कि इसमें कांग्रेस के लोगों का हाथ है, दो भाइयों के पास से सोना लूटा है

**श्री भीखाभाई** : माननीय अध्यक्ष ....

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** : भीखाभाई के क्षेत्र की बात है, ये अभी जो कहना चाहें, मैं सुनने को तैयार नहीं। जो कुछ कहना है बाद में कहिये, मेरी बात सुनिये।

इसमें कांग्रेस के नेताओं का हाथ है पर उन पर किसी किस्म का मुकदमा नहीं चलाया गया और यह लूट का माल उन्होंने इलेक्शन में काम में लिया है।

पंचायतों के सम्बन्ध में भी मैं दो शब्द निवेदन करना चाहूंगा। पंचायतों में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसके सम्बन्ध में मेरा खयाल है कि पंचायत संस्था के अन्दर हमारा नैतिक अधःपतन हो चुका है। पंचायतें, यह नहीं कहता कि नहीं रहें लेकिन पंचायतों में असमानता की भी पराकाष्ठा हो चुकी है। एक पंचायत समिति में 14 पंचायतें हैं, दूसरी पंचायत समिति में 40 पंचायतें हैं, तो तीसरी में 42 पंचायतें हैं। मैं निवेदन करूंगा सरकार को कि इसमें समानता लानी चाहिये पंचायतों के गठन के सम्बन्ध में, पंचायत समितियों के गठन के सम्बन्ध में। पंचायतों के चुनाव होने वाले हैं, सरकार विधेयक लाकर ताबड़ तोड़ में पंचायतों के चुनाव करा लेगी, आपकी इस आदत से तो मैं वाकिफ हूं

(२ म. प.)

इसलिये मैं आपसे निवेदन करता हूं कि पंचायतों में अगर आप मितव्ययता लाएं, पंचायतों में सुशासन लाएं, पंचायतों में ऐसी व्यवस्था करें जिसके द्वारा अधिक से अधिक जनहित हो तो उनके स्तर को ऊंचा करने के लिये दो पंचायतों को एक पंचायत में गठित करें। इससे योग्यता भी आएगी और बदले की भावना भी उत्पन्न नहीं होगी। एक गांव में अगर आबादी ज्यादा है और दूसरे में कम है तो वह परपीचुअल मैनोरिटी में हैं, सदा के के लिये बेचारे अल्पसंख्यक होने के कारण योग्यता के स्तर पर वहां सरपंच आ ही नहीं सकता।

**श्री खेतसिंह**: पंचायतों के चुनाव एक साल आगे बढ़ाये जायें तो आपका क्या ख्याल है ?

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** : मुझे बोलने दीजिए, डिस्टर्ब न करें। एक पंचायत समिति में यदि कम से कम आप 20 और ज्यादा से ज्यादा 25 रखेंगे तो निश्चित रूप से पंचायत समितियों की तादाद करीब 80, 90 या 95

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

रह जायगी। आप ऐसा कर पाते हैं तो योग्यता के स्तर की दृष्टि से, सुशासन की दृष्टि से और मितव्ययता की दृष्टि से सरकार और जनता, दोनों का लाभ है, यह मेरी निश्चित धारणा है।

इसके साथ साथ मेरा यह भी निवेदन है कि आप सरपंच को भी एक वोट देते हैं और वार्ड पंच को भी एक ही वोट देते हैं तो यह मेरे ख्याल से डिस्क्रिमिनेटरी व्यवस्था है, असमान व्यवस्था है और निन्दनीय व्यवस्था है, अन्यायपूर्ण व्यवस्था है। एक सरपंच जो सारे पंचों के वोट लेकर आता है, उसको भी एक वोट और एक वार्ड पंच जो अपने वार्ड से जीतकर आता है, उसको भी एक वोट, यह सही नहीं है। मेरा निवेदन है कि सरपंच और उपसरपंच जो पंचायत के द्वारा चुने जाते हैं, एक डाइरेक्ट चुना जाता है और एक इन डाइरेक्टली चुना जाता है, दोनों को आप अधिकार दे सकते हैं कि वे प्रधान के चुनाव में भाग लें। राष्ट्रपति के चुनाव में विधान सभा, राज्य सभा और लोक सभा के सदस्यों को एक वोट देने का अधिकार नहीं है, उसी तरह से पंचायत समितियों के प्रधान के चुनाव में सिवाय पंच, सरपंच और उपसरपंच के दूसरे वार्ड पंचों को चुनाव का अधिकार देना उचित नहीं होगा।

साथ ही साथ जिस दिन को-ऑप्शन कराएं उसी दिन चुनाव कराएं नहीं तो एकदम खर्चीली व्यवस्था हो जाती है। जैसे यहां आपने 10 आदमी पकड कर सरकार बनाई, इस कोटा-लाइसेन्स राज के अन्दर आप सब कुछ करने में समर्थ हैं, एक एक महीना 20-20 दिन, 400-400 आदमियों को हलवा पूरी खिला सकते हैं। लेकिन दूसरा पक्ष ऐसा नहीं कर सकता, इसलिये...

**श्री बिशम्बर नाथ जोशी** (बांदीकुई): आपने भी तो ऐसे खिलाया है?

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह**: जनता के हित में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इन पंचायतों के चुनावों को लंबा न किया जाय, इनको टूंका किया जाय और सरपंच और प्रधान का चुनाव उसी दिन हो जिस दिन को-आप्शन हो।

प्राथमिक शालाओं के सम्बन्ध में दो बातें निवेदन करूंगा। शिक्षा एक महान् पवित्र और महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आप इन पंचायतों को प्राथमिक शालाएं देकर मेरे ख्याल से शिक्षा की मखौल बना रहे हैं। जो अध्यापक समाज का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिये वह गुलाम और चपरासी के समान वहां रहता है, कैसे नियंत्रण आए? जो समाज का उच्च व्यक्ति हो, वह घृणित व्यक्ति अगर माना जाय तो यह दुर्व्यवस्था है, हास्यास्पद स्थिति है। प्राथमिक शालाओं के अध्यापकों को भी सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिये अवसर दें और उनको निश्चित रूप से इतनी तनख्वाह दें कि जिसके द्वारा वह तन, मन और धन से शिक्षा के क्षेत्र में सेवा अर्पण कर सकें।

पंचायतों के सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि आपको अगर मितव्ययता लानी है तो ग्राम सेवक और पटवारी की ड्यूटीज को एक करें। बी. डी. ओ., एक्सटेंशन आफिसर और तहसीलदार के पदों का समन्वय करें। दूसरे राज्यों में भी बी. डी. ओ. के पद समाप्त किये गए हैं। अगर आप पंचायत समितियां कम करेंगे, इनकी तादाद कम करेंगे तो बी. डी. ओ. भी आप कम कर सकेंगे, ऐसी मेरी धारणा है।

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

यह सामान्य बात है कि "Justice delayed is justice denied" आपके पेंडिंग केसेज इतने हैं कि हजारों की तादाद में पड़े हुए हैं। आपको कम से कम यह तो चाहिये कि हां या ना का जवाब तो आप दें, लेकिन यहां तो आज करेंगे, कल करेंगे ही है। आपकी व्यवस्था भी इतनी दूषित है कि जरासी बात पर अधिकारी बाहर दौरा करने चले जाते हैं। लोग जाते हैं मिलने के लिये तो उत्तर मिलता है कि फलां साहब दौरे पर गया है। आपको कम से कम यह ऐलान करना चाहिये कि सारे समय में कम से कम इतने दिन महीने के अन्दर अमुक अमुक पदाधिकारी अपने हेडक्वार्टर्स पर रहेंगे। अगर आप से यह भी नहीं हो सकता तो यह दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था है। आपको पेंडिंग केसेज के निपटारे के लिये कम से कम दो तीन आदमियों का कमीशन नियुक्त करना चाहिये। जो 10-10, 12-12 वर्ष के केसेज पुराने हो गए हैं, उनका तो कम से कम फैसला करें। मैंने इस सम्बन्ध में बराबर आपका ध्यान आकर्षित किया है।

मैं एक ही उदाहरण देता हूं कि एक आदमी का पेन्शन केस है, 6 साल हो गए, उसको पेन्शन नहीं मिली। 30 वर्ष की सेवा के बाद अवकाश प्राप्त किया। कोई उसे कहता है कि यह फार्म भरो यह प्रोफार्मा भरो लेकिन कोई यह नहीं कहता कि इस मामले को हल करने के लिये तैयार हैं क्योंकि यह रिश्वत जय हिन्द का जमाना है।

श्री **दामोदरलाल व्यास** (गृह मंत्री): वह कौन आफिसर है जिसके लिये आप कहते हैं कि 6 साल से पेन्शन उनको नहीं मिली ?

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह**: कल नाम लिखकर भेज दूंगा। यह डूंगरपुर के बिजली घर का सेवक है।

**एक माननीय सदस्य**: आप नाम बतादें ?

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह**: आप समझते हैं कि मैं छिपाता हूं ? उसका नाम चांद खां है, बिजली विभाग में। कोआपरेटिव्ज के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप कुछ भी बहाना करके कहें कि अकाल के कारण हम यह वसूल नहीं कर सके, वह नहीं कर सके। ठीक बात है लेकिन 25 करोड़ रुपए इस मूवमेंट के अन्दर गर्क हुए, इसके अन्दर प्रचुर मात्रा में लोगों की धनराशि डूब चुकी है। आप कोआपरेटिव मूवमेन्ट के अन्दर विश्वास रखते हैं तो आप क्वालिटी पर न जाकर केवल मात्र क्वान्टिटी पर जाते हैं, यह निरी हठधर्मी है। राज्यपाल महोदय से बुलवा दिया उनके अभिभाषण के अन्दर कि इतनी सहकारी समितियों से बढ़कर इतनी हो गई लेकिन क्या बढ़कर हो गई। आप कम से कम यह देखिये कि बोगस समितियां कितनी हैं। उन बोगस समितियों को समाप्त करने के लिये अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो आप बाद में [illegible] के लिये जो कुछ भी करें तो जनता की गहरी कमाई के 25 करोड़ तो जा चुके हैं, आपका कुछ नहीं बिगड़ता है, 5-7 करोड़ रुपये एक दो साल में और भी खर्च कर देंगे। इसका मैं घोर विरोध करता हूं।

ये दो स्थितियां रहने वाली नहीं हैं। इन कोआपरेटिव सोसाइटीज में से बहुत सारी सोसाइटीज ऐसी हैं जिनका कोई हिसाब नहीं है। इन सोसाइटीज का कोई आडिट नहीं हुआ है। इन कोआपरेटिव सोसाइटीज में अधिकांश कांग्रेस के पिछलग्गू लोगों का प्रश्रय हो रहा है। विरोधी पक्ष के लोगों ने जहां भी सोसाइटीज बनानी चाही हैं उनको सहायता नहीं मिली है। आपको कम से कम सोसाइटीज के बारे में

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

तो निष्पक्ष निर्णय लेना चाहिये। आपको चाहिये जो लोग इस कोआपरेटिव मूवमेन्ट को लेकर सफलता पूर्वक इसको आगे चलाना चाहते हैं उनको आप सहायता व सहयोग दें। केवल कांग्रेस के लोगों को ही इसमें स्थान देकर आप इस मूवमेन्ट को आगे चलाना चाहेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी।

अब मैं ग्रामदान के सम्बन्ध में भी दो शब्द निवेदन करना चाहूंगा। यह एक प्रकार की कृत्रिम योजना है आज देश के अन्दर जो ग्रामदान हो रहे हैं उससे यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इससे ग्रामदान की योजना सफल हुई या नहीं। जहां तक डूंगरपुर जिले को इस समस्या का सवाल है मैं इतना अवश्य निवेदन करूंगा कि वहां ग्राम सुलाई खेरवाड़ा है जो आधा ग्रामदान में आगया और आधा नहीं आया। ग्रामदान में जो घर गये हैं उनको तो अनाप शनाप धन दिया जा रहा है उसका कितना सदुपयोग और दुरुपयोग हुआ यह तो मैं नहीं कह सकता। खूब आपा धापी होती है। शेष भाग जो ग्राम दान में नहीं आया है उनको भयभीत किया जा रहा है, उनको तकावी नहीं दी जा रही है। उनको धमकाया जा रहा है कि यदि तुम ग्रामदान में नहीं आओगे तो तुम्हारा यह हो जायगा, वह हो जायगा।

मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो कागजी कार्यवाही है, उसको खत्म किया जाना चाहिये। यह कृत्रिम योजना है। जो ग्रामदान में लोग आये हैं उसमें से 95 प्रतिशत ग्रामदानी असन्तुष्ट हैं पांच प्रतिशत केवल सन्तुष्ट हैं। यदि ग्रामदान स्वेच्छा से होता है तो वह स्वागत योग्य है लेकिन इस तरह से कृत्रिम योजना और जबरदस्ती से ग्रामदान करवाना चाहते हैं तो मैं इसका घोर विरोध करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा निवेदन करना नहीं चाहता लेकिन इतना ही निवेदन करूंगा कि हमारी वन सम्पत्ति का जिस तरह से ह्रास हो रहा है, माननीय भीखाभाई जी मेरे सामने बैठे हुए हैं, वे पांच साल तक वन मंत्री रहे पर इन पांच सालों में उन्होंने केवल झख मारी और भाड झोंकी। जिस तरह से वनों का ह्रास हुआ है आज उसकी वजह से ही सूखे और अकाल पड रहे हैं।

**एक माननीय सदस्य**: आप अपने ही आदमी को ऐसा कहते हैं।

**एक माननीय सदस्य**: भीखाभाई जी नोट कर रहे हैं, क्या पुराना भ्रम हो रहा है?

**श्री कृष्णकुमार गोयल**: भीखाभाई तो रहम के पात्र हैं।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह**: मैं तो इनके कांडो से पीड़ित हूं। जैसे अयोध्या कांड और लंका कांड होते थे वैसे इनके पानर्वा कांड, सोना कांड और पता नहीं क्या क्या कांड, इनकी महिमा अपार है।

तो वनों के संरक्षण के लिये मैं नये मंत्री महोदय से कहूंगा कि इसके बारे में ध्यान दें। आपके इस 15 वर्ष के राज्य से आपके पापों का घड़ा पार पार भर चुका है। आप पब्लिक में घूम नहीं सकते। (You have stayed too long to be of any good now. For God's sake, go.

**श्री आदित्येन्द्र** (डीग): अध्यक्ष महोदय, कल 4 तारीख को राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ। यह तमाम लोकतन्त्रीय देशों की परम्परा है कि असेम्बली के प्रारम्भ में

(श्री आदित्येन्द्र)

जब एक बार इकट्ठे होते हैं तो राज्य का सर्वोच्च प्रशासक आकर सम्बोधन करता है। लेकिन आम तौर से अभिभाषण में जो सरकार की नीति और कार्यक्रम होता है उन्हीं का ही उल्लेख होता है। इसलिये यह एक प्रकार से राज्यपाल महोदय का अभिभाषण वास्तविक रूप से नहीं कहा जा सकता। यह एक प्रकार से कांग्रेस सरकार जो है उसके विचार हैं, उसका अभिभाषण है और उसकी नीति और कार्यक्रम से ही इस अभिभाषण का सम्बन्ध है।

अभिभाषण में सब से पहले इस बात का उल्लेख किया गया कि अब की बार चुनाव बड़े शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुए। चुनाव के पहले बड़ा भारी हिंसा का वातावरण था और ऐसा मालूम पडता था कि अब की बार चुनावों में निश्चित रूप से झगडे होंगे। लेकिन इस का श्रेय किसी भी प्रकार आप की सरकार को नहीं, बल्कि इसका श्रेय जनता को है। आज जनता इतनी जागृत हो गई है। 1962 तक हमने देखा कि अपने देश में केन्द्र में भी कांग्रेस की सरकार थी और देश के सभी राज्यों में भी कांग्रेस सरकारें थीं लेकिन अब के चुनावों ने यह अच्छी तरह दिखा दिया कि कांग्रेस की सरकार भी हट सकती है। जिस कांग्रेस को देश की आजादी के बाद अंग्रेज लोग देश की बागडोर सम्भला गये वह कांग्रेस 20 साल तक राज्य करती रही और 20 साल तक राज्य करने के बाद भी जब उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो जनता ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह कांग्रेस को नहीं चाहती। चुनावों के पहले हम कभी यह कल्पना नहीं करते थे कि एक दो राज्यों को छोड़ कर कहीं दूसरी सरकारें भी बन सकती हैं वहां आज आधे से ज्यादा हिस्सों में दूसरी विरोधी सरकारें कायम हो गई हैं।

हमारे राजस्थान में भी आपने देखा कि विरोधी सरकार ही कायम होती और विरोधियों का ही बहुमत था, स्पष्ट बहुमत था। 93 आदमी उस समय 15 तारीख को मौजूद थे और 15 तारीख के बाद प्रारम्भ में भी 2 या 3 मार्च को भी 92 लोग एक जगह थे। बाद में कांग्रेस के भारी प्रयत्नों के बाद भी वह 90 या 91 आदमियों को अपने पक्ष में नहीं कर सकी। उसके बाद में जो जो भी घटनायें घटीं उन घटनाओं के बारे में महारावल साहब ने अच्छी तौर से प्रकाश डाल दिया है और मैं समझता हूं कि यदि मैं उन बातो को कहूं तो शायद पुनरावृत्ति होगी। मुझे तो केवल इतना ही कहना है कि यह सब ने स्वीकार किया, देश की प्रेस ने स्वीकार किया, राजस्थान की प्रेस ने स्वीकार किया कि उस समय विरोधी पार्टियों का बहुमत था। केवल सवाल एक था और वह सवाल यह था कि जिस किसी को भी आमंत्रित किया जाता है, किसी भी पार्टी के नेता को गवर्नमेन्ट बनाने के लिये आमंत्रित किया जाता है और एक बार यदि वह गवर्नमेन्ट बना लेता है तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने आपही उस पक्ष में आ जाते हैं। आज से कुछ दिन पहले संयुक्त समाजवादी पार्टी के नेता डा० राम मनोहर लोहिया ने एक जगह कहा था कि हमारे देश में अभी तक ऐसे व्यक्ति ही नहीं मामूली व्यक्ति बल्कि एम० एल० ए० और एम० पी० जो कि शक्ति के साथ जाते हैं आदर्श और सिद्धान्तों के साथ नहीं बीस फीसदी कम से कम ऐसे आदमी हैं। यदि विरोधी दल के नेता को उस समय बुला लिया जाता सरकार बनाने के लिये तो यह निश्चित बात है कि आज विरोधी दल उधर को बैठता जिधर को आज कांग्रेस दल बैठा है और कांग्रेस दल विरोधी पक्ष में

(श्री आदित्येन्द्र)

बैठता। और शायद विरोधी दल की अब तक संख्या 100 से ऊपर हो जाती। इस बात को हम भी अच्छी तरह समझते हैं और कांग्रेस के नेता भी इसको अच्छी तरह समझते थे कि जो कोई भी अपनी सरकार पहले बना लेगा वह ही अपना बहुमत यहां पर कर लेगा और इस बात में मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी सफल हुई। कांग्रेस पार्टी ने दो महीने जिस प्रकार से काम किया है और 14-15 तारीख के बाद जब राष्ट्रपति शासन हो गया उस समय जो कुछ बातें हुई वे तमाम बातें ऐसी हैं जिनसे मैं यह समझता हूं कि देश में भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा मिला है और यह भ्रष्टाचार एक तरह से राजनैतिक भ्रष्टाचार है। मैं यह नहीं कहता कि सब लोग इससे बरी हैं लेकिन कांग्रेस पार्टी और जो रूलिंग पार्टी है आज वह इसके लिये सबसे ज्यादा जिम्मेदार है क्योंकि वह ही इस काम को करेगी तो दूसरे लोग उसका अनुसरण करेंगे।

आज यह भ्रष्टाचार क्यों व्याप्त है? आज भ्रष्टाचार के बारे में सब ही लोग चर्चा किया करते हैं। दुख इस बात का है कि यहां जो राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ उसमें भ्रष्टाचार का उल्लेख नहीं हुआ। ज्यादा और मामूली दो-तीन लाइनों में इस बात को कह दिया गया और इस तरह से कह दिया कि जैसे भ्रष्टाचार कोई एक मामूली समस्या है और उस मामूली समस्या का उल्लेख भी मामूली सा। लेकिन आज जिस प्रकार से भ्रष्टाचार ने एक भयंकर रूप धारण कर लिया है और यह भ्रष्टाचार मामूली ढंग से कभी भी खत्म नहीं हो सकता है इसलिये भी इलाज बहुत बड़ा चाहिये। कभी कभी इसके उपाय बतलाते हैं कि एक विभाग खोल दिया एन्टी करप्शन का और एन्टी करप्शन के विभाग से यह भ्रष्टाचार मिट जावेगा, भ्रष्टाचार का उन्मूलन हो जावेगा।

मुझे अच्छी तरह से याद है आज से 13 साल पहले जिस समय माननीय जयनारायणजी व्यास मुख्य मंत्री थे तो वे अक्सर कहते थे कि यह एन्टी करप्शन का महकमा, भ्रष्टाचार उन्मूलन का महकमा है इसके भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये भी एक और महकमा कायम करना पड़ेगा। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये एन्टी करप्शन डिपार्टमेन्ट और एन्टी करप्शन डिपार्टमेन्ट के भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये और दूसरा क्या कर सकते हैं। यह साइकिल तो चलती रहेगी और भ्रष्टाचार कभी समाप्त नहीं हो सकता है। भ्रष्टाचार कहां से पैदा हुआ उन कारणों को ढूंढ निकालना है। अगर उन कारणों को ढूंढ निकालते तो सन् 1947 के बाद जिस कांग्रेस सरकार से बड़ी बड़ी आशायें की जाती थीं देश की ऐसी हालत नहीं होती जैसी हालत आज है। चाहे हम इस बात में गर्व कर लें, संतोष कर लें, देश में बड़े भारी आशावान हैं, बड़े उत्साह में हैं, उल्लास में हैं लेकिन अगर वास्तविकता देखें तो आज नवयुवकों के शहरों में क्या दृश्य मालूम होता है। बेरोजगारी फैली हुई है खास कर पढ़े लिखे लोगों में। एक एक जगह एक एक हजार आदमी एप्लीकेशन देते हैं। इन्टरव्यू हुआ। इन्टरव्यू में दो सौ-ढाई सौ कार्ड इश्यू होते नहीं और उनमें तीन चौथाई लोगों को इन्टरव्यू कार्ड इश्यू हो जाते हैं तो लिये जाते हैं एक हजार में से 50-60 और अधिक से अधिक 100। आप अन्दाजा लगायें कि जहां इस प्रकार की स्थिति हो, जहां एक हजार में से सौ-पचास लिये जायं इसका मतलब यह हुआ कि 100 में से 5 लिये जाते

(श्री आदित्येन्द्र)

हैं और बाकी निराश होकर चले जाते हैं। महंगाई उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। तो इस चीज को मिटाने के लिये सबसे पहले शासन बहुत एफिशियेन्ट, सच्चा और ईमानदार होना चाहिये और वह उस समय हो सकता है जब कि शासन के सबसे बड़े प्रशासक हैं, मेरा मतलब यह है कि जो इलेक्टेड मेम्बर्स यहां मिनिस्टर्स हैं वे यह सिद्ध कर दें कि हम लोग बेईमानी, भ्रष्टाचार से परे हैं। उनका जीवन बिलकुल सादगी लिये हुए हो। लेकिन आज हम देखते हैं कि धीरे धीरे हमारे सिद्धान्त उखड़ते जाते हैं। आज से कुछ दिनों पहले मिनिस्टर के लिये शहर में दस लीटर पैट्रोल काफी था और उस पैट्रोल से मान लीजिये शहर में घूम सकते हैं, आ जा सकते थे लेकिन उसकी मात्रा दूनी बढ़ा दी गई है। अगर यह कमी करें मान लीजिये तो मैं मानता हूं कि खर्चे में तो कमी शायद एक लाख रुपया साल की आयेगी लेकिन इसका एक बड़ा भारी व्यापक असर, नैतिक प्रभाव और लोगों पर पड़ेगा कि मिनिस्टर कितनी सादगी से रहते हैं और ज्यादा खर्चा नहीं करते हैं।

इसके अलावा सवाल इस बात का है कि आज जैसा अभी विरोधी दल के नेता ने कहा, दूसरे लोगों ने भी चारों ओर से आवाजें उठायीं कि आज हमारे मुख्य मंत्री या दूसरे मंत्री पैदल नहीं जा सकते, आज उन्हें अपनी रक्षा करने के लिये व्यवस्था करनी पड़ती है। क्या जरूरत है इस बात की कि हमारे आगे पीछे पुलिस चले ? क्या जरूरत है इस बात की कि आज हमारी कोठियों पर पहरे रहें ? इसके लिये एक बार नहीं बीसियों बार कहा गया है। बीसियों बार इस बारे में विचार हुआ है सन् 47 से कि कोठियों पर पहरे नहीं रहने चाहिये। हम जिस समय मिनिस्टर नहीं रहते हैं तब तो बड़ी आसानी से इधर उधर जा सकते हैं। और जिस समय हम मिनिस्टर बन जाते हैं, जब कि हम यह दावा करते हैं कि हम जनता के सेवक हैं, उस समय हमें इतना डर लगता है जनता से कि हमें सुरक्षा की जरूरत पड़ जाती है। तो यह अपने मन की कमजोरी है।

इसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं कि अगर जो हमारे दौरे होते हैं, जिस तरह से हमारा व्यवहार होता है, जिस तरह से हम लोगों से मिलते हैं, हम लोगों के यहां पर खाना खाते हैं, उन तमाम बातों का असर लोगों पर पड़ता है। लोग उससे फायदा उठाते हैं। एक दिन की बात है कि एक बार मुझ से यह लोगों ने कहा कि अब के अगर आप एम० एल० ए० के चुनाव में कामयाब हो जावें तो हम आपको दावत देना चाहेंगे और आपको ही नहीं, भरतपुर के तमाम संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के लोग हैं उनको भी दावत देंगे। मैंने पूछा कि क्या बात है। पहले तो आप कभी भी दावत नहीं देते थे, न कभी दावत का न्यौता दिया। आज क्या बात है ? तो साफ साफ कहा कि आपके आने से हमारी इज्जत हो जावेगी। आपके आने से हम अपने थोड़े बहुत काम निकाल लेंगे। सरकारी अफसर हमसे दबेंगे। तो यह बात असल में हमारे व्यवहार पर निर्भर है।

मैं यह समझता हूं कि अब वह समय आ गया है कि यदि वास्तव में हमें भ्रष्टाचार को मिटाना है तो उसे हमें अपने से मिटाना है, अपने से पहल करनी है। अपने को देखना है।

दूसरी ओर, जो कुछ भी अभी हुआ और जिस तरह से कुछ साथियों ने इधर से उधर

(श्री आदित्येन्द्र)

की तरफ फ्लोर क्रास किया या दूसरी तरफ गये तो ये तमाम बातें जो हैं, ऐसी हैं, जो वास्तव में हमारे लिये ठीक नहीं लगतीं और जो हमारे लिये भी और देश के लिये भी घातक हैं।

मैं यह नहीं कहता कि कोई फ्लोर क्रास ही न करे, लेकिन अगर कोई करता है, और निस्वार्थ भाव से करता है किन्हीं कारणों से तो मैं समझता हूं कि उसे जरूर करना चाहिये. जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं अपने एक साथी का जो आज ट्रेजरी बैंचों पर हैं और जो शायद दो तीन चार रोज के लिये इधर को भी आ गये थे। वे दिल्ली जिस समय पहुंचे, दिल्ली में जिस समय राजगोपालाचारी, जो स्वतन्त्र पार्टी के संस्थापक हैं, उनके सामने बात हुई उनसे भेंट कराई गई तो बडे हंस कर उन्होंने एक बात कही कि आपने जब कांग्रेस छोड़ दी तो मैंने भी कांग्रेस छोड़ दी और सबके सामने यह कहा कि मैं कांग्रेस टिकिट पर जीत कर आया मैं कांग्रेसी रहा। लेकिन सात तारीख को जो गोलीकाण्ड हुआ उससे मैं इतना प्रभावित हुआ और मुझे इतना भारी दुःख हुआ कि मैं कांग्रेस में नहीं रह सकता था और इसलिये मैं उसे छोड़ आया। और इसके साथ साथ उन्होंने पांच हजार रुपये देने की भी घोषणा की उन लोगों की सहायता के लिये जो उस गोलीकाण्ड में मारे गये थे, उनके परिवार वालों के लिये, या उनकी दवा दारू के लिये। मुझे उसी समय यह महसूस हो गया कि यह जरूर विरोधी पार्टी में रहेगा और विरोधी पार्टी को कभी छोड़ नहीं सकता।

आज मेरे बारे में भी कहा जा सकता है कि मैं विरोधी पार्टी में क्यों हूं ? जहां पर विरोधी लोगों के अपने अपने कई प्रकार के आदर्श हैं,. भिन्न भिन्न प्रकार के आदर्श हैं, उनका यह संयुक्त दल कैसा ? ठीक है। लेकिन जो संयुक्त दल एक सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिये बना है और जो आज भी है, चाहे विरोधी का काम कर रहा हो, और आज से पीछे भी जिस समय यह विरोधी दल शायद सरकार बना सके, यह नहीं कहता कि आज बना ले, पर अगर निरन्तर प्रयत्न करते रहे और जो एक न्यूनतम कार्यक्रम तैयार किया गया है उसके अनुसार अगर जन सम्पर्क का कार्य यह आगे बढ़ता रहा तो यह कोई मुश्किल बात नहीं है। असम्भव बात नहीं है कि विरोधी दल की सरकार बन जावे तो ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि जैसी कि यह सरकार बनी है कांग्रेस पार्टी की, उन कांग्रेस के मेरे साथियों को यह अच्छी तरह से समझ लेना चाहिये, यह पता नहीं, कितने दिनों यह सरकार चले, कितने दिन नहीं चले, उनको वे काम अपनाने चाहियें, करने चाहियें जो पिछले बीस सालों में वे कर नहीं सके।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में एक बात का उल्लेख है और वह उल्लेख यह है कि जोत की न्यूनतम सीमा निर्धारित की गई है किसान के लिये वह पता नहीं कितनी है। इसमें उसका साफ उल्लेख नहीं है। लेकिन शायद वह 6 एकड़ के करीब है। उसमें उनके लिये भू-राजस्व समाप्त कर दिया जावेगा। ठीक है, इस बात को उन्होंने माना तो सही। चाहे कुछ भी समझ कर माना हो, किया हो। यह तो आज के जो कुछ भी चिन्ह हैं, आसार हैं, उनको देख कर किया या यह देख कर किया कि विरोधी दल ने एक न्यूनतम कार्यक्रम तैयार किया है और उसमें उन्होंने यह पहला पोइन्ट रखा है भू-राजस्व का। उसमें पूरे तौर से भू-राजस्व समाप्त करने के लिये कहा गया है तो हमें भी थोड़ा बहुत इस पोइन्ट को टच करना चाहिये और कुछ यह देखना चाहिये

( श्री आदित्येन्द्र )

कि हमने भू-राजस्व को समाप्त किया। पर उसमें भी वह पूरे मन से शायद नहीं किया। उतना भी अगर पूरे मन से करते तो यह नहीं कहते कि यह खरीफ की फसल के लिये लागू होगा।

इसका मतलब यह है कि आज से आठ सात महीने के बाद का आश्वासन आज की यह सरकार दे रही है और आज की स्थिति में जब कि देश का वातावरण इस प्रकार का है जिसमें एक सरकार बनती है और वह सरकार महीने भर के बाद हट जाती है। उत्तर प्रदेश की सरकार बनी—कांग्रेस की सरकार थोड़े दिनों के बाद वहां विरोधी दल की सरकार बन गई और उस कांग्रेस पार्टी में से ही खास खास आदमी टूट कर आ गए और चरणसिंहजी जैसे आदमी के नेतृत्व में वह सरकार बनी। इसी प्रकार हरियाना में कांग्रेस सरकार बनी और वह बदल गई और इसी तरह से पंजाब में भी अदला बदली होती रही और यह भी मैं नहीं कहता कि जो सरकार जहां पर विरोधी दलों की बनी है, अगर वह भी अच्छी तरह से काम नहीं करती है तो यह हो सकता है कि विरोधी दलों की सरकार भी टूट जावे। शायद हमारे दूसरे साथी जो और विरोधी दलों के हैं इस बात से निराश हों, इस बात से दुखी हों कि कांग्रेस की सरकार बन गई यहां। पर मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि मुझे इस बात का तनिक भी दुःख नहीं है। पर मैं यह समझता हूं कि परीक्षा है यह। देखना है कि वास्तव में कांग्रेस सरकार आगे कैसे चलती है और क्या जन-हित के काम करती है।

**श्री मरुमसिंह** (दांता रामगढ़): जनता इसे नहीं चाहती।

**श्री आदित्येन्द्र:** और विरोधी दल जो हैं, वे किस प्रकार से एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं, किस प्रकार उत्साह, उल्लास और हर्ष के साथ जिस प्रकार से दो महीनों से रहे, उसी प्रकार से रहते हैं, इस बात पर बहुत कुछ निर्भर रहेगा।

जहां तक राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का सवाल है उस अभिभाषण में एक प्रकार से जो पिछली सरकार की उपलब्धियां हैं, अचीवमेन्ट्स हैं और जो पिछले पांच सालों की उपलब्धियां हैं या 65-66 या 66-67 की उपलब्धियां हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है, बतलाया गया है कि हमने कितने कितने क्या क्या काम किए उनके आंकडे दिए गए हैं और उन आंकडों से सन्तोष कर लिया गया है कि हमने यह काम किया।

लेकिन कुछ आज की ऐसी परम्परा है कि हम यह तो कह देते हैं कि हमने इतने पेड लगाए, हमने इतनी खाद बांटी, हमने इतने उन्नत बीज बांटे लेकिन इसके बारे में कभी नहीं कहा जाता है कि उसका परिणाम क्या हुआ। ऐसा भी हुआ है कभी कभी कि जब वन महोत्सव मनाया गया उसमें शायद एक लाख पेड लगाए गए और उनमें से 6 महीने के बाद 5 हजार पेड भी नहीं रहे, 95 हजार पेड खत्म हो गए। तो आज कुछ ऐसा हो रहा है कि एक तरफ तो हम काम करते हैं और दूसरी तरफ काम बिगड़ता चला जाता है और यह कहावत चरितार्थ होती है सरकार के ऊपर कि अन्धी पीसे और कुत्ते खायें यानी अन्धे होकर हम काम करते हैं, एक बार हमने काम प्रारम्भ कर दिया और उसके बाद वह काम खत्म हो जाता है। मैं इसके उदाहरण स्वरूप कुछ बातों के लिए अपने

( श्री आदित्येन्द्र )

भरतपुर जिले के बारे में आता हूं क्योंकि राजस्थान के बारे में न तो मुझे बहुत ज्यादा पूरा ज्ञान है और न मैं राजस्थान में पूरी तरह से घूमा हूं। लेकिन भरतपुर जिले में अगर कानून और व्यवस्था का सवाल है तो मैं समझता हूं कि कानून और व्यवस्था के लिए चाहे हम संतोष कर लें लेकिन उसमें सुधार नहीं हुआ है। बल्कि एक तरह से बिगाड़ ही हुआ है। जिन जगहों पर पहले कोई अपहरण की घटनायें नहीं सुना करते थे, वहां पर डाके की घटनायें हम नहीं सुनते थे लेकिन पिछले 3-4 सालों में डाके और अपहरण की घटनायें हुई हैं। बयाना तहसील है उसमें एक गांव है समोगर वहां पर 3 बच्चे उठा लिये और इस तरह से उनको ले गए कि उनसे रुपये मांगने के लिए कहा और अभी तक उनके बारे में जो कुछ भी कार्यवाही हुई है वह जाने पुलिस क्या कर रही है। इस तरह से कई जगहों पर डाकेजनी हुई है। गांवों तक में हुई जैसे नदबई का गांव है वहां हुई। चोरियों की तो कोई गिनती ही नहीं है। बल्कि लोग इतने निराश हो गये हैं कि जब चोरी हो जाती है तो वह लोग रिपोर्ट भी नहीं कराते हैं और वह कहते हैं कि रिपोर्ट कराने से क्या लाभ, क्योंकि अगर रिपोर्ट भी करा देंगे तो चोरी बरामद तो कोई होने वाली है नहीं। तो यह भी देखना है कि अव्वल तो रिपोर्ट होती ही नहीं है और अगर कुछ केसेज में हो भी जाती है तो देखना यह है कि हम कितने मामलों में कामयाब होते हैं। तब तो हमारी एक तरह से वाहवाही है, शाबाशी है, हमारा क्रेडिट है और अगर उसमें हमें कामयाबी नहीं मिलती है तो मैं समझता हूं कि उससे ज्यादा बात कहने से कोई लाभ नहीं है।

इसी तरह से अगर और बातों को भी देखें तो जो कुछ भी फैसले किये जाते हैं उनमें अभी तक पक्षपात का बोलबाला है, पक्षपात का सहारा लिया जाता है। एक मिसाल मैं इसके लिये देना चाहता हूं। हमारे सदन के एक साथी हैं नत्थीसिंहजी उन्होंने एक तस्दीक की आज से कुछ दिनों पहले एक उप-सरपंच के कहने से और उसके बाद यह कहा गया कि आदमी तो मर गया है और इस मरे हुए आदमी से 700 रुपये ले लिये हैं। तो उसके बाद यह मामला कई बार आया। यहां पर भी आज हमारी सरकार के जो लोग हैं, मुख्य मन्त्री तक के पास यह सवाल आया, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक में भी शायद उन्होंने कुछ कहा और उसके बाद विधि मन्त्रीजी के पास भी गया और उन्होंने भी अपनी राय दे दी और फिर भी उसके बाद पता नहीं क्यों वह मामला वहां पर चला गया। अभी तक इस प्रकार के जितने भी मामले जो तस्दीक वगैरह किये हैं और लोगों ने, वकीलों ने भी शायद कोई एम० एल० ए० हों उनका अपराध नहीं माना गया। उनको एक तरह से गवाह माना गया है। दूसरे जब कहते हैं मेरे कहने पर किया तो वह किस प्रकार से अपराध होता है। चलिये इस बात को छोड़ते हैं। दूसरी बात यह है कि एक तरफ यह किया जाता है कि अपनी पार्टी वालों को बचाने के लिए और तरह की कोशिशें की जाती हैं। आज से 4-5 साल पहले की बात है कुम्हेर पंचायत समिति के प्रधान हैं श्री भीमसिंहजी उन्होंने एक ऐसा काम किया और उनके ऊपर एक डकैती का केस दायर किया गया। उसमें वह फंस गये। लेकिन इस बात को दबाने की पूरी कोशिश की कि किसी तरह से वह मामला न चले

(श्री आदित्येन्द्र)

और वह चला ही नहीं बहुत दिनों तक। शायद राष्ट्रपति शासन हुआ तो इसमें इस बात की आज्ञा मिल गयी कि शायद उनके ऊपर यह केस चलाया जाये। लेकिन फिर यह मालुम हुआ है कि यहां से इस प्रकार से लिख कर गया है कि कागजात को फिर भेजा जाये। शायद दबाव से ऐसा हुआ होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि पार्टी इस तरह से मजबूत नहीं बन जाती है, पार्टी कमजोर हो जाती है। स्वयं एक मीटिंग में, कांग्रेस की मीटिंग में चुनावों से पहले स्वयं सेण्टर के जो उस समय मंत्री महोदय थे श्री राजबहादुरजी उन्होंने कुछ आरोप लगाये हमारे वर्तमान होम मिनिस्टर श्री दामोदरलालजी व्यास के ऊपर। उन्होंने उसका जवाब दिया और अखबारों में भी वह प्रकाशित हुआ। अखबारों में उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर यह दबाव डालते हैं और इस तरह की बातें मुझ से नाजायज या और बातें जो ठीक नहीं हैं उनको कराना चाहते हैं। यह उनके खुद के शब्द हैं और खुद ने यह बात कही और फिर अन्त में भीमसिंहजी के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया। यह तमाम बातें उस समय कही। आज मैं समझता हूं कि अगर उन्होंने कोई गलत काम किया है तो गलत काम करने का जरूर दण्ड मिलना चाहिये चाहे मैं हूं या दूसरा हो। इस तरह से सिफारिश का अन्त होगा। इसी तरह से अगर कांग्रेस गवर्नमेंट मान लिया हम चाहें या नहीं चाहें लेकिन अब वह दो महीने की शक्ति है तो वह शायद 3-4 महीने के लिए है। तो इस तरह से जो कुछ भी यह वातावरण है निष्पक्षता का वातावरण आज हमें कायम करना चाहिए। आज देश को बड़ी भारी जरूरत है इस बात के लिए कि आज पार्टी से ऊपर उठ कर हमें काम करना है। देश की सुरक्षा भी खतरे में है। देश में ऊपर से तो शान्ति मालुम पड़ती है लेकिन वास्तव में शान्ति नहीं है। आज तो लोग खाली मजा लेते हैं पार्लियामेंटरी प्रोग्राम में, चुनावों में, चाहे वह चुनाव पार्लियामेंट के हों चाहे वह असेम्बली के हों, चाहे वह पंचायतों के या समितियों के हों। तो इस तरह से मैं समझता हूं कि अगर जिस तरह से आज तक हम चलते रहे हैं उसी तरह से काम करते रहे तो काम चलने वाला नहीं है।

जहां तक इसका प्रश्न है कि कृषि उत्पादन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, यह ठीक है और इस बात का आश्वासन आज से नहीं पिछले 18-20 सालों से दिया जा रहा है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहां पर कृषि के लिये ही प्राथमिकता मिलनी चाहिये। पिछले 5-7 सालों में इस बात पर और भी ज्यादा जोर दिया गया है लेकिन जितना जितना हम इसका इलाज करते हैं उतने उतने ही मर्ज बढ़ता चला जाता है। आज से 10 साल या 12 साल पहले हम लोग शायद 2 मिलियन टन अनाज बाहर से मंगाते थे। उस समय कहा गया हमसे कि अगले 2-3 साल के बाद शायद 1956-57 में हम आत्म निर्भर हो जायेंगे लेकिन उसके बाद 2 मिलियन टन आयात की मात्रा और भी बढ़ गयी और पिछले साल में तो आपने देखा कि उसकी मात्रा शायद दस मिलियन और बारह मिलियन टन तक हो गई। एक करोड़ और बीस लाख तक हो गई और इस प्रकार हम आत्मनिर्भर नहीं हो सके। इसका

(श्री आदित्येन्द्र)

मुख्य कारण क्या है ? अगर हम सोचें तो हम कह सकते हैं कि इसमें मुश्किल की क्या बात है। अच्छे उन्नत बीज चाहिएं, केमिकल खाद या कम्पोस्ट खाद चाहिए और इसके साथ साथ अच्छे औजार, हल वगैरह चाहिए। भूमि सुधार होने चाहिए। तो कहने में तो यह बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन भूमि सुधार का जहां तक सम्बन्ध है, कृषि उत्पादन का जहां तक सम्बन्ध है, उसके लिये मैं समझता हूं कि आज से दस बारह साल पहले हमने सीलिंग का कानून लागू किया और एक प्रगतिशील हमारा वह स्टेप था। लेकिन आज से दस ग्यारह साल पहले जो कानून पास हुआ वह कानून आज तक लागू नहीं हुआ। उसमें थोडे से आदमियों के विरोध करने से, आपस में विरोध होता रहा। सरकार, कांग्रेस सरकार, अपने कदम से पीछे हटती चली गई और आज तक सीलिंग का कानून अमल में नहीं आ सका है। आज भी मैं यह समझता हूं कि यह जो विरोधी दल का 17 पांइण्ट का प्रोग्राम है उसमें सीलिंग कानून को समाप्त करने का प्रावधान है। शायद कांग्रेस सरकार इससे घबरायेगी कि हम क्या करें। जो काम हमने पहले किए थे उनको हम अमल में लाए नहीं, आज अगर हम उनको पूरा करते हैं तो उनको डर है कि शायद विरोधी दल यह न कहे कि यह तो वही बात है जो हमने बताई।

आज आपको अहसास हुआ है तो आप कहें कि हम ठीक हैं। लेकिन जो राइट बात है, उचित बात है, उस उचित बात को भी करना ही चाहिए। इसका चाहे कुछ भी असर हो। चाहे इसका विपरीत भी असर आप पर पडे लेकिन किसानों का तो लाभ होगा, आम जनता को तो लाभ होगा और देश आगे बढेगा। सरकार तो यहां के लोगों की बनेगी। किसी एक की बपौती नहीं है कि वह पार्टी ही राज करती रहे हमेशा, और अगर एक ही पार्टी की यह इच्छा बनी रहती है कि हम ही हम राज करते रहें हमेशा तो फिर वह पार्टी एक तानाशाही पार्टी में परिवर्तित हो जाएगी। और जहां पर कि तानाशाह पार्टी, मान लीजिए रूस और चीन में कम्युनिस्टों की है तो वहां पर भी कुछ उनके नियम हैं, कायदे हैं, कुछ उनका शास्त्र है, तो वहां पर तब भी तानाशाह के रूप में भी जनता के लाभ की चीजें होती रहती हैं। यद्यपि कुछ लोगों के ऊपर व्यक्तिगत आजादी पर फर्क आता है लेकिन यहां तो हमें एक तरफ लगता है कि न तो हम वास्तव में प्रजातन्त्रीय हैं और न हम एक तरह से उस प्रकार के तानाशाह हैं। हमारा तो एक तरह का विकृत रूप है और यह विकृत रूप देश के लिए बडा भारी खतरनाक रूप है। इसलिए जो भी पार्टी आज शासन कर रही है इतने दिनों से, उस पार्टी के लिये मान लिया जाय कि वह ठीक प्रकार से काम कर रही है या नहीं कर रही है और अगर वह चली भी जाय और दूसरी पार्टियों के हाथ में हुकूमत आ जाय तो कम से कम वह यह तो कह सकेगी कि हमने एक अच्छी परम्परा कायम की लेकिन अगर मान लिया कि इस तरह से स्वेच्छा से नहीं जाना चाहती और अगर जबरदस्ती से या बल प्रयोग करके, कोई चीज होती है तो उसके परिणाम कभी भी अपने देश के लिए, किसी भी आदमी के लिए ठीक नहीं हो सकते। तो आज हम देखते हैं कि इसी

(श्री आदित्येन्द्र)

कारण आज हमारे कृषि उत्पादन में भी वृद्धि नहीं हो पाती ।

कृषि उत्पादन की वृद्धि में हमने आज शायद पंचायत और पंचायत समितियों को साधन बना रखा है । इन पंचायत और पंचायत समितियों के जरिए, पंचायतों को तो छोड़िये, पंचायतें तो नाम मात्र की पंचायतें रह गई हैं, पंचायत समितियों के जरिए किसानों के लिए यह तमाम चीजें दी जाती हैं । लेकिन आप स्वयं भी जानते होंगे कि शायद कोई विरली ही ऐसी पंचायत समिति हो राजस्थान की 233 पंचायत समितियों में जिसमें कि बहुत अच्छा काम हो रहा होगा । हमारे इधर की तरफ देखें, भरतपुर जिले में, वहां की पंचायत समितियों की और खास तौर से उस पंचायत की जिस पंचायत समिति के क्षेत्र में मैं भी रहता हूं, वहां पर भी मैंने देखा है कि दो दो हजार की तकावी के लिए लोगों को छः छः महीने घूमना पड़ता है । इन छः महीनों में शायद उनको बीस बीस बार आना पड़ता है और दो दो दिन उनको वहां बिताने पड़ते हैं । उनके साथ सिफारिश के लिए पंच या सरपंच आता है और वे पंच और सरपंच उनके ऊपर खाना खाते हैं, उनको वहां पर रहना पड़ता है रात को, शराब पीते हैं और फिर भी उनको रुपया मन्जूर नहीं होता । और मन्जूर भी अगर रुपया होता है तो उन लोगों को होता है कि जिन लोगों को वास्तव में जरूरत नहीं है । इस प्रकार के ऐसे बहुत से आदमी आपको मिलेंगे जिनको पूरी कोशिश करने के बाद भी पैसा नहीं मिला और पैसा उनको तो किसी भी हालत में नहीं मिलने वाला है जो पंचायत समिति के प्रधान के खिलाफ हैं । पंचायत समिति के प्रधान के साथ भी जो लोग हैं उनमें से भी उन लोगों को तकावी मिल सकेगी जो उनके खास लेफ्टिनेंट हैं, जो उनके लिए खुद भी खाते हैं और उनको भी खिलाते हैं । तो इस तरह के बहुत से आदमी वहां पर मिलेंगे जिनको पूरी कोशिश करने के बाद भी तकावी नहीं मिली । उन्होंने कुए बना लिए, दो दो हजार, चार चार हजार रुपये उन्होंने कर्ज के ले लिए, किसी ने दो रुपया सैंकड़ा एक महीने का ब्याज दिया, किसी ने, हमारे यहां अधन्नी का ब्याज है यानि तीन रुपया दो आना सैंकडा, एक महीने का ब्याज दिया । एक साल में साढे सैंतीस रुपया ब्याज का दिया और ढाई साल में तो दूना हो जाता है रुपया । तो इस तरह का कर्जा उन पर हो गया । तो इस तरह से आप ही खद यह सोचें कि किस प्रकार कृषि उत्पादन होगा । आप यह कहेंगे कि यह हमारा काम नहीं है, यह तो पंचायत समितियों का काम है । ठीक है, पंचायत समितियों का काम है, लेकिन पंचायत समितियों की देखभाल के लिए भी तो कोई न कोई होना चाहिए । जब यहां पर कोई बात हुई तो राष्ट्रपति का शासन हो गया । राष्ट्रपति का शासन का मतलब है कि कांग्रेस सरकार जो यहां पर थी या जो विरोधी दल था, जो 184 आदमी चुन कर आए, दो करोड़ जनता के प्रतिनिधि जो बन कर आए, उनकी भावनाओं की परवाह न करके राष्ट्रपति शासन कायम कर दिया । चाहे वह ठीक किया या नहीं किया, यह अलग बात है, लेकिन मैं समझता हूं कि उन्होंने दखल तो दिया । इसी तरह से मैं समझता हूं कि वहां पर कम से कम दखल देना तो सीखें । कोई न कोई मिनिस्टर ऐसा हो जो इनको देखे । आप पंचायतों

(श्री आदित्येन्द्र)

की बात छोड़ दीजिए, पंचायत समितियों तक का कोई प्रभाव नहीं है। जिन पंचायतों के बारे में, 1947 से पहले, आजादी की लड़ाई के समय यह कहा करते थे कि हम अपने देश में पंचायती राज देखना चाहते हैं, हम अपनी पंचायतों को मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन आज जितनी पंचायतें हैं वे टूटी-फूटी हालत में हैं। आज जो पंचायतें हैं वे एक तरह से जैसे सीढ़ी में पत्थर लगे हुए होते हैं और वह पत्थर टूटा-फूटा होगा तो उससे जब चढ़ेंगे तो वह पत्थर भी गिर जायेगा और उस पर चढ़ने वाला है वह भी चढ़ नहीं सकेगा, गिर जाएगा।

(3 म० प०)

इसलिए पंचायतें तो खत्म होंगी ही लेकिन पंचायतों के साथ साथ पार्टियां भी खत्म हो जायेंगी और देश भी खत्म हो जाएगा। जो पंचायतें हैं या सरपंच हैं या पंच हैं अगर वे गलती करते हैं तो क्यों नहीं रोक सकते, और अगर मान लें कि किसी समय 233 पंचायत समितियों के प्रधानों में से अगर 5-7 ऐसे प्रधानों को छांट लें जिनके यहां ज्यादा से ज्यादा गल्तियां हैं और उनको एक दण्ड मिल जाय, पनिशमेंट मिल जाय तो मैं समझता हूं कि 233 पंचायत समितियों में अपने आप ठीक काम शुरु हो जाय। लेकिन इन पिछले 10 सालों में पंचायत समितियों का काम हुआ है उससे तो मैं समझता हूं कि पंचायत समितियों का नाम लगभग समाप्त हो गया है। पंचायत समितियों की कोई जरूरत नहीं है। जिस समय आवश्यकता होगी बना लेंगे, और मैं इस बात को खुद भी मानता हूं कि मेरा भी इससे सम्पर्क रहा है, और शायद आज से 10-12 साल पहले जिस समय यह कांग्रेस के सामने सवाल आया उस समय मैं भी एक आदमी उनमें से था। बलवन्तराय मेहता कमेटी की जो रिपोर्ट आई उसमें हमने इन चीजों को स्वीकार किया, लेकिन वह खाली एक्सपेरिमेण्टल मेजर था। आज कुछ राज्यों ने इस बात का अनुभव किया है और वे राज्य अपनी गलती को फिर वापिस लेने लगे हैं। मैं समझता हूं कि यह जो कुछ भी स्टेप है वह आज एक तरह से बिल्कुल ऐसा स्टेप हो गया है जिसको प्रतिगामी स्टेप कहें तो घबराने की बात नहीं है। इसकी जगह एक दूसरी चीज काम कर सके या पंचायतें जो पहले थी जिला परिषदें या और कोई जिला संगठन हो और बीच के इस संगठन को खत्म कर सकें तो मैं समझता हूं कि कई करोड़ रुपया जो बेकार चला जाता है वह करोड़ों रुपया बच सकता है, और इस प्रकार से हम पूरे भू-राजस्व को खत्म कर सकते हैं।

तो और दूसरी बात यह है कि कृषि-उत्पादन, अगर मान लें इस तरह से ठीक-ठाक हो जाय तो कृषि-उत्पादन में हर एक गांव में काफी वृद्धि हो सकती है। ठीक से ठीक बात सोची जानी है लेकिन उस पर अमल एक फी सदी भी नहीं होता है।

दूसरी बात नीति सम्बन्धी है। अभी तक जो कुछ भी हमने योजनाएं मन्जूर की हैं वे योजनाएं बड़ी बड़ी मन्जूर की हैं। उन योजनाओं का अभी तक पूरा लाभ मिलने भी नहीं लगा है। चम्बल की योजना हमने पूरी की और इधर भाखरा की योजना पूरी की, और उनका जितना लाभ आज से हम 5-7 साल पहले समझते थे उतना लाभ भी आज हमें नहीं मिल रहा है। आज हमने

(श्री आदित्येन्द्र)

यह भी देख लिया है कि पिछले 2-3 सालों से कि उनमें पानी भी उतना नहीं आया या पानी इकट्ठा नहीं कर सके इसलिए बिजली के उत्पादन में भी ह्रास हुआ है जैसा कि अभिभाषण में उल्लेख किया गया है। लेकिन इसमें भी अगर मान लें कि ठीक प्रकार से पानी की व्यवस्था कर दें तो मैं समझता हूं कि हम बहुत बड़ा काम कर सकते थे और हम कृषि-उत्पादन में हमारे राज्य को न केवल आत्म-निर्भर ही करते बल्कि बहुत अनाज यहां से बाहर भेज सकते थे। आज हमें अनाज बाहर से मंगाना पड़ा। यह राज्य जिसकी आबादी अभी बहुत ज्यादा नहीं है और जिसका क्षेत्रफल बहुत काफी है, आबादी के लिहाज से जब हम इसकी तुलना करें उत्तर प्रदेश से तो यहां पर तिगुनी जमीन एक के हिस्से में आती है, और तिगुनी जमीन होते हुए भी आज इसका हम इन्तजाम नहीं कर पाते, यह वास्तव में बडे भारी दुःख की बात है।

इसके अलावा मैं कुछ एक छोटी छोटी बातों की तरफ हाउस का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। भरतपुर जिले में किला है और किले के चारों ओर नहर है। उस नहर के चारों ओर एक सड़क है। वह सड़क जो है मील या डेढ मील के घेरे में है। उस सडक की मरम्मत पिछले 20 सालों से नहीं हुई। आप यह कह सकते हैं कि यह काम तो म्युनिसिपल एरिया का है और म्युनिसिपल कमेटी का है, लेकिन म्युनिसिपल कमेटी ने भी पिछले सालों में योजना बनाई और इसके लिए कर्जा मांगा, इसके लिए ग्राण्ट मांगी, लेकिन किसी ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। आज उसकी इतनी बुरी हालत है कि भरतपुर में आप घुस नहीं सकते। वह जो नहर है उस नहर पर शायद गांवों के आदमी आ जाते हैं नहाने के लिये, शहर के आदमी बहुत कम जाते हैं और नहाने वालों की संख्या भी शायद कम हो गई है, लेकिन तब भी रोजाना संख्या 3 हजार से कम की नहीं है। जहां स्वास्थ्य के बारे में ही बारबार यह कहते हैं कि हमने स्वास्थ्य के बारे में काफी तरक्की की है, स्वास्थ्य सेवाओं का काफी विस्तार किया है, लेकिन जहां पर 3-4 हजार आदमी रोजाना नहायें, जहां आस-पास के कुओं का पानी उस नहर के कारण मीठा है, नहीं तो वहां पर सभी कुए खारे हैं और अभी तक सब जगहों पर नलों का विस्तार नहीं हो सका है। बहुत ऐसे गरीब आदमी हैं जो कुए से पानी लाते हैं वहां पर मैं समझता हूं उसके लिए भी इन्तजाम करना चाहिए। वह सड़क भी बननी चाहिए, क्योंकि एक तरफ तो वह सड़क टूरिस्टों के लिए जो वहां टूरिस्ट आते हैं उनके लिए एक देखने लायक जगह है, जरूरी है। किला भी जो है उसकी भी मरम्मत होनी चाहिए। पानी की सफाई का भी इन्तजाम होना चाहिए।

इस तरह से और भी छोटी छोटी जगह चाहे भरतपुर को देख लें, अलवर को देख लें, जहां बड़े बड़े तालाब हैं वहां हजारों आदमी नहाने आते हैं लेकिन तालाबों के घाटों की मरम्मत शायद जिन लोगों ने पहले तालाब बनाये हैं उन लोगों ने ही की है। उसके बाद किसी ने नहीं की है। आज कोई सेठ मरम्मत कराता नहीं। सेठ मरम्मत कराना चाहता नहीं। वह समझता

(श्री आदित्येन्द्र)

है कि हम क्यों करायें, क्योंकि इन्कम टैक्स लग जायगा, दूसरा टैक्स लग जायगा। जब यह देखा जायगा कि हमारे पास रुपया है, तो उसका इन्तजाम सरकार अपने हाथ में सीधा ले सकती है। डीग के तालाब हैं, रूपबास के तालाब हैं। तो इस तरह से ये बातें बहुत छोटी छोटी मालूम पड़ती हैं, लेकिन बहुत जरूरी हैं और इन बातों के लिए कभी कभी गांवों में चर्चा भी चलती है और गांव वाले यह कहते हैं कि शहर वालों के लिए तो वालोद्यान बनाये जाते हैं। थोड़ी-थोड़ी दूर पर दो-दो फर्लांग पर पार्क लगाये जाते हैं, दिल्ली शहर में पार्क लगाये गये हैं। हमारे जयपुर शहर में भी पार्क हैं, उदयपुर में भी हैं, बीकानेर में भी हैं, लेकिन गांवों का जहां तक सवाल है वहां उनकी मामूली से मामूली आवश्यकता की जो चीजें हैं वे उनको नहीं दी जायं। मान लें कि कोई कण्ट्रोल की चीज नहीं मिलती है तो भी वे सब्र कर लें। आज चीनी का सवाल है चीनी आधा किलो प्रत्येक व्यक्ति को मिलती है कस्बों और शहरों में लेकिन गांवों में तो 3-4 महीनों से चीनी बिल्कुल ही नहीं मिली है। हमारे गांव की तरफ तो बिल्कुल मिली ही नहीं। होली के त्यौहार पर भी चीनी नहीं मिली। जब उनके यहां शादी होती है तो भी चीनी नहीं मिलती है और चार-चार, साढ़े तीन रुपये मन के हिसाब से.........

**एक माननीय सदस्य** : सेर।

**श्री आदित्येन्द्र** : साढ़े तीन रुपये किलो के हिसाब से उन्हें चीनी को खरीदना पड़ा, या बूरा खरीदना पड़ा, या खांड खरीदनी पड़ी।

इसी तरह से पिछले दिनों जब फसल आई नहीं थी उस फसल से पहले गांवों में बडी भारी किल्लत थी अनाज की। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था, त्राहि त्राहि मची हुई थी और सरकार का ध्यान उस ओर नहीं गया था। कारण क्या था? आज किसान संगठित होना नहीं चाहते या संगठित होना जानते नहीं हैं। जो कार्य-कर्ता हैं, नेता हैं वह किसानों में संगठन करने के लिये जाते नहीं हैं।

आज मजदूर भी संगठित होकर आगे बढते हैं। शहरों के आदमी भी संगठित होकर आगे बढते हैं। और इसलिए उनका डर है सरकार को कि अगर कहीं जुलूस निकाल दें तो फिर जुलूस निकालने के बाद और भी कई पेचीदगियें पैदा हो जायेंगी। इसलिए हमें इनकी बात को मान लेना चाहिए। लेकिन जो सत्तर प्रतिशत गांवों में रहने वाले आदमी हैं उनकी तरफ हमें ध्यान देना है। मेरा तो मानना है, यदि मान लो शहरों में भी आगे जायं तो शहरों में बड़े बड़े आदमियों की तरफ ध्यान दिया जाता है। उनके लिये जमीन के प्लाट्स दिये जाते हैं। अब तो चलो नीलामी होती है यानि बोली लगाते हैं लेकिन किसी समय आज से पन्द्रह-बीस साल पहले चार चार आने गज में जमीन मिली या डेढ-दो रुपये में जमीन मिली वह सब मिनिस्टरों को मिली, सेक्रेटरीज को मिल गई, डिपार्टमेंटल हैड्स को मिल गई, बडे बडे नेताओं को मिल गई और लोगों को भी मिल गई जो उनके पीछे पीछे लगे रहते थे। यह सब चीजें हैं। मुझे भी मिल गई। लेकिन सवाल यह है कि गरीब लोग जो हैं उन लोगों के लिए ध्यान नहीं दिया जाता है। उन लोगों को व्यवस्थित

(श्री आदित्येन्द्र)

ढंग से बनाना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि आज यह कोई भी बड़ी आसानी से कह सकता है और इन बातों का उल्लेख राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं किया गया है जो कई महत्वपूर्ण बातें थीं। आवास का सवाल ज्यों का त्यों बना रहा है। आवास का सवाल एक विकट सवाल है--गांवों में खास तौर से शहरों में आवास की इतनी बड़ी मुश्किल नहीं। लेकिन कस्बों में भी यह सवाल है, गांवों में यह और भी ज्यादा विकट है, शहरों में भी और कस्बों में भी जिनकी तीन-तीन, चार-चार हजार की आबादी है। जैसे रूपवास, नदबई है, नगर है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे कस्बों में, जो तीन-तीन, चार-चार हजार की आबादी के हैं, आप ताज्जुब करेंगे जो जमीन की रेट हो गई है वहां पर एक एक वर्ग गज के लिए तीन-तीन सौ रुपये देने पड़ते हैं जब कि शायद जयपुर जैसे शहर में भी इतनी जमीन की कीमत नहीं बढ़ी है। इसका कारण क्या है? वहां पर उन चीजों का कोई ध्यान नहीं दिया जाता है? वहां के अधिकारियों को शायद अधिकार नहीं है इसलिए नहीं काम होता है। बहुत से लोग जब मकान बनाते हैं, दुकान बनाते हैं तो बीस-बीस साल हो गये हैं लेकिन उनके मामले आज तक हल नहीं किये गये हैं। हिण्डौन को देख लें, पत्थर वालों को देख लें तो शासन के सामने बार बार उनका सवाल आता है तो चुनाव के पहले थोड़ा बहुत ध्यान दे दिया जाता है। थोड़ी बहुत मदद दे देते हैं और उसके बाद फिर मामले खत्म कर दिये जाते हैं। इसी तरह से और जो दूसरे सवाल हैं और जगह हैं वहां पर भी इन बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। तो मैं समझता हूं कि जब यह बातें ऐसी हैं जो बहुत ही जरूरी हैं और जिनका होना बड़ा भारी आवश्यक है, जब इनकी ओर हमारा ध्यान नहीं तो हम उस अभिभाषण, उस सरकार की नीति या कार्यक्रम का किस प्रकार से समर्थन कर सकते हैं। उसका हम विरोध ही कर कर सकते हैं और विरोध में ही विरोधी पार्टी के जितने लोग हैं वह खड़े हो रहे हैं एक के बाद दूसरे और चाहे विरोध मामूली हो, चाहे विरोध जोरदार भाषा में हो--कैसा भी हो--लेकिन मैं समझता हूं कि अब इन तमाम बातों की ओर ध्यान देना होगा।

शिक्षा का सवाल है। शिक्षा का भी वही हाल है। अगर मान लो, स्वास्थ्य का सवाल है तो स्वास्थ्य के मामले में यह तो ठीक है कि डाक्टर मौजूद है, यह भी ठीक है कि अस्पताल हैं लेकिन आप अगर यह देखें कि कितने अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं तो मालूम होगा कि इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। आज से थोड़े दिन पहले भरतपुर के हास्पिटल में मैं गया। अब पता नहीं मुझे, इसका इन्तजाम हुआ या नहीं। रोगियों को लाने के लिए जो वाहन होता है, वाहन, वह छः-छः, आठ-आठ, दस-दस महीने से नहीं है। इतना बड़ा अस्पताल, जिसमें इतने बैड्स और वहां पर भी रोगियों को लाने के लिए कोई वाहन नहीं। और उस पर सरकार का कोई खर्चा भी नही होता है। उसमें जो रोगी बाहर से लाये जाते हैं उनसे पैसा लिया जाता है। अब उनको कितनी कठिनाई होती होगी। बात क्या है? छोटी सी है। वहां से वह गाड़ी यहां भेजी गई मरम्मत के लिए और मरम्मत होकर वह गाड़ी आठ महीने

(श्री आदित्येन्द्र)

में भी नहीं गई। बार बार कोई न कोई ऐतराज कर दिया गया। जब इतनी बदइन्तजामी है तो यह आज हम कैसे कह सकते हैं कि यह बात ठीक है, यह हमारा इन्तजाम ठीक है। अगर मान लो, रोगियों को लाने के लिए जो भी व्यवस्था है वह व्यवस्था दो दिन भी टूट जाती है तो दो दिन में भी कितना नुकसान हो सकता है। हां, यह बात जरूर है कि दो दिन के अन्दर पांच आदमी, सात आदमी इस व्यवस्था की कमी के कारण मर जायं तो शायद हमें दुःख न हो इस बात के लिए या हम तक इसकी सूचना न पहुंचे। हम शायद यह सब कहें कि हम समाजवादी व्यवस्था कायम करना चाहते हैं। या यह भी कहें कि हम मानवता कायम करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूं कि यह कहां की मानवता है। अगर हमारे यहां कहीं पर भी किसी प्रकार की भी छोटी से छोटी जगह पर किसी प्रकार की बदइन्तजामी होती है तो वास्तव में बड़े दुःख की बात है। यह बातें मैंने आपके सामने जो रखी हैं जिन पर ज्यादा विस्तार से कोई बात नहीं कही और न मैं कहना चाहता हूं। जो बाकी के माननीय सदस्य हैं वह ज्यादा विस्तार में बतायेंगे।

मैंने शिक्षा के बारे में नहीं बतलाया कि शिक्षा की क्या हालत है। जो छोटे छोटे गांव हैं उनमें जो प्राथमिक शालायें हैं उनमें कहीं कहीं बैठने की जगह नहीं है। कहीं कहीं धूप में बच्चे बैठते हैं। और तो और अगर जयपुर में भी देखें यहां सो स्कीम में देखें, नले के ऊपर देखें जहां पर मैं भी रहता हूं उसके सामने एक पाठशाला है, उसमें दो शिफ्ट हैं। वहां पर कोई मकान नहीं बनाया गया। वहां सैंकड़ों बच्चे धूप में बैठते हैं। एक तरफ हमारे देश की प्रधान मंत्री (समय समाप्ति सूचक घंटी) कहती हैं कि बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन दिया जाय, बच्चे मजबूत बनें, वहां पर उनको बैठाने की भी व्यवस्था नहीं है। छोटे छोटे कस्बों में स्कूल नहीं। एक बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त कर देता हूं कि मैं नगर डीग से आया हूं। उस नगर में एक हाई स्कूल है। उस हाई स्कूल की स्थापना आज से पन्द्रह-सौलह साल पहले हुई। उसके लिए एक नई इमारत की भी स्थापना, याने फाउन्डेशन स्टोन डलवाया। उस समय के शिक्षा मंत्री, जो आज हमारे विरोधी दल में हैं, श्री बद्री प्रसाद गुप्ता, वह उस समय शिक्षा मंत्री थे वह इस बात को प्रमाणित कर सकते हैं। उन्होंने स्वयं ने उसमें कितना भारी श्रमदान किया। एक मिनट नहीं, तीन-तीन, चार-चार घंटे एक-एक डेढ़-डेढ़ मन के पत्थर शिक्षा मंत्री की हैसियत से उन्होंने अपने सिर पर लादे। वहां के कलेक्टर, विष्णु दत्त शर्मा, वहां के एस० पी०, वहां के इन्जीनियर-सात सौ आदमियों ने दो दिन में इतनी ऊंची, पन्द्रह-बीस फीट ऊंची इमारत बनाई। बड़ी कड़ी जमीन थी, कंकरीली जमीन, २५ बीघा जमीन अपने व्यक्तिगत प्रयत्नों से ली, इवेक्यू लैंड, उस लैंड पर इतना भारी परिश्रम किया। उस स्कूल की इमारत में दो तीन कमरे बने हैं। उसके लिए नींव भी भरवाई। व्यक्तिगत कन्ट्रीब्यूशन लेकर पन्द्रह-बीस हजार रुपया खर्च करके नींव भरवाई। वह स्कूल ज्योंका त्यों पड़ा है। इन तमाम बातों की ओर मैंने ध्यान दिलाया है और क्योंकि इन बातों का उल्लेख कहीं भी नहीं मिलता हमें और न आगे के लिए आशा मिलती है इसलिए जो भी धन्यवाद का प्रस्ताव माननीय सदस्य,

(श्री आदित्येन्द्र)
खेत सिंह ने प्रस्तुत किया है उसका मैं विरोध करता हूं ।

**श्री देवीदत्त** (बारां): सभापति महोदय, मैंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को पढ़ा और देखा । इसको देखने से ऐसा लगता है कि उनका अभिभाषण मानो इस प्रकार का है जिस प्रकार से जयपुर के मानक चौक में पुराने फटे कपड़ों को रफू करके बेचा जाता है । और उन फटे हुए कपडों को दर्जी से सिला कर, धोबी से धुला कर, उस पर टीनापोल आदि देकर और कड़प देकर उसे गरीब लोगों को नये बता कर बेचा जाता है ठीक वैसा ही इसमें राज्यपाल महोदय के पुराने अभिभाषण की नकल करते हुए राजस्थान की जनता के सामने रखा गया है ।

माननीय सभापति महोदय, मैंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को पढ़ा । मुझे विश्वास था कि राज्यपाल महोदय जिस समय आवेंगे, आने के पूर्व पुराने राज्यपाल से प्रेरणा लेंगे और जनता के अभाव और अभियोगों को ध्यान में रखेंगे । और जयपुर नगर में जो गोली कांड हुआ उस गोली कांड पर राज्यपाल महोदय अपनी श्रद्धांजली उन लोगों के प्रति अर्पित करेंगे । लेकिन मुझे ऐसा जंचता है कि राज्यपाल महोदय कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर के दबाव में आकर उन शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धांजली अर्पित नहीं कर सके । मुझे सबसे बड़ा दुःख इस बात का है कि राज्यपाल महोदय ने उनके प्रति कुछ नहीं कहा । क्या ही अच्छा होता यदि राज्यपाल महोदय उन शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धांजली अर्पित करते जिन परिवारों के मां, बाप, भाई, जिनके पिता जिन पर आश्रित थे और वे लोग अपने घर का पालन पोषण करते थे, जिन पर उनका परिवार निर्भर था और आज वे लोग पुलिस की गोलियों से चल बसे और उनका परिवार आज भूख से मर रहा है । राज्यपाल महोदय, उन शहीदों के परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करते । मैं यह समझता हूं कि यह प्रजातन्त्र की सरकार आज राजस्थान की जनता की इच्छा नहीं होते हुए भी हमारे विरोधी दल के जो विधायक थे उनको जिस प्रकार से डाकू उठा कर ले जाते हैं वैसे उड़ा कर ले गये ।

माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में यह बतलाया है कि राजस्थान में पुलिस की व्यवस्था बहुत अच्छी है । मैं आपको बताना चाहता कि जिस क्षेत्र से मैं चुन कर आया हूं उसकी हालत आप सुने तो आपको दुःख होगा और आप चकित रह जावेंगे । वह ऐसा इलाका है जहां एक ओर डाकू उठा कर ले जाते हैं । और दूसरी ओर राजस्थान की कांग्रेस के मंत्री महोदय, जिसके नीचे पुलिस के कारिन्दे और अधिकारी रहते हैं वे लोग उनको उठा कर ले जाते हैं और थाने में बन्द कर के रखते हैं और यह कह कर कि तुमने डाकुओं को पनाह दी है और जब तक वह गरीब आदमी अपने नन्हें २ बच्चों के पेट पर पाटी बान्ध कर पुलिस के अधिकारियों को रिश्वत नहीं देता तब तक वे लोग उस व्यक्ति को जेल के सींकचों और जेल से रिहा नहीं करते ।

सभापति महोदय, इसके प्रमाण के रूप में जो दरख्वास्त वहां के लोगों की

(श्री देवीदत्त)

मेरे पास आई है उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूं। एक ऐसी सनसनी पूर्वक, राजस्थान की जनता को सुन कर दुःख होगा कि यह कांग्रेस की सरकार जो यह कहती है कि हम राजस्थान में पाकिस्तानी को प्रवेश नहीं करने देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि छीपाबड़ोद में देवड़ी ग्राम पंचायत है उसमें जो सरपंच है वह वहां का नागरिक नहीं है। वह कोई राजस्थान का नागरिक नहीं है। आज भी हमारे लिए यह कलंक की बात है कि इस ग्राम पंचायत का सरपंच है वह एक पाकिस्तान का निवासी है और उसका नाम निसार अहमद है। आज उसका सारा परिवार विभाजन के समय में हिन्दुस्तान को छोड़ कर पाकिस्तान चला गया और जिस पर पाकिस्तान का कर्जा आज भी है। जिसके लिये पाकिस्तान ने हिन्दुस्तान को लिखा कि निसार अहमद पर पाकिस्तान का कर्जा है और वह छीपा बड़ोद में देवड़ी में रहता है, उससे कर्जा वसूल करके दिया जावे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज उसका तमाम परिवार पाकिस्तान का नागरिक है। उसका भाई भी अपना नाम बदल कर बम्बई में रहता है और अफीम का तस्कर व्यापार करता था। जब सेण्टर को मालूम हुआ तब हिन्दुस्तान की सरकार ने उसको राजस्थान की सीमा के बाहर निकलने को कहा। मैं राजस्थान की सरकार से पूछना चाहता हूं कि आज उन कागजों का क्या हुआ? मैं आपको बताना चाहता हूं कि वे कागज आज भी सेक्रेटेरियट में दबे हुए हैं। उस पाकिस्तान के नागरिक ने मुन्सिफ से आकर एक स्टे आर्डर ले कर राजस्थान की छाती पर आज भी मूंग दल रहा है। जिसको आप चचेरा भाई कहते हैं और उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, यद्यपि मुख्य मन्त्री यहां नहीं हैं, फिर भी मैं उनका और गृह मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि बारां का एक मिस्त्री जिसका नाम बदरूद्दीन मिस्त्री है, मुसलमान है जिसकी दुकान से पुलिस ने छापा मार कर 11 बन्दूकें बरामद कीं उन बन्दूकों का क्या हुआ? आपको मालूम होना चाहिए कि जे० बी० श्रीवास्तव, एस. डी. ओ. ने हुक्म दिया। उसको बचाने में किसका हाथ है। एक पी. एस. आई. जिसका नाम मैं आपके सामने रखता हूं.........

(विराम)

**एक माननीय सदस्य** : जल्दी बताइये क्योंकि काफी दूसरे लोगों को भी बोलना है।

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** (लूनी) : एस. डी. ओ. के आर्डर हैं, जुडिशियल आर्डर हैं उसके बारे में रेफरेंस कैसे करते हैं?

**एक माननीय सदस्य** : यह पासिंग रिमार्क है।

(श्री कृष्णकुमार गोयल, श्री पूनमचन्द व अन्य कई माननीय सदस्यों के बोलने से अश्रव्य)

**श्री दुर्गालाल बाड़दार** (हवा महल, जयपुर) : वह जुडिशियल आफिसर नहीं होता है।

**श्री देवीदत्त** : उसका नाम मकसूद अली है.....

(शोरगुल)

**एक माननीय सदस्य** : (श्री पूनमचन्द विश्नोई से) : बैठिये।

(शोर गुल)

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : आपके कहने से नहीं बैठूंगा। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

**श्री देवीदत्त** : एक बन्दूक उसमें से मोल ले ली.........(शोर गुल)

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं....

**श्री देवीदत्त**: एक भी बन्दूक नहीं ली....

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : On a point of Order Sir.

**श्री सभापति** : पॉइण्ट आफ आर्डर है।

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर ऐसा है कि एस. डी. ओ. ने कोई हुकम दिया। वह जुडिशियल हुकम है। इसके बारे में चर्चा नहीं हो सकती। आप इस पर व्यवस्था दें।

**श्री सभापति** : यह तो पासिंग रेफरेन्स है।

**श्री भैरोंसिंह** : इन्होंने ऐसा करके अपने डिप्टी स्पीकर के चान्स को कम किया है ?

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : आप भी तो होम मिनिस्टर होने वाले थे नहीं हुए, वैसे तो तकदीर की बात है।

**श्री देवीदत्त**: माननीय सभापतिजी, वह केस पुलिस में था तब पी. एस. आई. मकसूद अली ने एस० डी० एम० की शरण ले कर, बन्दूक दिखा कर पुलिस के केस को बिगड़वाया। तहसील किशनगंज में करवड़ी ग्राम है, वहां रामरखदास परसरामपुरिया है, उनके पास काफी जमीन है, उनके पास तीन बन्दूकें थीं जिनकी कीमत तीन तीन चार चार हजार रुपया है, उनका लाइसेंस समय पर नहीं होने से 4 साल तक बन्दूकों के लाइसेंस रिन्यू नहीं करवा सका फिर किस तरह रिन्यु हुए, आपको सुन कर ताज्जुब होगा। उप-जिलाधीश जे० पी० श्रीवास्तव ने एक बन्दूक ली, खरीद का नाटक रचा और बाकी की दो बन्दूकों का लाइसेंस किया गया। यहीं तक बन्दूकों की खरीद फरोख्त नहीं होती, पुलिस अधिकारी टोंकनवाब के यहां जाकर बन्दूकों की नालें और महत्वपूर्ण औजार ट्रकों में रख कर लाते हैं और बदरुद्दीन मिस्त्री है उससे बट लगवाते हैं और उन बन्दूकों को बेचा जाता है।

शाहाबाद इलाके में आये दिन डकैतियां पड़ती रहती हैं, इस इलाके के सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वहां लक्ष्मीपुर ग्राम है उसमें ४ मार्च को डाकुओं ने डाका डाला, ४ आदमियों को उठा कर ले गये, सरदार स्वर्णसिंह, विद्यासागर और दो व्यक्ति और थे। उनमें से दो व्यक्तियों को डाकुओं ने अभी तक गिरफ्तार कर रखा है। उस डकैती में एक बन्दूक और हजारों रुपयों का माल लूटा। विद्यासागर जिसका भाई हिन्दुस्तान की सीमा पर भारत माता की सीमा की सुरक्षा के लिये लद्दाख में पहरा देता है, उसको मालूम हुआ तो वह छुट्टी ले कर राजस्थान में आया.....

(3.31 म० प०)

(श्री देवीदत्त)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत सभानेत्री पदासीन)

और राजस्थान के मुख्य मंत्री को, गृह मंत्री को और आई० जी० पी० को पत्र लिखे, उसने कहा कि मेरी ड्यूटी सीमा पर लगी हुई है पर मेरा एक खून, मेरा भाई है वह आज डाकुओं के शिकन्जे में है, पुलिस क्या कर रही है, क्यों नहीं छुड़ाती। आपको सुन कर ताज्जुब होगा कि तीन रजिस्टर्ड पत्र दिये पर हमारे मुख्य मंत्री सत्ता के लालच में लगे हुए थे, उन्होंने कोई ध्यान इस ओर नहीं दिया, हमारे राजस्थान के गृह मंत्री जोड़ तोड़ लगाने में लगे हुए थे और पुलिस के आई० जी० जो मुख्य मंत्री को चापलूसी में रहते हैं, चुनावों में कांग्रेस का साथ दिया पर इस मामले की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। लद्दाख की सीमा पर उस सूबेदार की ड्यूटी थी अन्त में उसने कहा कि देश की सुरक्षा का सवाल नहीं होता तो मैं बताता कि किस तरह डाकू डकैतियां डालते हैं, एक भी डाका नहीं पडता। डाकू उस क्षेत्र की औरतों को उठा कर ले जाते हैं; तीन तीन दिनों तक उन औरतों के शील को भंग किया जाता है। जब वे औरतें लौट कर आती हैं तो शाहाबाद के डी० एस० पी०, थानेदार उनसे पूछते हैं कि तुम्हारा शील भंग किस तरह हुआ। लज्जा आनी चाहिये हमारे अधिकारियों को जो हमारी माताओं और बहनों से इस प्रकार के लज्जाजनक प्रश्न पूछते हैं। उस इलाके में लाखों की डकैतियां होती हैं। सीसवाली, मांगरोल, किशनगंज और शाहाबाद के इलाकों में डाकुओं का आतंक है, वहां डाकू माधोसिंह के गिरोह में 70 डाकू हैं, उन डाकुओं के पास मशीन गनें, राइफलें हैं, राजस्थान की पुलिस उन डाकुओं का मुकाबला नहीं कर सकती। राजस्थान पुलिस के दौरे किस प्रकार होते हैं इसका एक नमूना मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उदयपुर के डी० आई० जी० शाहाबाद में दौरे पर आये जब कि डाका पड़ा, एक रोज रहे, जब वापिस लौटे तो हमारे राजस्थान के डी० आई० जी० का कितना दबदबा है, यह बताना चाहता हूं। दूसरे दिन खंडेल के अन्दर डकैती पड़ी और डाकुओं ने राजस्थान की पुलिस के डी० आई० जी० को यह पुरस्कार दिया कि डी० आई० जी० का कितना दबदबा है इतना ही नहीं पुलिस के अधिकारी वहां गये तो उनको अच्छी दावत देने के लिये दो कान्स्टेबलों को भेजा और कहा कि शिकार ले कर आवो। वहां पहाड़ों के अन्दर दो सिपाही शिकार करने गये तो एक गरीब सहरिया पापी पेट की भूख को मिटाने के लिये पेड़ काट रहा था तो उन सिपाहियों ने उसे जानवर समझ कर उसका शिकार किया, रायपुर से लोग आ रहे थे उसकी चीख पुकार सुन कर उन लोगों ने उसे देखा और थाने में आकर शिकायत की। उस केस को दबाने के लिये उसकी लाश को शाहाबाद के अस्पताल में पुलिस नहीं ले गई''

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अन्त में एक महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बारां कालेज का एक बड़ा गम्भीर प्रश्न है। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में बताया कि बारां में एक डिग्री कालेज खोला है लेकिन मैं एक तथ्य रखना चाहता हूँ। बारां कालेज के प्रिन्सिपल ने एक आदेश जारी किया और कहा कि इस सत्र में फर्स्ट ईयर के छात्रों का एडमिशन नहीं होगा, सेकिन्ड ईयर के छात्रों का एडमिशन होगा। इसका मतलब यह है कि बारां के डिग्री कालेज को आप

(श्री देवीदत्त)

तोड़ना चाहते हैं। मुख्य मंत्री उस इलाके में चुनावों के सिलसिले में आये थे, भूतपूर्व शिक्षा मंत्री भी आये थे और इन दोनों ने वहां कहा था कि अगर कांग्रेस नहीं जीती तो कालेज टूटेगा। मैं मुख्य मंत्री और भूतपूर्व शिक्षा मंत्री को कहना चाहता हूँ कि एक चुनाव तो क्या उस इलाके में 10 बार चुनाव कराके देख सकते हैं, वहां जनसंघ जीतेगा,

मुख्य मन्त्री की हिम्मत हो तो उदयपुर से त्यागपत्र दे कर देखें, मैं चेलेन्ज करके कहता हूं कि जीत नहीं सकते। मैं बारां क्षेत्र से इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने के लिये तैयार हूं

माननीय सभापतिजी, यह कालेज किस कारण तोड़ा जा रहा है? बारां की जनता ने एक लाख रुपया अपने बच्चों को भूखों मार कर चन्दा इकट्ठा कर के दिया, बारां कालेज कमेटी बना कर 10 नया पैसा प्रति 100 रुपया कालेज के लिये टैक्स के रूप में रख कर रुपया इकट्ठा किया। 40 हजार रुपया आज हमारे पास में जमा है, बारां की जनता ने नगर के विकास को छोड़ कर 50 हजार रुपया कालेज फण्ड में दिया····

**श्री बृजसुन्दर शर्मा** (राजस्व मन्त्री): आपको यह भ्रम कैसे होगया कि कालेज तोड़ा जा रहा है?

**श्री देवीदत्त**: हमारे पास सूचना है····

**श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा): बारां कालेज के प्रिंसिपल ने आदेश निकाला है कि सेकिन्ड ईयर के लिये एडमीशन चालू रहेगा लेकिन फर्स्ट ईयर का एडमीशन वन्द रहेगा। माननीय सदस्य ने इसका एडजर्नमेन्ट मोशन भी दिया है। इस बात से ऐसा लगा कि मन्त्रीजी को इस आर्डर की जानकारी नहीं है।

**श्री बृजसुन्दर शर्मा**: इसीलिये तो जानकारी ली है।

**श्री भैरोंसिंह**: श्री बृजसुन्दर शर्मा से।

**श्री देवीदत्त**: मैं एक कांग्रेसी नेता का स्कैन्डल बताता हूं····

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

इस अभिभाषण के अन्दर यह बताया गया कि लोगों को चोरबाजारी करने के अपराध में कइयों को दण्ड दिया गया। जो कानून का विरोध करते हैं उनको सजा दी जाती है लेकिन सभापतिजी बारां में एक कांग्रेसी नेता हैं जिसकी बहुत बड़ी फर्म है मैसर्स नारायण एण्ड शंकर और उसका मालिक हैं राम गोपाल जो कांग्रेसी नेता है जिस पर मुख्यमन्त्री और भूतपूर्व शिक्षा मन्त्री का वरद हाथ है और इसी सेठ को बचाने में लगे हुए हैं। जिस समय गल्ले की एक जिले से दूसरे जिले में निकासी पर बन्दिश थी तो उस राम गोपाल ने बारां की ट्रान्सपोर्ट कम्पनी की ट्रक नं० आर० जे० आर० 2029 के द्वारा 800 बोरी गेहूं की बिल्टी बनाकर सिरोही भेजी। आज अगर कोई व्यक्ति मूल्य सूची भी नहीं टांगता है तो भी उसको गिरफ्तार किया जाता है और दूसरी तरफ यह भी एक व्यापारी है जिस पर मुख्य मन्त्री व राजस्व मन्त्री का वरद हाथ है। इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी वह घूमता है, उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। बहुत ज्यादा चलने के बाद उसका

(श्री देवीदत्त)

लाइसेन्स जब्त करने के रूप में और 150)रु० पैनल्टी करके उस केस का दबाया जा रहा है। इस तरह से मुख्यमन्त्री के कृपा-पात्र होने के नाते, उनकी लड़की की शादी में गेहूं भेजने के नाते और हमारे भूतपूर्व वित्त मन्त्री को समय समय पर चुनाव के लिये हजारों रुपए देने के नाते यह सब कुछ होता है। लेकिन गरीब जनता चोरबाजारी करने वाले व्यापारियों को, जो सरकार पर अपनी छाप रखते हैं, इस प्रकार बख्श नहीं सकती।

इसलिये मेरा विश्वास है कि सरकार मेरी बातों पर जरूर ध्यान देगी। मैं नए राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देना चाहता था लेकिन क्योंकि उन्होंने जयपुर में हुए गोलीकाण्ड पर कुछ नहीं कहा है और न शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है इसलिये मैं धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन नहीं करता। बारां के कालेज के बारे में जो मैंने कहा है उस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण किया जायगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आशा है कि वह कालेज नहीं तोड़ा जायगा। स्थानाभाव हो सकता है लेकिन उसकी पूर्ति करने के लिये बारां की जनता तैयार है। जितना पैसा चाहो, लो लेकिन उस भूमि पर कालेज भवन के निर्माण का शिलान्यास किस समय होगा, इसकी घोषणा सरकार की ओर से आश्वासन के रूप में की जाय।

**श्रीमती सभानेत्री** : व्यवस्था के लिये एक अर्ज करना चाहती हूं। पहले अगर सदन के नेता बोल लें और जिन्होंने संशोधन पेश किया है वह बोल लें तो अच्छा होगा। पहले दल के नेता, श्री बद्रीप्रसादजी ! श्री मदनसिंह दांता का संशोधन है।

श्री **भैरोंसिंह** : अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था की आवश्यकता नहीं समझी। जिस गति से मेम्बर्स बोल रहे हैं, बोलते जायं। यह व्यवस्था बीच में कहां से आगई ?

**श्रीमती सभानेत्री** : माननीय मदनसिंहजी बोलें।

श्री **मदनसिंह** (दांतारामगढ) : माननीय सभापति महोदया, सदन के सभी माननीय सदस्य, राजस्थान की जनता और विशेषकर राजस्थान के भूतपूर्व सैनिकों को वर्षों से ऐसा लगता था कि कभी न कभी विरोधी दल का राज होगा तो उनके सम्बन्ध में भी कोई अच्छी योजनायें होंगी। लेकिन दुर्भाग्य-वश जो कुछ घटनायें हुई वह आज सामने हैं, मैं उनको दोहराना जरूरी नहीं समझता। हाल ही में नए राज्यपाल महोदय यहां पर पधारे, उनके 5-10 कार्यक्रम ऐसे हुए जिनसे मुझे ऐसी आशा थी कि कुछ न कुछ फौजियों के लिये शब्द सुनवायेंगे। इस पूरे अभिभाषण में राज्य के बहुत से कार्यों का विस्तृत रूप से राज्यपाल महोदय ने जिक्र किया। मैंने इस अभिभाषण को सुना भी और पढ़ा भी। लेकिन मुझे आज दुःख से कहना पड़ता है कि उन्होंने फौजियों के सम्बन्ध में चाहे, वे फौज में हैं या रिटायर होगए, एक शब्द भी नहीं रखा और रखते भी क्यों ? राजस्थान में मुर्गी और अंडों के पालन की योजनाएं बन सकती हैं, भेड़ बकरियों के लिये सारा पैसा खर्च हो सकता है, सूअर और मछली का जिक्र भी इसमें आगया लेकिन राजस्थान के सिपाहियों के लिये, जो हिमालय की चोटी पर लड़े हैं, उनके बच्चों व विधवाओं के लिये

Page No.76



(श्री मदनसिंह)

कोई योजनाएं इसके अन्दर नहीं है। इसलिये मैं संशोधन के रूप में रख रहा हूं कि धन्यवाद प्रस्ताव के अन्त में निम्न जोड़ा जाय :

"किन्तु खेद है कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में भूतपूर्व सैनिकों की स्थिति के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया।"

यह तो सब सदस्यों को अच्छी तरह से मालूम है कि आज से ही नहीं, इस राजस्थान की भूमि में शताब्दियों से जब जब भी, मैं समझता हूं, भारत पर कोई न कोई बड़ा आक्रमण हुआ, आज ही नहीं राणा प्रताप और शिवाजी के समय भी जितने सैनिक थे उनके लिए राजस्थान की तरफ से बहुत बड़े वीर लोग थे। उनके लिए जागीरें और दूसरी बड़ी बड़ी आर्थिक योजनायें रखी थीं ताकि उनको और उनके बच्चों को सुविधा मिल सके, भविष्य के लिये लोगों को विश्वास हो कि जो अपने राज्य के लिये कार्य करता है उनको अपने पीछे देखने की जरूरत नहीं और उनके लिये कोई न कोई भलाई का कार्य हो। उन फौजियों के जनरल, जिन्होंने अपना जीवन फौज में ही बिताया है, मुझे एक पत्र लिखा है वह मैं सदन के सामने रखता हूं। जनरल करिअप्पा का है। वह अंग्रेजी में है। उसमें लिखा है। "Let us remind the nation that the better the ex-servicemen are looked after, the higher will be the moral of our tens of thousands of serving soldiers sailors and airmen who are all ex-servicemen of tomorrow and that high morale in our service personnel is a very very important and vital factor for victory in battles and wars."

यह पत्र अंग्रेजी में है अगर इधर जो जमादार और सूबेदार और कैप्टेन के रैंक का दावा करते हैं, उनको मैं हिन्दी में समझाऊं कि जनरल करिअप्पा ने कहा है कि यदि सरकार भूतपूर्व सैनिकों के लिये, या जो आज सिपाही हैं कल भूतपूर्व सैनिक हो जायेंगे, उनके लड़कों के लिये अगर अच्छी योजनायें और उनकी आर्थिक स्थिति ठीक करने का प्रबन्ध करें तो लड़ने वाले जो फौजी हैं उनके मौरल पर, उनके विचारों पर इसका बढ़ा असर पढ़ता है और उस असर से लड़ाइयां भी जीती जाती हैं। मुझे मालूम है कि जब चीन की लड़ाई हुई उस समय हमारे यहां के बड़े बड़े नेता, लड़ाई के समय तो नहीं लेकिन उसके बाद, सीमा पर सिपाहियों की देखभाल के लिये वहां पहुंचे और विशेषकर हमारे मुख्यमन्त्री, जो वहां पर पहुंचकर हमारे सिपाहियों से कई वायदे किए और आश्वासन दिया और उन विश्वासों में से एक चौथाई भी कार्यक्रम भूतपूर्व सैनिकों के लिये नहीं हुआ और यही कारण था कि जब सरकार की तरफ से कोई कार्यक्रम निश्चित नहीं था तो राज्यपाल के अभिभाषण में उसको नहीं रखा। लेकिन कम से कम यह जरूर कहना था कि उनके बारे में क्या योजनाएं हैं। कई सदस्य जो मार्शल कम्युनिटी होने का दावा करते हैं मैं कहता हूं मार्शल कम्युनिटी की तरफ से आज भी इस सदन में कोई सदस्य ऐसा है जो सिपाही के रूप में इस दल में बैठा है? जिस दल ने सिपाहियों के लिये न कभी कोई

(श्री मदनसिंह)

इज्जत रखी है न कोई योजनायें रखी। आज शासन उनके हाथ में है....

**एक माननीय सदस्य** : यह कहना गलत है।

**श्री मदन सिंह** : मैं केवल आपकी तरह से बात रखने वाला नहीं हूं मेरे पास सरकार के आंकड़े हैं उन आंकड़ों के आधार पर बातें रख रहा हूं। जिस देश में सिपाहियों के लिये उनके घर वालों के लिये कोई इज्जत नहीं होती है उस देश के अन्दर सुरक्षा को कायम रखना बड़ा मुश्किल होता है। इस बारे में राजस्थान सरकार ने और भारत सरकार ने भी जरूर आंकड़े दिये हैं। किताबें छपवाई हैं जिन किताबों के अन्दर सिपाहियों को क्या क्या सुविधायें मिलने वाली हैं उसका विवरण दिया गया है। जिस किताब का नाम "सैनिक सुविधायें" है। इस किताब के अन्दर सारी बातें दे रखी हैं। सैनिकों के लिये क्या होना चाहिये, एक्स सोल्जर्स के लिये क्या होना चाहिये, उनके बच्चों के लिये स्कूलों की व्यवस्था होनी चाहिये, छात्रों को स्कालरशिप मिलनी चाहिये। सदन के माननीय सदस्यों को मैं सही रूप में आंकड़े बताऊंगा, जो काम उनके लिये करने के वायदे किये गये उनमें से वन फोर्थ भी काम नहीं हुआ। जहां तक उनको लैण्ड अलॉटमेन्ट का सवाल है हमारे भूतपूर्व राजस्व मन्त्री ने और चीफ मिनिस्टर ने अनेकों बार यह घोषणा की कि हमने एक्स सोल्जर्स के लिये लाखों एकड़ भूमि अलाट की है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह लाखों एकड़ भूमि किसको अलॉट हुई? अलॉटमेन्ट का जो गन्दा तरीका रक्खा है उसके कारण एक्स सोल्जर्स अपनी भूमि पर कब्जा नहीं कर सका। आज भी ऐसी सैकड़ों मिसालें मौजूद हैं। उनमें से मैं कुछ सदन के सामने रखूंगा। इसके बारे में रिप्रेजेन्टेशन हमने भारत के सुरक्षा मन्त्री श्री चव्हाण को भी किये उन्होंने हमारे मुख्य मन्त्री जी को कई दफा पत्रों द्वारा कहा अपना स्पेशल सेक्रेटरी भेजकर उनके द्वारा कहलाया। आज जिस प्रकार पंजाब और अन्य प्रदेश में सिपाहियों के लिये सुविधायें दी हुई हैं वे राजस्थान में नहीं हैं। इस तरह से जितना बड़ा आफिसर है उनको उतनी सुविधायें देने के लिये बराबर सरकार को रिप्रेजेन्टेशन किये गये लेकिन राजस्थान सरकार ने आज तक फौजियों को कोई सुविधायें नहीं दीं।

पंचायत लेवल पर हमारे जितने भी सिपाही हैं उनके लिये कोई सुविधायें नहीं। लड़ाई के मैदान से जब छुट्टी पर आते हैं उनको क्या सुविधायें मिलनी चाहिये इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। इस बारे में मैं एक मामूली सी चीज आपको बताऊंगा जो फौजी मोर्चे पर चला जाता है उसको चीनी की सुविधा नहीं, टीन शीट की सुविधा नहीं। मैंने इस बारे में यहां तक देखा कि जो लोग इसके लिये जिलाधीश के पास गये उन लोगों को वहां से धक्के देकर निकाला गया। उनमें ऐसे ऐसे व्यक्तियों को देखा जो अच्छे मिलिट्री अफसर हैं। मैं इस बारे में निवेदन करना चाहता हूं मेजर रघुवीरसिंहजी हैं जो शेखावाटी के रहने वाले हैं उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार किया गया। उन्होंने इस बारे में मुख्य मन्त्री जी को भी लिखा। आज जो फौजी हमारे देश की सुरक्षा सीमा पर है, जो हिमालय की बर्फीली चोटियों पर बैठे हुए हैं, जो अपनी जवानी का नशा वहां

(श्री मदनसिंह)

उतार रहे हैं उन लोगों को जिलाधीश धक्के लगाकर निकालता है। यह बड़े शर्म की बात है। हालांकि इन चीजों से हमारे जवान प्रभावित नहीं होते।

भूमि का जो अलाटमेन्ट हुआ है उससे भी उनको सन्तोष नहीं है। यह मैं सोल्जर्स बोर्ड की रिपोर्ट से साबित कर सकता हूं कि उनको जमीन का अलाटमेन्ट नहीं हुआ और जो हुआ है उन पर उनकी खड़ी फसल को पुलिस के जरिये उनसे छीनकर दूसरों को कब्जा दिलाया है। उनकी खड़ी फसलों को नष्ट भ्रष्ट किया गया है और उसकी शिकायत चीफ मिनिस्टर महोदय तक को की है। मैं चीफ मिनिस्टर की चिट्ठी निकाल कर बता सकता हूं जिसमें उन्होंने कलेक्टर को यह आदेश दिया है कि फौजियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार ठीक नहीं है।

एक कुलसिंह नाम के सूबेदार है जो जमवा रामगढ़ के रहने वाले हैं उनकी खड़ी फसल का पुलिस के जरिये कब्जा दिलवाया गया, उनकी औरतों को पीटा गया, बच्चों को मारा गया इस बारे के सब कागजात मौजूद हैं। आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। आपका एक्स सोल्जर्स के साथ इस प्रकार का व्यवहार आप ही के लिये बुरा होगा। वैसे जिस देश में फौज के सिपाही की इज्जत नहीं, जिसके घरवालों को चैन नहीं। उस देश के शासकों को धिक्कार है। आज आप केवल दो के बल पर टिके हुए हो एक तो फौज के बल पर दूसरे पुलिस के बल पर अगर इन दोनों का दिमाग बिगड़ जाय तो फिर खुदा हाफिज।

**एक माननीय सदस्य** : जैसा आपका बिगड़ा है।

**श्री मदनसिंह** : मेरा बिगड़ जायगा तो फिर स्थिति दूसरी होगी। यह तो हमारी सन्जीदगी और बुजुर्गी है जो हम आपको चेतावनी दे देते हैं। हम समझते हैं आज जनतन्त्र है इस प्रकार का रोल अच्छा नहीं है। आप यदि ज्यादा ही जानना चाहें तो आप अपने लीडर को ही पूछलें क्या होने वाला था और किस प्रकार वह रुका। इस प्रकार की बातें आपने आज तो कर दी हैं क्योंकि आप कुर्सी पर बैठे हैं, ऐसी बातें आगे मत करना। आज का फौजी पढ़ा लिखा है वह अखबार पढ़ता है। आज भारतवर्ष का ही सिपाही है जो चना खाकर देश की रक्षा करता है और उनके बल बूते पर आप और हम गुलछर्रे उडाते हैं। यह सन्तोष की बात है कि आज हमारी फौज मर्यादा में है आपने और हमने तो मर्यादायें खोदी हैं। आपकी पार्टी के क्या सिद्धान्त थे, गान्धीजी के क्या सिद्धान्त थे, नेहरूजी फौजों के बारे में क्या अपनी राय रखते थे। मैंने पहले आपको जनरल करिअप्पा की मिसाल दी। अब मैं पं० जवाहरलाल नेहरू ने अपनी ओटोबायोग्राफी में क्या लिखा है वह बता देना चाहता हूं :

Pandit Jawahar Lal Nehru in his autobiography described the Government as a 'Gang of Robbers.' The Pandits of Socialism have acquired enviable wealth while the country stares in to hunger and poverty and land seized by neighbouring countries.

Country's intelligentia people of matured experience and knowledge could only be spectators of the sorry state of affairs. Their heart bleeding

( श्री मदनसिंह)

they are feeling frustrated and helpless. Being isolated, they have no voice of their own in the political set up of the country. To unite them Ex-Service Men's (Civil and Military) party. India has been organised and welcomes all Indian Nationals who love to save the country from further ruin and make it respectable and independent.

(4.म० प०)

**श्री विशम्भरनाथ जोशी** (बांदोकुई) : ब्रिटिश गवर्नमेण्ट के लिये कहा था।

**श्री मदनसिंह** : अच्छा ! मै समझता हूं यह ब्रिटिश राज के लिये कहा था और उन्होंने एक सिपाही के रूप में कहा था और में आज आपके राज्य में यह कहता हूं । आपके और ब्रिटिश रूल में अब कोई कसर बाकी रह गयी है तो जयपुर के अन्दर फौजें बुलालो। ब्रिटिश गवर्नमेण्ट में जिस प्रकार लाठी और गोली चलती थी उसी प्रकार वह आपके राज्य में भी चलती है। लेकिन जो आपका तरीका है, आपके सुनने का तरीका है, फौजी लोगों के लिये सही तरीके से कहते हैं तो उसका भी आप मखौल उड़ाते हैं। वे आज इसको फौजी पढ़ते हैं।

(विरोधी पक्ष द्वारा शर्म शर्म की आवाज)

**श्री विशम्भरनाथ जोशी** : गलत बात आपको नहीं कहनी चाहिये।

**श्री मदनसिंह** : न मैं गलत कह रहा हूं और न ही मैं बहका रहा हूं। फौजी के लिये कहता हूं उसमें बाधा देते हो और मखौल उड़ाते हो तो उसको फौजी सुनता है।

**श्री विशम्भरनाथ जोशी**: Dont play to the gallery please.

**एक माननीय सदस्य** : श्रीमती सभानेत्री महोदया .....

**श्रीमती सभानेत्री** : माननीय सदस्य बोल रहे हैं। अभी उनका भाषण खत्म नहीं हुआ है।

**श्री मदनसिंह** : मैं सही ढंग से एक एक्स फौजी सिपाही के नाते दोस्तों को राय दे रहा हूं। राय न माने और सारी चीजें इसी प्रकार करते रहें और उससे फौजी खुश हैं तो भगवान आपको ऐसी बुद्धि रखे और आप यह करते रहें। मैं तो सही रूप से कह रहा हूं और कोई स्टेटमेन्ट इसके लिये लेना चाहते हैं तो वह मैं देने के लिये तैयार हूं। यह एक बुधसिंह नाम का सिपाही है जिनके पास पत्रें नकलें और खसरे और खाते हैं। यह एक किताब है। कोई देखना चाहे तो देख सकता है। उनके खाते शुदा जमीन में जयपुर को पुलिस को कलेक्टर ने भिजवा कर औरत को पिटवा कर उसकी खड़ी फसल पर कब्जा हटाकर दूसरे को दे दी। फाइलों में सारे फैसले मौजूद हैं।

(विरोधी पक्ष द्वारा शेम शेम की आवाज)

आज तक न राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने और न रेवेन्यू मिनिस्टर ने कुछ किया और दुःख तो इस बात का है कि यह रिप्रेजन्टेशन लिखित रूप में एक सफ्ताह पहले राज्यपाल को दिया और उनसे राजस्थान के फौजियों के बारे में निवेदन किया। उसके बावजूद भी इस भाषण के अन्दर कोई ऐसी चीज नहीं रखी है कि फौजियों के अन्दर की कोई बात रखी जाती। मैं समझता हूं, आप

(श्री मदनसिंह)

की राय में, फौजियों के लिये और फौजियों के बच्चों के लिये और आज जो विधवायें हैं, हमें तो क्यों, आपको रो रही होगी, बैठ बैठ कर आपको रो रही हैं, जिनके पति मर गये हैं, भाई मर गये हैं, जिनके लड़के मर गये हैं और मैं आपको यह विश्वास दिला कर कहता हूं कि आप यह सब जानते हैं कि उनके यहां पर पानी भरने के लिये कोई आदमी नहीं है, उनको सेवा करने के लिये कोई आदमी नहीं मिलता है जब कि आपकी ओर से योजना बहुत है, विश्वास भी दिलाते हैं कि आपका बहुत जल्द प्रबन्ध करेंगे, लेकिन यह सब योजना आपके कागजों में धरी हैं। सबसे बड़ा दुख तो खेतसिंहजी से हुआ। जिन फौजियों के वोटों से यह चुन कर आये हैं और आज वे यहां धन्यवाद देते हैं लेकिन फौजियों के लिये वे एक शब्द भी नहीं कहते हैं। मैं समझता हूं कि फौजियों के लिये आपको सन्तोष है!!

**श्री खेतसिंह** : मैं बजट के वक्त कहूंगा।

**श्री मदनसिंह** : कभी भी कहें। बात तो सही है। बात सही है तो वैसा कहिये। नहीं तो आपके दस्तखत निकालूं। मैं उन कांग्रेसियों को चेलेन्ज देकर आया हूँ जो कांग्रेसी झूठ बोलते हैं उनके दस्तखत मेरे पास हैं।

**श्री खेतसिंह** : जहां तक दस्तखतों का प्रश्न है मेरे कोई दस्तखत नहीं हैं। यह सही है कि मैं फौजी एरिया से आया हूं। जितना फौजियों के लिये आपको दर्द है उससे अधिक मुझे भी है।

**श्री भैरोंसिंह** : राजस्थान सरकार ने इस सम्बन्ध में एक कमेटी अपाइन्ट की थी उसके भी आप सदस्य हैं ?

**श्री खेतसिंह** : जी हां, मैं हूं।

**श्री भैरोंसिंह** : उस रिपोर्ट में आपके दस्तखत नहीं हैं ?

**श्री खेतसिंह** : जी हां, उस रिपोर्ट पर मेरे दस्तखत हैं। उस रिपोर्ट पर मैंने दस्तखत किये हैं और वह गवर्नमेन्ट के विचाराधीन है। चुनावों से पहले तैयार की थी। यह सुना होगा आपने राज्यपाल शासन में।

**श्री मदनसिंह** : वह विचार रखे थे। दस्तखत भी बताऊं। अजमेर में 220 एक्स-सर्विस मैन ने दरख्वास्तें दीं उनमें से एक को भी जमीन नहीं मिली। उनके दस्तखत हैं। भरतपुर में 35 एक्स सर्विस मैन में से दो को बड़ी मुश्किल से जमीन मिली, लेकिन कब्जा नहीं मिला। उस पर भी आपके दस्तखत हैं।

**श्री खेतसिंह** : उसी रिपोर्ट का हवाला पढ रहे हैं।

**श्री मदनसिंह** : झुन्झुनू में 200 ने दरख्वास्तें दीं लेकिन एक को भी जमीन नहीं मिली। जोधपुर में 63 ने दरख्वास्तें दीं लेकिन एक को भी जमीन नहीं मिली। उदयपुर में 104 ने दरख्वास्तें दीं उनमें से कृपा करके आपने 13 को जमीन दी। चूरू में 60 में से एक को भी नहीं मिली। उसमें सरकार (श्री खेतसिंह) के दस्तखत हैं और फिर वहां विराजे हैं। मैं फौजी आदमी हूं। न तो मुझे फालतू बात करनी

(श्री मदनसिंह)

आती है और न ही फालतू बात सुनना चाहता हूं। जो कुछ मैंने कहा वह तथ्यों के आधार पर कहा है। आपके राजनैतिक भाषण और आपका राजनैतिक जीवन मैं अपने जीवन में देख चुका हूं। मेरे पास अच्छे अच्छे फौजियों के पत्र आदि मौजूद हैं जिनमें उन्होंने कहा है कि फौजियों का रिप्रेजेन्टेशन पार्लियामेन्ट में या असेम्बली में किया जाना चाहिये। इसके लिये भूतपूर्व फौजियों की पोलिटिकल बोडी शुरू की। आपके बड़े सरकार हैं उनको भी वहम हुआ और कहा कि फौजियों को राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिये। हमने कहा हम एक्स-सर्विस मैन हैं। 18-20 मीटिंग हुईं। यह अच्छी तरह से मालूम हुआ कि यह कांग्रेस सरकार जब तक कुर्सी पर है फौजियों के लिये न पहले करना चाहती थी और न आज करना चाहती है। इन की मन्शा तो यह है कि उनसे मजदूरी कराई जाय और उनसे सड़कों पर बुहारा निकलवायें। भला हो कि आप में से एक लाल निकला लालबहादुर-शास्त्री जिससे कि थोड़ा आप उठ गये वरना जो पाकिस्तान के लोगों ने ठोकर खायीं वे ही सफेदपोश लोग खाते। और अगर मन्शा साफ है तो हमने कही वे बातें वे समझें। राजस्थान में कहावत है:

घोड़ी की पूंछ पकड़े तो घोड़ी को क्या देंगे।

घोड़े की पूंछ पकड़ते थे तो वही देंगे।

बहुत कुछ कर दिया है, यह जवाब देंगे। पर आज तक राजस्थान के अन्दर इन लोगों ने इनके लिये क्या २ किया, किन फैमिलियों के लिये इन्होंने क्या क्या किया। यह उनका हाल है।

पेन्शनों में भी यही हालत है। रियायती घोषणाएं की हैं। उनके सम्बन्ध में भी मेरे पास आंकडे हैं आज तक उन घोषणाओं को इस सरकार ने कार्य रूप में परिणित नहीं किया।

जो सोल्जर्स बोर्ड के नाम से आपका गठन है वह मेरे से छिपा नहीं। जो आपके माफिक चलता है तो वह तो आपसे लाभ उठा सकता है, वरना नहीं। सोल्जर्स बोर्ड के सेक्रेटरी को आपने कलेक्टर के बराबर के अधिकार दे रक्खे हैं जो अधिकारों का पूरा पूरा उपयोग करता है। उस वक्त की भी योजनाओं को मैंने देखा है। आपके आर्डर देखे हैं। सोल्जर्स बोर्ड का सेक्रेटरी किसी के लिये स्वीकृति देता है तो कलेक्टर खिलाफ फैसला देता है और यहां जयपुर में सोल्जर्स बोर्ड के सेक्रेटरी ने भूपसिंह को सही कब्जा समझ कर कब्जा जमीन का दिलाया तो उसे कलेक्टर ने मन्त्री जी से कहकर सस्पेण्ड कराया कि उसने अपने अधिकारों से बाहर की बात की है। सोल्जर्स बोर्ड के सेक्रेटरी को कलेक्टर की एब्सेन्स में वही अधिकार हैं जो कलेक्टर को हैं। पर वहां भी आपकी तूती बोलती है, जो आपकी हां में हां मिलाए तो अच्छा है, नहीं तो उसकी खैर नहीं। इसका परिणाम यह है कि आज उस सोल्जर्स बोर्ड में भी इतने घोटाले हैं जिनकी सीमा नहीं।

कई जगह सोल्जरों के घरों के लिये जमीन देने की योजनाएं बनीं। यहां भी अर्बन इम्प्रूवमेण्ट बोर्ड है उसने भी यहां कई बार ऐलान किया कि हर टाउन में एक्स

(श्री मदनसिंह)

सोल्जर्स को जमीन मिलेगी। पर जयपुर में तो उल्टी यह स्थिति हो रही है कि उनको अलग से जमीन देना तो दूर की बात रही, पर जो सिपाही मशानों में रह रहे हैं उन्हें भी उठा उठा कर भगाया गया है और यह आपके अर्बन इम्प्रूवमेण्ट बोर्ड के अध्यक्ष के आर्डर भी मेरे पास हैं। उनको वहां से भगाने के लिये पुलिस भेजी गई। इससे ज्यादा लज्जाजनक बात और क्या हो सकती है ?

ऐसा ही और भी जगह हुआ। आपकी अपीलें निकलती हैं, घोषणाएं होती हैं, पर कौनसी जमीन कहां मिलेगी, कहां किस तरह से सप्लाई किया जावे और किस तरह के फौजियों को किस तरह से मिल सकती है यह सूचना किसी के पास नहीं है।

माननीय चव्हाण साहब पधारे तो मैंने कई रिप्रेजेन्टेशन सुखाड़िया साहब के हाथों में दिये और सुखाडियाजी को कहा चव्हाण साहब ने कि मुझे ताज्जुब है कि राजस्थान से ही मेरे पास लगातार सिपाहियों की एक्स सर्विस मैन को इतनी दर्ख्वास्तें आती हैं, पंजाब में से क्यों नहीं आती? पंजाब से क्यों नहीं आतीं, इसका कारण है। वहां वास्तव में काम हुआ है। राजस्थान में काम नहीं हुआ। राजस्थान के नेता तो वार में बोर्डर पर जाकर कहने में मशहूर हैं कि आप चिन्ता न करो, हम सब पीछे सम्भाल लेंगे, सबों को सबों के घरवालों को पूरी सहूलियतें देंगे। वे बातें आज दिन तक याद हैं सिपाहियों को। पर ये सब आश्वासन आज तक कागजों में ही पडे हैं। कार्य रूप में पूरे नहीं किये गये हैं।

इसलिये मैं तो ऐसा समझता हूँ कि आज उस तरफ भी कई जिम्मेदार सूबेदार सोल्जर्स आदि बैठे हैं। वे इस काम में अपना योग ईमानदारी से देंगे। और अगर इस प्रस्ताव पर इन मामलों को लेकर हाथ खडे करने की नौबत आवे तो कम से कम वह वीर जाति वाले जो अपने को कहते हैं कि हम राजपूत हैं, हम अहीर हैं, हम गूजर हैं, हम वे हैं, तो वे सब इसके पक्ष में होंगे। वे वीर हैं। बहुत अच्छी बात है, अगर वे कम से कम इस प्रस्ताव में एक साथ हो जावे तो मैं समझूंगा कि आपकी नसों में फौजियों के लिये बल है। मैं समझूंगा कि आपकी रगों में वही खून है और आपका वह खून अब पिघल गया है तो अच्छा हुआ। पचडा मिटा! चिन्ता मिटी।

मुझे यही कहना था! मुझे बडा दुःख हुआ जब राज्यपाल महोदय यहां पधारे तो उनके कुछ चमत्कार हुए। दो एडवाइजर लेकर पधारे। मैं मानता हूँ ऐसा प्रजातन्त्र में ठीक नहीं था, पर मैंने देखा और अनुभव किया कि उनका आठ दिन का शासन चमत्कारों का शासन रहा। कई चमत्कार हुए। मुझे भी इनको देखकर विश्वास हुआ कि फौजियों के लिये भी हमारे ये राज्यपाल महोदय कुछ शब्द अपने अभिभाषण में कहेंगे। पर नहीं कहा। इसलिये मुझे बड़ा खेद है। मैं इसे अधूरा अभिभाषण समझता हूँ। चाहे इसमें सोना भी हो, पर इसके अभाव में मैं तो इसे ठोकर मारता हूं। ठाकुर मदनसिंह के लिये तो सिपाहियों के लिये, फौजियों के लिये उनके परिवार वालों के लिये जिसमें कुछ नहीं होगा वह उसके लिये तो खाक है।

**श्रीमती सभानेत्री** : श्री दुर्गालाल-बाढ़दार।

**श्री दुर्गालाल बाढ़दार** (हवा महल) : माननीय सभानेत्री महोदया, संसदीय प्रणाली में राज्यपाल महोदय द्वारा जो कुछ अभिभाषण दिया जाता है उस पर चर्चा करना और धन्यवाद का प्रस्ताव पारित करना एक परम्परा सी चल रही है। लेकिन यह जो धन्यवाद का प्रस्ताव आज इस चर्चा का विषय सदन के समक्ष बना हुआ है उस पर आपके द्वारा सदन के सभी माननीय सदस्यों का ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूं कि वह अभिभाषण, जिस अभिभाषण में जनता की वास्तविक कठिनाइयों के बारे में कोई विवेचन नहीं किया गया हो, जनता की वास्तविक कठिनाइयों के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई हो, बल्कि सत्तारूढ़ दल की एक नीति होती है उस नीति के आधार पर जिस अभिभाषण का निर्माण किया गया हो, क्या आज उस अभिभाषण के ऊपर धन्यवाद का प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिये?

अपने हृदय से दलबन्दी की भावनाओं को छोड़कर सत्य के अन्वेषण करने की दृष्टि से यदि विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य एवं समस्त अन्य सदस्य इस पर विचार करेंगे तो मैं यह प्रश्न उन सभी माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि क्या वास्तव में इस प्रकार का धन्यवाद का जो प्रस्ताव है उस पर सहृदयता के साथ और स्वेच्छा से उनको अपनी स्वीकृति प्रदान करनी चाहिये? यह प्रश्न है सदन के सभी माननीय सदस्यों के विचार करने के लिये। यह प्रश्न है उन सभी विचारशील व्यक्तियों के विचार करने के लिये जो अपने हृदय में मानवता के प्रति थोड़ी भी सद्भावना रखते हैं।

इस पृष्ठभूमि में मैं शासन व्यवस्था की उन घटनाओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, मैं आपको यह बताना चाहूंगा। माननीय मन्त्री महोदय, आपको विशेष रूप से ध्यानपूर्वक इन बातों को सुनना चाहिये कि 67 के चुनावों में जब आम जनता ने अपना मत व्यक्त करते हुए और राजस्थान के अन्दर इस प्रकार की भावनाओं को व्यक्त कर दिया था कि कांग्रेस को 184 स्थानों में से कितने स्थान मिलने चाहिये और विरोधी पक्ष को कितनी सीटें मिलनी चाहिये। इसके उपरान्त सत्तारूढ़ दल ने, इस कांग्रेस दल ने किस प्रकार से शासन को अपने हाथ में लेने के लिये जो कार्यवाही की है आज राजस्थान की जनता के सामने वह सारे कारनामें उनके हृदय पर लिखे हुए हैं।

और मैं साथ में यह निवेदन करना चाहता हूं कि तत्पश्चात् सत्ता पर आ जाने के बाद अपनी उन पालिसियों के आधार पर जिस अभिभाषण का निर्माण किया गया है मैं सत्यता के साथ यह बात व्यक्त करने को तैयार हूं कि राज्यपाल महोदय जो अपना अभिभाषण इस सदन के समक्ष देते हैं उसका निर्माण करने वाले और ही लोग होते हैं।

निस्सन्देह यह उन राज्यपाल महोदय का ही होता है, पर सरकार की जो नीतियां होती हैं, पालिसियां होती हैं उनके अतिरिक्त इसमें और कोई चीज अंकित नहीं की जाती।

ऐसे अभिभाषण के प्रति, ऐसे इस एक डाकूमेण्ट के प्रति आज इस सदन में चर्चा करने से पूर्व इन बातों पर अवश्य

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

विचार करेंगे कि इसकी पृष्ठ भूमि में क्या चीजें गुजरी हैं और उनके आधार पर कैसी भावनायें हमें व्यक्त करनी हैं।

इस प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली में जब अल्पमत में कांग्रेस जीत कर सामने आई तो अल्पमत में होते हुए सत्ता को हथियाने के लिये किस प्रकार से निर्दोष व्यक्तियों पर गोलियां चलाई गईं इस जयपुर शहर में, इस राजस्थान की राजधानी में जहां जनता कांग्रेस को बिलकुल नहीं चाहती थी।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय की एक पोस्ट होती है, उस पर व्यक्तियों की अदलाबदली हो सकती है, एक आता है, दूसरा चला जाता है, लेकिन इस राजस्थान की राजधानी में राज्यपाल महोदय ने एक बार एक तिथि निश्चित कर दी शक्ति परीक्षण की। असेम्बली में विरोधी पक्ष और कांग्रेस पक्ष का शक्ति परीक्षण वे कराना चाहते थे और इस दृष्टिकोण से 13 तारीख निश्चित कर दी गई। असेम्बली के सारे सदस्यों को सूचित किया गया कि वे उस तारीख को असेम्बली में उपस्थित हों और शक्ति परीक्षण के बाद बता दें कि राजस्थान की जनता किसका शासन चाहती है। कांग्रेस का या कांग्रेस विरोधियों का।

मैं आज आप लोगों से पूछना चाहता हूं और निष्पक्ष हृदय वाले बैठे हुए सभी सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि उस समय कौनसी ऐसी अप्रिय घटना का प्रश्न राजस्थान में था या जयपुर में था? राजस्थान की राजधानी जयपुर में इस प्रकार की कौनसी घटना घटित होने वाली थी? क्या कारण था कि सहसा जिसके कारण से उन्होंने एकदम से प्रेसीडेंट रूल को कायम करने की व्यवस्था लगाई। मैं यह पूछना चाहता हूं माननीय सभानेत्री महोदया आपके द्वारा इस सत्तारूढ़ दल के इन व्यक्तियों से जो इस बात का दम्भ भरते हैं, इस बात का दावा करते हैं कि प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली के अन्दर जनता की सही भावनाओं का, सही प्रतिनिधित्व करने की दृष्टि से और हमारे मुख्य मंत्री भी जब कि विरोधी पक्ष के नेता बोल रहे थे तो उस समय बीच में खड़े होकर उन्होंने बड़े साहस से साथ बल्कि मैं तो कहूंगा कि बड़े दुस्साहस के साथ कहने की चेष्टा की और यह कहने की चेष्टा की कि जो हम कार्यवाही कर रहे हैं वह लोकहित को दृष्टिकोण में रखते हुए करने की चेष्टा कर रहे हैं। अगर इसी प्रकार का आपका दृष्टिकोण है कि जिसके द्वारा लोकहित की भावनाओं को आप अपने हृदय में रखना चाहते हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मंत्रिमण्डल का कोई भी व्यक्ति राजस्थान की इस राजधानी जयपुर की जनता, जो पूर्वी राजस्थान की जनता है उसके सामने बल्कि सारे राजस्थान की जनता के सामने क्या अपना उजला मुख लेकर कोई भाषण कर सकता है? या अपने हृदय की भावनाओं को व्यक्त कर सकता है? यदि इस प्रकार का साहस मंत्रिमण्डल के किसी भी व्यक्ति में नहीं है, यदि इस प्रकार का साहस किसी भी मंत्रिमण्डल के सदस्य में नहीं है तो मैं कहता हूं कि जनता अपना निर्णय दे चुकी है। कांग्रेस अपनी नैतिकता को खो चुकी है। आज कांग्रेस का कोई नेता नहीं है जो जनभावना के ऊपर अपना नियंत्रण कर सके, अपना प्रभाव रख सके।

(श्री दुर्गालाल बाढदार)

आपको जनता के हृदय को जीतना है तो आपको पब्लिक के अन्दर आकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए, आपमें वह साहस और क्षमता होनी चाहिए जिससे आप लोकप्रिय बन सकें। हो सकता है लोकप्रिय बनने का स्वांग आपके हृदय में हो लेकिन वास्तविकता इसके बिलकुल प्रतिकूल है। आज आप जनता के सामने आते हैं तो जनता आपका स्वागत करने के लिए तैयार नहीं है, जनता आपका जिस प्रकार से स्वागत करना चाहती है वह स्वागत सहन करने के लिए आप तैयार नहीं हैं। जब इस प्रकार की बहुत बड़ी दरार जनता जनार्दन के बीच में और आपके बीच में हो गई है तो मैं पूछना चाहता हूँ कि श्रीमन्, आप ही बताने की कोशिश कीजिए कि किस आधार पर आप राज्य पक्ष की ओर बैठने का दावा करते हैं। यह आपकी स्वेच्छाचारिता है, यह आपका निरंकुश आतंकवाद है और यह आपकी भ्रष्ट नीति है। मैं तो यह कहूँगा कि इस भ्रष्ट नीति को अपनाने की वजह से राजस्थान का इतिहास यह बताता है कि सन् 52 के चुनावों में कांग्रेस बहुमत में नहीं आई। लेकिन इस सदन के नेता–मैं तो यह कहूँगा कि भ्रष्ट नेता, बल्कि उनको भ्रष्ट शिरोमणि की उपाधि दे दी जाये तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। 1952 में उन्होंने यह हथकण्डा चलाया और अल्पमत में होते हुए बहुमत में आने की चेष्टा की। इसके बाद 1957 के चुनाव आये, 62 में चुनाव आये और 67 के चुनावों में तो इस जनता का फैसला बिलकुल स्पष्ट रूप से आपके प्रतिकूल दे दिया गया और उस प्रतिकूल फैसले के बाद भी इस प्रकार का कन्टेम्प्ट जनता के निर्णय के विरुद्ध कन्टेम्प्ट करने का यदि कोई आरोप लगाया जा सकता है तो वह इस कांग्रेस की सत्ताधारी सरकार पर लगाया जा सकता है, आपके दल के नेता श्री मोहनलाल जी सुखाड़िया के ऊपर भी लगाया जा सकता है, उस व्यक्ति के ऊपर जो जनता के चरित्र के अन्दर वर्ण शंकरता उत्पन्न करने के लिए एक विचारों में दूसरे विचारों की भावना डालने के लिए इस प्रकार की कोशिश करता है–मैं कहूँगा कि जब आपका नैतिक चरित्र इस प्रकार का है तो आपके द्वारा पालित और पोषित यह प्रशासन किस प्रकार उत्तम हो सकता है। इस प्रशासन के अन्दर जिसकी खूबी को आज कोई भी चेलेंज नहीं कर सकता है लेकिन इस प्रशासन में यदि कोई भ्रष्टता आई है तो उसका मूल कारण का यदि आप शुरू से अध्ययन करके देखें तो आपको मालूम होगा कि उसका मूल कारण आप ही हैं। एक सेक्रेटरी लेवल के आदमी, और आर. ए. एस. और आई.ए.एस.के आदमी इनके ऊपर नियमों के अनुसार यह पालिसी सरकार के मंत्रियों के सामने रखना चाहते हैं और यह बताना चाहते हैं कि कानून का प्रावधान ऐसा नहीं कहता लेकिन मंत्री महोदयों के निहित स्वार्थ और निजी व्यक्तिगत स्वार्थ उसमें रोडे अटकाने की कोशिश करते हैं और वह काम कराने की चेष्टा करते हैं जो कि नियमों के अनुकूल नहीं होते। तो मंत्री महोदय और इस राज्य पक्ष के व्यक्तियों के, मैं सभापति महोदया, आपके द्वारा ध्यान में यह बात अच्छी तरह से दिलाना चाहता हूं कि वह लोग हमेशा से प्रशासन करते आये हैं, आप लोगों की तो इस प्रकार की पोस्ट है कि आप तो पब्लिक के आदमी हैं, 5 साल के लिए चुनकर आते हैं लेकिन उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन किया है, पढ़ाई पर खर्च किया है, वह भी इतने

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

इन्टेलीजेन्ट और बढ़िया दिमाग रखते हैं जिस में परिणाम यह होता है कि आप एक गलत काम कराते हैं और 5 गलत काम वह अपना कर लेते हैं। एक आदमी का फायदा उनसे कराने की चेष्टा आप करते हैं लेकिन इसके पहले वह अपने 5 आदमियों का फायदा करते हैं। यह भ्रष्ट नीति किसने चलाई, इसके लिए किसने अग्रसर किया, प्रशासन में भ्रष्टाचार लाने की चेष्टा किसने की? इसका उत्तरदायित्व यदि किसी पर दिया जा सकता है तो आपकी हुकूमत पर दिया जा सकता है। विशेष रूप से सुखाड़िया साहब की हुकूमत पर यह दिया जा सकता है कि वह निरंकुशता के साथ निरंतर पूर्णरूपेण एक निरंकुश अधिशासक के रूप में अपनी हुकूमत को चलाते आ रहे हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो दुखद घटना राजस्थान की राजधानी में हुई है उस संबंध में मैं सभी व्यक्तियों से कहना चाहूंगा कि वे हृदय के साथ, सहानुभूति के साथ और सद्भावना के साथ विचार करने की कोशिश करेंगे। क्या आपमें से किसी व्यक्ति की यह हिम्मत हो सकती है, उनका यह साहस हो सकता है कि केन्द्रीय सरकार के द्वारा रेडियो पर यह अनाउन्स कर दिया गया था कि धारा 144, जो जयपुर नगर में लगाई गई, को निरस्त कर दिया। कानून का कोई प्रावधान नहीं कि धारा 144 के निरस्त करने के बाद भी, जनता को पब्लिक के अन्दर आने से कोई रोकने की चेष्टा करे। हमने रिटन में गवर्नमेंट को लेटर में लिखा, गवर्नमेंट के रिप्रजेन्टेटिव को लिखा तो उनका जवाब आया कि यह तो सही है कि धारा 144 को निरस्त करने की आज्ञा दे दी गई लेकिन पुलिस अधिकारियों को इस प्रकार का निर्देश देने में थोड़ी भूल प्रशासन के द्वारा हो गयी। प्रशासन के द्वारा एक हल्की सी भूल हो सकती है और इसके कारण जनता के ऊपर गोलियां चलाई जा सकती हैं, प्रशासन को इस छोटी सी भूल के कारण जनता के निरपराध व्यक्तियों की हत्या की जा सकती है तो मैं कहूंगा कि आपकी इस भूल को निगलीजेन्स के आधार पर भी देखा जाये तो वह निगलीजेन्स के दायरे में नहीं आती बल्कि यह तो एक डेलीबरेट मिसचीवियस एक्टीवीटीज की संज्ञा में आती है जिसके द्वारा यह सरकार जो हमारे सामने बैठी हुई है, वह एक हत्यारी सरकार है, इसके खिलाफ हत्या का इल्जाम बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है। इस हत्या के इल्जाम के सपोर्ट में मैं दो तीन बातें और कहना चाहता हूं। जहां गोलियां चलाईं, जहां गोली काण्ड हुआ मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जयपुर में और भी स्थानों पर एक स्थान पर ही नहीं बल्कि तीन चार स्थानों के ऊपर गोलियां चलाने की वारदातें हुई हैं। आप अपनी आंख खोलकर देखिये यह गोली चलाने की घटना एक जगह हो सकती है, दो जगह रोइटिंग के केसेज हो सकते हैं लेकिन तीन-चार जगह एक साथ रोइटिंग होने का कौन सा मामला हो सकता था? यदि ऐसा है तो आप निष्पक्षता के साथ विचार कीजिए। भीड़ को तितर बितर करने के लिए आप अपने कानूनी अधिकार को काम में लेते हुए गोली चलाने की कोशिश करते हैं तो आपको सबसे पहले हवा में फायरिंग करना चाहिए, या फिर भीड़ को तितर बितर करने के लिए खड़े हुए लोगों के पावों के ऊपर फायरिंग करना चाहिए।

# Page No.87



(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

यदि हवाई फायरिंग से भीड़ तितर बितर हो जाती है तो आपका मकसद पूरा हो जाता है लेकिन ऐसी बात नहीं थी। गोलियों के निशानात इस बात को बताते हैं गोलियां इस बात की द्योतक हैं कि गोलियां या तो खड़ी हुई भीड़ के सिर पर लगाई या उनके सीने पर लगाई गयी हैं। गोलियों के निशानात मकानों की 3-3 मंजिलों के ऊपर फिर और उनके अन्दर भी खिड़कियों को छेदकर मकानों के दरवाजों पर गयी हुई हैं। यह इस बात की द्योतक है कि यह सरकार यह चाहती थी कि जो बहुमत, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि उस दिन जिस दिन यह गोली काण्ड हुआ उस दिन जिस दिन शक्ति परीक्षण होने वाला था उस दिन विरोधी अच्छी तरह से ताकत में थे।

इस सरकार के सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं था अपने आपको बचाने के लिए, बेईमानी से, ईमानदारी से, नेक नियती से या बदनियती से, किसी भी तरह से···

**श्री बिशम्बरनाथ जोशी** : यह मामला सब-जुडिस है, तथ्यों के विषय में ज्यादा स्ट्रेस करने के बारे में सदन के नियम हैं, प्रक्रिया है, उसके खिलाफ है।

**श्री जयनारायण सालोदिया** : आप मार्गदर्शन दे रहे हैं।

**श्री दुर्गालाल बाढ़दार** : मैं माननीय सदस्य की इस आपत्ति का स्वागत करता हूं और माननीय सदस्य भी स्वयं नियमों को अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं नियमों की परिधि के अन्तर्गत ही बोल रहा हूं। यह मेरा अधिकार है। अगर कोई और आपत्ति उठाता तो मैं मान लेता। लेकिन माननीय सदस्य तो स्वयं इस सदन के सदस्य रह चुके हैं।

**श्री बिशम्बरनाथ जोशी** : Relevancy is better.

(शोरगुल)

(अश्रव्य)

**श्री दुर्गालाल बाढ़दार**: मैं आपसे फिर अपील करना चाहता हूं आपके थ्रू···

**श्रीमती सभानेत्री** : मुझे उनका पोइन्ट आफ आर्डर सुनने दीजिए।

(श्री बिशम्बरनाथ जोशी की ओर मुखापेक्ष) हां, आपका पोइन्ट आफ आर्डर क्या है ?

**श्री बिशम्बरनाथ जोशी** : मेरा पोइन्ट आफ आर्डर यह है···

**एक माननीय सदस्य** : पोइन्ट आफ आर्डर तो उठाया ही कहां ?

**श्री बिशम्बरनाथ जोशी** : कि यह विषय जिस पर कि आप (श्री बाढ़दार) भाषण दे रहे हैं और जयपुर में हुए गोलीकाण्ड का जिक्र कर रहे हैं तो उसकी जांच के लिए राजस्थान सरकार ने बेरी कमीशन अपोइन्ट किया है। कमीशन की सिटिंग्स हो रही हैं, गवाहों के बयानात वगैरह चल रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं,खास तौर से माननीय सदस्य से कि वे स्वयं वकील हैं और इस सदन के रूल्स आफ बिजनेस से भी अच्छी तरह से परिचित हैं कि जो सब जुडिस मैटर है उसके बारे में फैक्ट्स पर स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए क्योंकि वह इस कमीशन की कार्यवाही जो है उसको भी और उसमें जो शहादत देने वाले गवाहान हैं उनको भी प्रभावित कर सकता है।

**श्रीमती सभानेत्री** : इस प्रकार का वाद-विवाद पहले भी माननीय सदस्यों ने किया है, ये भी कर सकते हैं।

**श्री दुर्गालाल बाढदार** : आपकी व्यवस्था के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हुआ मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि मैं आज इस सदन के सामने केवल वह एक महत्वपूर्ण बात प्रदर्शित करना चाहता हूं कि उसके पीछे एक मात्र भावना थी और वह भावना यह थी, माननीय सदस्यगण आपको इस पर विचार करना चाहिए कि वह भावना क्या थी ? भावना एक मात्र यह थी कि बहुमत रखने वाला यह विरोधी पक्ष यदि किसी प्रकार से कल शक्ति परीक्षण के द्वारा अपने आपकी शक्ति बता देता है तो परिणाम यह होगा।

(श्री दामोदर लाल व्यास ने स्थान ग्रहण किया जिनकी ओर मुखापेक्ष होकर)

सम्माननीय मंत्रीजी, मैं आपके कारनामों का दिग्दर्शन भी करने की चेष्टा करूंगा। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि यह एकमात्र हृदय की भावना थी और इसमें सबसे बडा हाथ आपका ही हो सकता है मंत्री महोदय। आप जानते हैं, हम भी जानते हैं, राजस्थान का रहने वाला मैं भी हूं, राजस्थान के ही रहने वाले आप भी हैं, जयपुर रियासत का रहने वाला मैं भी हूं और जयपुर रियासत के रहने वाले आप भी हैं, आपके वकालत की तेजी, आपके दिमाग की तेजी, आपकी जोड तोड के तौर-तरीके मैं भी जानता हूं और सारे राजस्थान की जनता भी जानती है। जयपुर की जनता जानती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

यह आपके दिमाग की ही बात है जिसके द्वारा आपने यह चेष्टा की, आपने यह कोशिश की कि इस प्रकार के गोलीकाण्ड का एक वाकया किया जाय, इस प्रकार की अशांति राजस्थान की राजधानी में पैदा की जाय जिसके द्वारा प्रेसीडेंट रूल कायम हो जाय और आप लोगों को अपनी इस भ्रष्ट नीति के द्वारा लोगों के ऊपर अनुचित प्रभाव डाल कर अपने पक्ष में लेने का मौका मिल जाय। मैं आज दावे के साथ कहता हूं कि जिन राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, यह निस्संदेह सत्य बात है कि यदि आपका पक्ष किसी भी रूप में इस स्थिति में नहीं होता, बहुमत बना कर आज आप जिस प्रकार यहां आ बैठे हैं, अगर यह बात न होती तो यह बिल्कुल सही बात है, यह आप लोगों के हृदय की भावना थी कि प्रेसीडेंट का रूल बराबर राजस्थान में कायम रहना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

जब इस प्रकार की आपकी भावनाएं हों और उसके बाद भी आप अपने आपको लोकप्रिय सरकार का नेता, लोकप्रिय सरकार के मंत्री और जनता का सच्चा और प्यारा प्रतिनिधि कहने का दावा करें और आपके द्वारा पॉलिसी के आधार पर यह दिया गया राज्यपाल महोदय का भाषण और इस पर हमारे द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव पारित करा कर सहानुभूति प्राप्त करें, यह किस प्रकार सम्भव हो सकता है। आप जानते हैं, यह एक छोटी सी बात है, राजस्थान में कहावत है कि भाई तुम मुझ को कितना चाहते हो। तो उसका जवाब होगा, हम यही जवाब देते हैं कि तुम अपने खुद के दिल को खोल कर देखो, आपके दिल में किस प्रकार की भावना है। जैसी आपकी भावना होगी उसी प्रकार की आपकी उपासना की

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)
जायेगी। यह निर्विवाद सत्य बात है और इसी आधार पर आप समझ सकते हैं।

माननीय सभापति महोदया, मैं विशेष रूप से आपके सामने दो तीन महत्वपूर्ण बातों का जिक्र कर देना चाहता हूं। माननीय मंत्रीजी, आप जानते हैं आज राजस्थान में अनाज की क्या समस्या है। आज राजस्थान में पेय जल की क्या समस्या है। जयपुर जो राजस्थान की राजधानी है उस राजस्थान की राजधानी में 125) रु० क्विन्टल के हिसाब से गेहूं मिल रहा है। आप विचार करके देखिएगा। रुपये का पौन सेर अनाज। इस रुपये के पौन सेर अनाज में आपके कर्मचारी लोग, आपके व्यापारी लोग, जनता के और बहुत से लोग जिनको तनख्वाह में आप डेढ सौ रुपये, दो सौ रुपये देते हैं, इससे ज्यादा तो आप देते नहीं हैं, कुछ अफसर थोडी सी ज्यादा तनख्वाह पाने वाले होंगे तो उनको छोड कर जिनके घर में चार-पांच बाल बच्चे हैं, घर में खाने वाले ज्यादा हैं और फिर रुपया का पौन सेर अनाज आए वह क्या खाएगा, आपको खायेगा, किसी और को खाएगा या अनाज को खाएगा। यह जब स्थिति आपने जनता की कर रखी है··

**श्री भैरोंसिंह**: आप जो सुझाव देंगे वही काम करेंगे।

**श्री दुर्गालाल बाढ़दार**: मेरे हृदय में तो आपके लिए यह सद्‌भावना है कि भगवान उनको सुबुद्धि दे कि वह आपको न खाएं। ऐसी परिस्थितियां पैदा न हों कि जिसमें इन्सान इन्सान को खा जाए। आज राजस्थान में, जयपुर में या राजस्थान के किसी हिस्से में कोई अशांति हुई, कोई गड़बड़ी हुई या किसी प्रकार की दिक्कत उत्पन्न हो जाती है तो उसका उत्तरदायित्व निश्चयात्मक रूप से आप मान लीजिए कि इन विरोधी पक्ष के व्यक्तियों पर नहीं बल्कि राजस्थान सरकार के इन मंत्रियों पर होगा। क्योंकि कहते हैं कि "बुभुक्षितः किंन करोति पापं, क्षीणा जनाः निष्करुणा भवन्ति।" अरे! भूखा आदमी क्या पाप नहीं करेगा। इन्सान की स्थिति अगर आप कृशि-काय तक पहुंचा देंगे तो भूखा मरता वह क्या नहीं करेगा। जब भूखा मरता इन्सान अपनी बुद्धि को खो देगा, अपने संयम को खो देगा और अपने····

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

नियंत्रण को खो देगा तो उसका परिणाम यह होगा कि वह निश्चित रूप से बगावत की ओर जाएगा और यह स्थिति होगी। इसलिए मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं कि यह आपके सोचने की बात है। जिस तारीख को आपने चार्ज लिया मिनिस्ट्री का उसके एक दिन पहले राजस्थान में अनाज के भाव क्या थे और उसके एक दिन बाद राजस्थान में अनाज के भाव क्या हो गए। ये आंकड़े आपकी सरकार के सामने भी हैं, ये आंकड़े आप लोगों को भी मालूम है। लेकिन मालूम होते हुए भी आप आंख इसलिए मीच लेते हैं, क्योंकि आपको अनाज मंगाने की जरूरत नहीं होती। बहुत से लोग ऐसे हैं जो घर बैठे आपके अनाज पहुंचा देते हैं। लेकिन सवाल तो उन गरीब लोगों का है जिनको बाजार में जाकर खरीदना पड़ता है। आपके राज्यपाल महोदय के सारे सम्भाषण के अन्दर कोई ऐसी कोंक्रीट पोलिसी, कोई ऐसी कोंक्रीट नीति का विवेचन क्या किया गया कि जिसके द्वारा निकट

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

भविष्य के अन्दर ही राज्य सरकार इस अनाज की बढ़ती हुई महंगाई पर नियंत्रण करने की कोशिश करेगी। आप उत्तर में शायद यह जवाब देने की कोशिश करेंगे कि अनाज का उत्पादन बढ़ाने, खेती में वृद्धि करने, जमीन की किस्म को सुधारने और किसानों को थोड़ी बहुत राहत देने के बारे में, इन सारी बातों का राज्यपाल महोदय के भाषण में जिक्र किया है। लेकिन अकल के अन्धे लोगों में तो यह कहना चाहता हूं कि आग किसी गांव में लग गई और उसके बाद में जाकर कहते हैं कि हम कुआ खोद रहे हैं इसमें से पानी निकलेगा और पानी निकलने के बाद हम आग बुझाने के लिए जायेंगे तो सारा गांव तबाह हो जायेगा और सारा देश बरबाद हो जायेगा। आज इस भूखमरी की हालत को दूर करने के लिए आप आश्वासन इस सदन के सामने देना चाहते हैं या दे सकते हैं या कोई भी कीमत निर्धारित करने की चेष्टा कर सकते हैं कि कम से कम आवश्यक अन्नों के भावों का नियन्त्रण इस रूप में कर दिया जायगा। बल्कि आपकी पॉलिसी, आपकी केन्द्रीय सरकार की पॉलिसी, आपकी राजस्थान सरकार की पॉलिसी तो इस प्रकार की रही है कि · · ·

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

जो सस्ता अनाज राशन की दूकानों पर मिलने वाला था उसके लिए भी केन्द्रीय सरकार ने अपनी यह भावना व्यक्त कर दी है कि जो सबसिडी दी जाती थी उसकी भी बजट में कोई गुन्जायश नहीं है और उस सबसिडी को बन्द कर देंगे और वह सस्ता अनाज अब महंगे भावों पर मिलेगा। अगर आप सच्ची और सही भावना रखते हैं जनता के हित में तो प्रतिज्ञा लीजियेगा कि जो मंत्रि मण्डल बना है 8 मंत्रियों या 3 उप मंत्रियों का उनके अतिरिक्त एक भी मंत्री नहीं बढ़ायेंगे · · ·

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

और जो प्रशासन में ज्यादा खर्चा होता है उस सारे खर्चे को सस्ते नाज की व्यवस्था में लगायेंगे · · · ·

**श्रीमती सभानेत्री** : बहुत से माननीय सदस्य बोलने वाले हैं।

**श्री दुर्गालाल बाढ़दार** : अभी पूरा कर रहा हूं। उस सारे खर्चे को आप केवल अनाज की व्यवस्था में डालेंगे। लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि श्रीमान मोहनलाल सुखाड़िया अगर अपने मंत्रि मंडल को नहीं बढ़ायेंगे, अगर मंत्रियों में वृद्धि नहीं करेंगे तो यह चलने वाली सरकार नहीं है। आपको अपनी कुर्सियों का लालच है। आपको अपनी जनता का लालच नहीं है। आप जनता के इन्ट्रेस्ट को नजरअन्दाज करते हुए, मैं दावे के साथ कहता हूं, इस सदन के सामने कि राजस्थान की जनता कान खोल कर सुन लें कि आप लोग मिल कर बहुत जल्दी इस मंत्रि मण्डल में वृद्धि करेंगे और इस पब्लिक एक्सचेकर के रुपये पर वृद्धि करेंगे और इस जनता की गाढ़ी कमाई से कमाया हुआ पैसा जो उससे आप टैक्स के रूप में लेते हैं जिससे सरकार चल रही है उसका दुरुपयोग किया जायगा केवल आप लोगों को बंगले एलॉट करने के लिए, केवल आप लोगों को मोटरें एलॉट करने के लिए · ·

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

आपमें हिम्मत नहीं है। आप जो कुछ करेंगे केवल कुर्सियों के लिए करेंगे · ·

**श्रीमती सभानेत्री** : माननीय सदस्य मैं बराबर घण्टी बजा रही हूं। दूसरों के समय का ध्यान रखें।

**श्री दुर्गालाल बाढ़दार** : मेरा एमेन्डमेन्ट था। मैं पांच मिनट में ही खत्म कर दूंगा।

**श्रीमती सभानेत्री** : आपके बाद जयनारायणजी सालोदिया बोलेंगे। अगर वे कह दें कि उनका समय कम करके देदें तो मैं कर दूंगी।

**श्री जयनारायण सालोदिया** : मेरा कल के लिये रख लें।

**श्रीमती सभानेत्री** : कल के लिए नहीं।

**श्री दुर्गालाल बाढ़दार** : मैं पांच मिनट में समाप्त कर दूंगा।

दूसरी समस्या जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वह पानी और बिजली की समस्या है। मैं आपको बताऊं कि आपके प्रशासन की किन शब्दों में तारीफ करूं। आप स्वयं विचार कर लें। सुनने की आवश्यकता नहीं। पब्लिक का प्रतिनिधि होने के कारण हमारे हाथ में और कुछ रखा नहीं है पर आप तक आवाज पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको पता नहीं कि किस तरह से आपको कुम्भकरणी नींद आती है कि सुनने की कोशिश नहीं करते हैं। जब पानी की शिकायत करते हैं और पानी विभाग से कहते हैं तो पानी विभाग हमको जवाब देता है कि बिजली का इन्तजाम नहीं है लिहाजा हम पानी का प्रेशर नहीं दे सकते। हम कहते हैं बिजली वालों को कि पानी वालों को बिजली दो ताकि जयपुर के लोगों को पानी तो मिल सके तो वे जवाब देते हैं कि पानी का इन्तजाम नहीं है लिहाजा बिजली पैदा नहीं होती है। तो पानी नहीं तो बिजली नहीं और बिजली नहीं तो पानी नहीं। हम राजी हो जायेंगे यदि तकलीफ भी पायेंगे यदि प्रतिज्ञा करें मंत्रीगण कि सिविल लाइन्स में कोई प्रेशर कल से नहीं चलेगा। जो एक घन्टा पानी हमको मिलता है जयपुर की जनता को उससे ज्यादा डेढ़ घण्टा पानी लेने की कोशिश आप नहीं करेंगे। बिजली ज्यादा लेने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन आपके बंगले ट्यूब लाइट से चमचमाहट करते हैं। आपके पार्कों के ऊपर पानी के फव्वारे नियमित रूप से घूमते रहते हैं। यह आप लोगों को मिल सकता है लेकिन जनता के बीच में रहने वाला एक साधारण प्रतिनिधि जो जनता की इन सारी भावनाओं को, इन सारी कठिनाइयों को समझता है और तमाम कठिनाइयों को पहचानने की कोशिश करता है, उसको आप सुनने के लिए तैयार नहीं हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

वास्तव में यदि आप प्रजातन्त्र को मानते हैं या जनता के सच्चे प्रतिनिधि कहलाना चाहते हैं तो प्रतिज्ञा कीजिये और उत्तर देते समय आश्वासन दीजिए कि आप भी पानी नहीं लेंगे, बिजली का प्रयोग नहीं करेंगे यदि राजस्थान की दूसरी साधारण जनता को पानी और बिजली नहीं मिलेगी तो। लेकिन यह अपेक्षा आप से नहीं की जा सकती है।

अन्तिम बात एक और आपके ध्यान में ला देना चाहता हूं कि गये साल में, इससे पूर्व साल में और इसके पहले के दो सालों के आंकड़े उठा लीजियेगा। माननीय दामोदरलालजी व्यास, आपको कम से कम थोड़ा अनुराग इस शहर के प्रति होना चाहिए

( श्री दुर्गालाल बाढ़दार )

था। आपने नमक इस शहर और राज्य का खाया है उसकी वफ़ादारी आपको दिखानी चाहिए थी, लेकिन इस जयपुर शहर की दुर्दशा होने का यदि कोई मूल कारण है तो उस मूल कारण में आपका सबसे बड़ा हाथ है। इस शहर की बरबादी, इस शहर की तबाही जिस प्रकार से आप लोगों के प्रशासन में, जिस प्रकार से आप लोगों के हाथों के द्वारा हो रही है उस दुरावस्था को आप आंखों से देखें। अरे ! निष्पक्ष बनने वाले मंत्रियों मेरे साथ चल कर देखो कि बिना पानी और बिजली के किस तरह से रह रहे हैं। आप देखेंगे कि सड़क बनवाने की व्यवस्था आपकी राज्य सरकार के द्वारा नहीं की गई, पानी के पब्लिक टेप्स आपकी सरकार के द्वारा नहीं लगाये गये। गटर लाइन की योजना आज 5-7 साल से बराबर चल रही है उसकी चर्चा नहीं की गई। आगरा से लेकर अजमेर और दिल्ली से अजमेर जाने वाले नेशनल हाई वे की समस्या अभी बनी हुई है जिसके बारे में करीब 5-7 साल से यह राजस्थान सरकार बराबर सोच रही है और विचार कर चुकी है उसको क्रियान्वित करने की चेष्टा की जा रही है, लेकिन उस पर खर्च करने के लिए आपके पास पैसा पैदा नहीं हुआ जिससे कम से कम उस एरिया में वे करते · · ·

**श्रीमती सभानेत्री** : माननीय सदस्य से मैं कई बार निवेदन कर चुकी हूं कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। मै बहुत बार निवेदन कर चुकी हूं।

**श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : अनुशासन भंग हो रहा है।

**श्री दुर्गालाल बाढ़दार** : आपका आदेश मैं पूर्ण रूप से मानूंगा। एक मिनिट और चाहिए। अन्त में मैं एक किस्सा कहकर समाप्त करता हूं। आपको (श्री मूलचन्द डागा) देखकर मुझे एक सूम का किस्सा याद आगया। दो सूम थे। सूम उसको कहते हैं जो गांठ का पैसा नहीं दे लेकिन कोई दे दे तो उसका अफसोस होगा। तो सूम के लिए कहता हूं कि–

"सूम कहे सूम से सुन रे काहे चित्त मलीन।
कहां गांठ से गिर पडा, कहां काहू को दीन।।
नहीं गांठ से गिर पड्यो, नहीं काहू को दीन।
देतो देख्या औरन को, या से चित्त मलीन।।

आसन समय देता है और आपका सूम हृदय है तो आप कहते हैं कि मत दो।

वास्तव में जन-हित की भावना को रखते हैं और जनता के प्रति सच्ची सहानुभूति प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने उत्तर में यह आश्वासन देने की कोशिश करेंगे कि आप मंत्रि-मंडल में वृद्धि नहीं करेंगे तो हम मानेंगे कि आप सद्भावना के साथ आ रहे हैं, तो हम मानगे कि आप पब्लिक के एक्सचेकर का, रुपये का सदुपयोग करना चाहते हैं। आप पानी की व्यवस्था करेंगे, आप खाद्यान्न की व्यवस्था करेंगे, आप बेरोजगारी को दूर करने की व्यवस्था करेंगे। हमने 17 सूत्रीय प्रोग्राम पब्लिक के सामने रख दिया था तो आप कम से कम 5-7 सूत्रीय प्रोग्राम तो देने की हिम्मत तो करें। इस जनता के सामने आने की कोशिश तो करें ताकि लोग आपको जान सकें पापुलर गवर्नमेन्ट के रूप में। अनपापुलर आप हैं और पापुलर बनने का दावा करते हैं। दुनिया आपको नहीं चाहती है, लेकिन बेइमानी से आप कुर्सियों पर बैठे हैं। तो भ्रष्ट शिरोमणी इस मंत्री मंडल के द्वारा · · ·

**श्री मूलचन्द डागा** : ये तो समय इस तरह से लेते ही रहेंगे और अनुशासन भंग करते ही रहेंगे ।

**श्री दुर्गालाल बादवार** : विरोधी लोग, हम आशा करते हैं, इस बात को दिखा देंगे कि राज्यपाल महोदय का धन्यवाद का प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता है और आपकी सरकार निश्चयात्मक रूप से गिर कर रहेगी ।

**श्रीमती सभानेत्री** : श्री सालोदिया । समय कम है आप जरा ख्याल रखें ।

**श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : 10 मिनिट में तो खत्म नहीं कर सकूंगा।

**श्रीमती सभानेत्री** : दो, चार मिनिट और बढ़ा दूंगी ।

**श्री जयनारायण सालोदिया** : मेरे 9 एमेंडमेंट हैं उन पर क्या एक एक मिनिट ही बोलूंगा ?

**श्रीमती सभानेत्री** : मैं 5-10 मिनिट और बढ़ा दूंगी आप समाप्त करें तो । आपके दो एमेंडमेंट हैं । एक पर ही बोल जायं ।

**श्री जयनारायण सालोदिया** : दो नहीं नौ हैं ।

**श्री जयकृष्ण** (थानागाजी) : नौ एमेंडमेंट हैं तो सब के लिये टाइम अलग अलग तो नहीं मिलेगा । एमेंडमेंट तो एक ही है उसमें 9 पॉइन्ट्स हैं ।

**श्री ओमदत्त** (सरदारपुरा) : सभापति महोदया, मैं इस संसद में एक नया खिलाडी हूं । आज तीन चार दिन से देख रहा हूं कि क्या धम्म चक्क मच रही है । इस वास्ते मैं संसद के मेम्बरों से प्रार्थना करूंगा कि वह हमेशा अनुशासन में रहें ।

**श्री खेतसिंह** : संसद नहीं, विधान सभा है।

**एक माननीय सदस्य** : प्रमोशन कर रहे हैं ।

**श्री ओमदत्त** : इस वास्ते ज्यादा न कहते हुए राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में फर्माया है कि पेंशन वाले, जो सौ से दो सौ के हैं, उनके बारे में तरक्की कर दी गई है । लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि उन्होंने सौ के नीचे का कुछ हाल नहीं लिखा । तो इस वास्ते राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया है उसके सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि धन्यवाद प्रस्ताव में यह निम्न शब्द जोड़े जायें:—

"किन्तु खेद है कि राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण में सौ से कम पेंशन में वृद्धि करने का कोई उल्लेख नहीं किया ।" इस वास्ते यह उल्लेख किया जाय और लिखा जाय ।

**श्री गोवर्धन** (मेड़ता) : माननीय सभापति महोदया....

**श्रीमती सभानेत्री** : मैं माननीय सदस्य को याद दिला दूं कि मैं उन्हें केवल दस निमट का समय दे सकूंगी । केवल दस मिनट ।

**एक माननीय सदस्य** : सभानेत्री महोदया, समय की लिमिट मत लगा दीजिये, महरबानी करके समय की लिमिट मत लगाइये । यह गम्भीर बात हो जायेगी ।

**श्री गोवर्धन** : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव से मैं सहमत नहीं हूं क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार मिटाने के लिए कोई भी उपाय नहीं बताया गया है । (हिअर, हिअर) आज देश में जो मूल समस्या है, प्रान्त में जो मूल सयस्या है। जो सब बुराइयों की जड़ है, सब अन्यायों की जड़ है—वह एक मात्र भ्रष्टाचार है ।

(श्री गोवर्धन)

इसका यदि उन्मूलन ढंग से नहीं किया गया तो मैं इस बात में विश्वास नहीं करता हूं कि हम किसी भी योजना को पूर्ण करने में कामयाब हो सकते हैं, किसी भी अच्छे काम का संचालन कर सकते हैं और कोई भी प्रान्त का हित करने वाली योजना को हम आगे बढ़ा सकते हैं। किन्तु मुझे दुःख के साथ कहना पड़ा है, और मुझे अफसोस भी है कि जब से सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया गया है तब से इस भ्रष्टाचार का भी विकेन्द्रीकरण हो गया है। इस लिये ही कोई भी यह नहीं कहता कि भाई, यह भ्रष्टाचार मिटना चाहिए। विरोधी दल वाले लोग कहते हैं लेकिन उनकी कोई सुनता नहीं है। लेकिन मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक इस मूल समस्या को, इस मूल रोग को शासन से नहीं मिटा देंगे तब तक हमारे प्रान्त का कल्याण होने वाला नहीं है।

उसके बाद में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जिक्र किया गया है कि चुनाव जो 1967 में हुए वह बड़े शान्तिपूर्ण ढंग से हुए हैं और सरकार मतलब नौकर और सरकारी कर्मचारियों ने अपने कर्त्तव्य का पालन किया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे मेडता क्षेत्र में इस तरह की गडबडी की गई और इस तरह की बेइमानी की गई कि जिसकी कोई हद नहीं है। हमने इसके बारे में तार दिये, चिट्ठी भेजी और सब कुछ किया लेकिन आज तक उनके बारे में कुछ भी नहीं हुआ है। यह बडे अफसोस की बात है। एक व्यक्ति एक क्षेत्र से चुनाव लडता है, उसके साथ में इस तरह अन्याय होता है, इस तरह बेइमानी होती है और यदि वह शिकायत करता है तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है-इससे ज्यादा अफसोस की कोई बात नहीं है। फिर कहा जाता है कि राज्य में चुनाव अमन से हुए और राज्य सरकार के कर्मचारी वर्ग ने अपने कर्त्तव्य का पालन किया। मुझे यह कहते हुए बडा दुःख होता है कि हमारे यहां मेडता में ऐसी स्थिति पदा करदी गई कि एक पार्टी के लोग किसी गांव में घुस नहीं सकते थे। और वहां पर रिटर्निंग ऑफिसर ने खुले आम इतना पक्षपात किया कि उस पक्षपात का सारे देश में कोई उदाहरण नहीं मिल सकता। जो भी काउन्टर टेबल से रिजल्ट आता था उसको रिटर्निंग ऑफिसर कांग्रेस के सही मान लेता था व स्वतन्त्र पार्टी के वोट रिजेक्ट करता था।

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : सभापति महोदया, चूंकि यह इनके क्षेत्र का मामला है और पिटीशन इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने विचाराधीन है, इसलिए इस तरह के विचार व्यक्त करने की नियमों के अनुसार इजाजत नहीं मिल सकती। यह नियमों के प्रतिकूल है।

**कई माननीय सदस्य** : बैठ जाओ।

**श्रीमती सभानेत्री**: आप राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर ही बोलें।

**श्री गोवर्धन** : मैं उस पर ही बोल रहा हूं। जो अनियमिततायें हुई हैं और जो कर्मचारियों ने पक्षपात किया है · · ·

**श्रीमती सभानेत्री** : क्योंकि पिटीशन चल रही है इसलिए आप इसका जिक्र न करें।

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : आप मेडता क्षेत्र के बारे में न कहें। किसी दूसरे के के बारे में कहें।

**श्री गोवर्धन** : मेडता क्षेत्र में जैसा अन्याय और गडबडी हुई वैसे ही अन्याय और गडबडी के समाचार और जगहों के भी मिल रहे हैं। फिर भी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहा जाता है कि व्यवस्थित ढंग से चुनाव हुए, सरकारी कर्मचारियों ने कर्त्तव्यपरायण ढंग से कार्य किया और चुनाव ठीक हुए। यह मेरी समझ में नहीं आता है और मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं हूं।

इसके साथ साथ राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण में भू–राजस्व के मामले का उल्लेख किया है तथा कुछ छोटे किसानों को छूट दी है। मैं समझता हूं वह पर्याप्त नहीं है। चूंकि राजस्थान में कई बार अकाल पडता रहता है, इसलिए यह जो छूट दी गई है इसके तहत कुछ भू–राजस्व चला जायगा। लेकिन थोडे से भू–राजस्व के लिए इतनी बडी परेशानी उठाना उचित नहीं है। जब कि किसानों को सब तरह की राहत देना चाहते हैं। किसानों को कर्ज देना चाहते है, किसानों का उत्थान करना चाहते हैं और किसानों को उत्साहित करना चाहते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होता यदि राज्यपाल महोदय यह घोषणा करते कि सरकार किसानों का भू–राजस्व समाप्त करती है।

इसके अलावा छोटे व्यापारियों को बिक्री कर में राहत देने की बात राज्यपाल महोदय ने कही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ इस तरह की हमारे प्रान्त में और देश में हवा चल रही है जिससे सारे समाज में कुछ गन्दापन व्याप्त हो गया है। आम तौर पर आम लोग व्यापारियों को बात बात पर आलोचना करते हैं। मैं तो यह मानता हूं कि हम सब एक दूसरे के पूरक है। क्या तो किसान, क्या व्यापारी और क्या मजदूर–सब एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए हमें एक दूसरे की निन्दा नहीं करनी चाहिए और एक दूसरे के प्रति घृणा नहीं फैलानी चाहिए। हमें तो एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना का प्रदर्शन करना चाहिए और एक होकर ही अपने अपने कर्त्तव्य का पालन करना चाहिए। इस तरह से जब मिल कर कोई काम करेंगे तो सब वर्गों के सहयोग से हम उसे पूरा कर सकते हैं और आपस में सब में सौहार्द भी होगा। कुछ लोग एक दूसरे को गाली देकर, एक दूसरे के प्रति घृणा फैलाना चाहते हैं–मैं कहूंगा यह उचित नहीं है। इस अभिभाषण में जो टैक्स की बात कही गई है उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि व्यापारियों के लिए जो आज लाइसेन्स पद्धति है उसका परिणाम है कि आज एक दुकान पर आठ, नौ, दस तक लाइसेन्स लगे रहते हैं। आज व्यापारियों को भारत जैसे आजाद देश में गुलामी की जिन्दगी बसर करनी पड रही है। मैं कोई व्यापारियों की पैरवी नहीं करता हूं, यदि व्यापारियों के अन्दर कोई कमी है तो वह आत्म–मंथन करें। लेकिन यह बात सही है कि लाइसेन्स पद्धति के बावजूद भी सरकार मंहगाई को रोकने में नाकामयाब रही है। जब सरकार खुद नाकामयाब रही है तो अपना दोष व्यापारियों पर मंढ़ना कहां तक उचित है। जिस समय लाइसेन्सिंग आर्डर, 1964 लागू किया गया था, उसमें ऐसी कई दिक्कतें थी। उन सब दिक्कतों का व्यापारियों ने अपोजिशन किया लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने उसको लागू रखा। उसके कारण से व्यापारियों को काफी परेशानी हुई लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? आज 1964 से 1967 हो गया है लेकिन मंहगाई और भाव जो गिरने चाहिए थे, वह भाव गिरे नहीं हैं बढ़े हैं।

(श्री गोवर्धन )

में, कहूंगा कि इस प्रकार के नियमों के लागू रहने पर भी जब भाव नहीं गिरें तो व्यापारियों के ऊपर जो दोष मंढ़ा था वह सरकार की सरासर गलती रही है। इसलिए आज देश में मूल समस्या भ्रष्टाचार की है, नियंत्रण व्यवस्था की है, परमिट-लाइसेन्स की व्यवस्था है। यह चीजें हैं जो चीजों को मंहगा करती हैं। सरकार एक तरफ आश्वासन तो देती है कि वह चीजों को सस्ता देगी, सस्ती करेगी लेकिन उसमें वह कामयाब नहीं होती है और फिर अपना दोष वह व्यापारियों पर डाल देती है। यह मेरी राय में शर्म की बात है। सरकार को अपना दोष स्वीकार करना चाहिए।

इसके साथ साथ · · · · · ·

**श्रीमती सभानेत्री** : माननीय सदस्य, समय हो चुका है।

**श्री गोवर्धन** : एक मिनट।

**श्रीमती सभानेत्री** : पांच बजे के बाद सभा की कार्यवाही एक मिनट भी नहीं चल सकती है।

सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदन्नतर सदन की कार्यवाही मध्यान्ह पश्चात् 5 बजे शनिवार दिनांक 6 अप्रेल, 1967 के मध्यान्ह पूर्व 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

# शुद्धि-पत्र

दिनांक 5 मई, 1967.

| स्कम्भ संख्या 1 | पंक्ति संख्या 2 | अशुद्ध 3 | शुद्ध 4 |
|---|---|---|---|
| 47 | 24 | क्रिटिसज्म | क्रिटिसिज्म |
| 49 | 21 | डवाइजरी | एडवाइजरी |
| 49 | नीचे से 1 | जावें | जावेंगे |
| 50 | ,, 1 | मे | में |
| 58 | 8 | रहा | × |
| 64 | 14 | वातव | वास्तव |
| 67 | 13 | स्कल | स्कूल |
| 75 | 14 | समजंस्य | सामंजस्य |
| 79 | 7 | वृत | व्रत |
| 83 | नीचे से 12 | by member | by a member |
| 83 | नीचे से 9 | refer | referred |
| 83 | नीचे से 8 | to the motion | to in the motion |
| 85 | 4 | महारावल लक्ष्मणसिंह | महारावल श्री लक्ष्मणसिंह |
| 85 | नीचे से 11 | महारावल लक्ष्मणसिंह | महारावल श्री लक्ष्मणसिंह |
| 86 | 1 | महारावलल लक्ष्मणसिंह | महारावल श्री लक्ष्मणसिंह |
| 86 | 10 | आपने | आप |
| 87 | 12 | दवीदत्त | देवीदत्त |
| 91 | 1 | दवीदत्त | देवीदत्त |
| 91 | 3 | प्रद्युमनसिंह | प्रद्युम्नसिंह |
| 91 | नीचे से 12 | दृढतापूर्वक | दृढ़तापूर्वक |
| 92 | 2 | बढ | बढ़ |
| 92 | 15 | Body | body |
| 92 | 15 | mind | mind. |
| 92 | नीचे से 6, 3 | मोस्टली | मोस्ट |
| 92 | नीचे से 5 | होटली | हॉटली |
| 92 | नीचे से 2 | रिग्ड यह इलेक्शन | रिग्ड इलेक्शन |
| 93 | 7, 8, 10, 11, 16, 22, 23, नीचे से 2 | करोड | करोड़ |
| 94 | 1 | प्रद्युमनसिंह | प्रद्युम्नसिंह |
| 95 | 2 | पाने | पौने |
| 95 | 3, 4 | करोड | करोड़ |
| 95 | 3 | बांसवाडा | बांसवाड़ा |
| 95 | 14 | लडा | लड़ा |
| 96 | 10 | शासनारूड | शासनारूढ़ |
| 96 | 15, 19 | रोल | रॉल |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 102 | नीचे से 12 | आजो | आज |
| 102 | नीचे से 4 | कोम्युनिस्ट | कम्युनिस्ट |
| 106 | 10 | को-आशन | को-आप्शन |
| 109 | 14 | जिल | जिले |
| 114 | नीचे से 12 | चहरों | चेहरों |
| 128 | 17 | खद | खुद |
| 138 | नीचे से 5 | मैंन | मैंने |
| 143 | नीचे से 3 | बात ह। | बात है। |
| 145 | 15 | चुनावों में | ने चुनावों में |
| 152 | 21 | जो | ने |
| 156 | नीचे से | whilo | while |
| 165 | 3 | बाढ़ादर | बाढदार |
| 184 | नीचे से 15 | मानगें | मानेंगे |
| 184 | नीचे से 2 | भृष्ट | भ्रष्ट |
| 188 | 7 | पदा | पैदा |
| 191 | 9 | सहकार | सरकार |